राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के लिए डीपीआर के अद्यतन

के लिए

निविदा

निविदा सं. IWAI/NW-4/DPR/2023

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

अक्तूबर 2024

अस्वीकरण

1. यह निविदा दस्तावेज भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न तो कोई करार है और न ही कोई प्रस्ताव है। इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस निविदा के अनुसार अपनी बोली तैयार करने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है।

2. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है और इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने या इसका उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना आईडब्ल्यूएआई के लिए संभव नहीं है। इस निविदा दस्तावेज में ऐसे कथन शामिल हैं, जो आईडब्ल्यूएआई द्वारा कार्यों के संबंध में की गई विभिन्न धारणाओं और आकलनों को दर्शाते हैं। ऐसी धारणाएँ, आकलन और कथन प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक होनेवाली सभी जानकारियों को शामिल करने का दावा नहीं करते हैं। प्रत्येक संभावित बोलीदाता को अपनी स्वयं की जाँच और विश्लेषण करते हुए इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जाँच करनी चाहिए और उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

3. आईडब्ल्यूएआई का किसी भी कानून (संविदा, अपकृत्य के कानून सहित) के अंतर्गत, इक्विटी, प्रतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा होनेवाले किसी भी हानि, व्यय या क्षति के साथ-साथ इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी चीज के संबंध में उत्पन्न होने या झेली जाने वाली अथवा इस निविदा दस्तावेज का हिस्सा माने जाने वाले किसी भी मामले, कार्य सौंपे जाने, आईडब्ल्यूएआई या उनके कर्मचारियों, किसी भी परामर्शदाता या कार्य सौंपने के लिए चयन प्रक्रिया से किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली जानकारी और किसी भी अन्य जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के लिए किसी भी संभावित कंपनी/फर्म/ कंसोर्टियम या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं रहेगा। इसके अलावा आईडब्ल्यूएआई किसी भी तरह से ऐसी किसी क्षति का भी उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह आईडब्ल्यूएआई लापरवाही के कारण हो या अन्यथा,फले ही वह इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी कथन पर किसी भी बोलीदाता की निर्भरता से उत्पन्न हुई हो।

4. बोलियाँ प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी देरी के लिए आईडब्ल्यूएआई जिम्मेदार नहीं होगा। इस निविदा दस्तावेज़ के जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि आईडब्ल्यूएआई किसी बोलीदाता का चयन करने या सफल बोलीदाता को कार्यों के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य है,)जैसा भी मामला हो(और आईडब्ल्यूएआई किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए इस निविदा दस्तावेज़ के उत्तर में प्रस्तुत की गई किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आईडब्ल्यूएआई बोली जमा करने वाले सभी लोगों को सूचित करते हुए किसी भी स्तर पर प्रक्रिया को रोकने या वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

5. यहाँ दी गई जानकारी सांविधिक आवश्यकताओं का संपूर्ण विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक विवरण नहीं माना जाना चाहिए। आईडब्ल्यूएआई यहाँ व्यक्त कानून की किसी भी व्याख्या या राय की सटीकता या अन्यथा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

6. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने/सुधारने/संशोधित करने का अपने पास अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा दस्तावेज/संशोधित निविदा दस्तावेज में किए जानेवाले ऐसे संशोधन आईडब्ल्यूएआई के ई-प्रापण पोर्टल और वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

विषय-सूची

अस्वीकरण 2

खंड-I: ई-निविदा आमंत्रण सूचना 6

खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी) 9

1. पृष्ठभूमि 10
2. प्रस्तावना 10
3. बोलीदाता पात्रता मानदंड 10
4. बोली-पूर्व बैठक 11
5. स्पष्टीकरण और परिशिष्ट 11
6. बोलियों की तैयारी 12

6.1 प्रतिभूति जमा राशि 12

6.2 निविदा दस्तावेज की लागत 13

6.3 बैंक ऋण शोधन क्षमता 13

6.4 कर 13

6.5 मुद्रा 13

6.6 भाषा 13

6.7 बोली वैधता 14

6.8 बोलियों की संख्या 14

6.9 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ 14

7. हितों का टकराव 15
8. बोलीदाता द्वारा पावती 16
9. बोलियों की ई-प्रस्तुतिकरण हेतु दिशा-निर्देश 16
10. बोलियों का प्रस्तुतीकरण 18
11. बोली प्रस्तुतीकरण तिथि का विस्तार 21
12. विलम्बित प्रस्ताव 21
13. नियोक्ता का दायित्व 21
14. बोलियों का संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी 21
15. बोली खोलना और मूल्यांकन प्रक्रिया 21
16. बोली मूल्यांकन 22
17. संविदा प्रदान करना 25
18. बीमा 25
19. क्षतिपूर्ति 25
20. धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण 25
21. दस्तावेज़ और कॉपीराइट का स्वामित्व 25

खंड-III: डेटा शीट 27

खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र 29

प्रपत्र 4क: निविदा का प्रपत्र 31
प्रपत्र 4ख: पात्र परियोजनाएँ 33
प्रपत्र 4ग: आवेदक का औसत वार्षिक कारोबार 35
प्रपत्र 4 घ: पॉवर ऑफ अटॉर्नी 36
प्रपत्र 4ङ: प्रमुख कार्मिकों और गैर-प्रमुख संसाधनों का जीवन-वृत्त 37
प्रपत्र 4च: चालू समनुदेशनों की सूची 39
प्रपत्र 4छ: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा 40
प्रपत्र 4ज: बोलीदाता सूचना पत्रक 41
प्रपत्र 4झ: बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व पूछताछ के लिए प्रारूप 42
प्रपत्र 4ञ: जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी.....43
प्रपत्र 4ट: कानूनी क्षमता का विवरण 45
प्रपत्र 4ठ: संयुक्त बोली करार.....46
प्रपत्र 4ड: सामान्य अनुभव 50
खंड-V: वित्तीय बोली मानक प्रपत्र 51
खंड वित्त-1: वित्तीय बोली प्रस्तुतीकरण प्रपत्र.....52
खंड वित्त-2: बीओक्यू लागतों का सारांश 53
खंड वित्त-3: परामर्श शुल्क 54
खंड-VI: संदर्भ शर्तें 55
1. प्रस्तावना.....56
2. परामर्शी का उद्देश्य.....56
2. समय सारणी और प्रदेय.....63
3. भुगतान शर्तें.....66
खंड-VII: संविदा का मानक प्रारूप 67
1. संविदा की शर्तें 68
2. संविदा का प्रारंभ, समापन, विस्तार, संशोधन और समाप्ति 71
3 परामर्शदाता के दायित्व 75
4 आईडब्ल्यूएआई द्वारा दायित्व और जिम्मेदारी/इनपुट 76
5 प्रतिभूति जमा और निष्पादन गारंटी 76
6 भुगतान शर्तें 77
7 मध्यस्थता 77
8 दोष देयता अवधि 77
9 संविदा को नियंत्रित करने वाले कानून 77
10 व्यावसायिक देयता 77
11 विविध प्रावधान 77
12 जॉइंट वैंचर की स्थिरता 78
खंड-VIII: संलग्न 83

संलग्न-I: निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र 84

संलग्न-II: करार प्रपत्र 86

संलग्न-III: बैंक खाते का विवरण 88

संलग्न-IV: बैंक प्रमाणन 89

संलग्न-V: निविदा स्वीकृति पत्र 90

संलग्न-VI: प्रतिभूति जमा राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र 91

खंड-I: निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय: जलमार्ग भवन, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

टेलीफोन: (0120) 2527667, 2522969 फैक्स (0120) 2522969

ईमेल: mt@iwai.gov.in

वेबसइट: www.iwai.nic.in & https://eprocure.gov.in/eprocure/app

संख्या. IWAI/NW-4/DPR/2023

निविदा आमंत्रण सूचना

क) प्रस्तावना:

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) "राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के लिए डीपीआर के अद्यतन के लिए प्रतिष्ठित परामर्शी फर्मों से दो लिफाफा प्रणालियों (लिफाफा-I: तकनीकी बोली और लिफाफा-II: वित्तीय बोली) में ऑनलाइन निविदाएं/बोलियां आमंत्रित करता है।

राज्य	एनडब्ल्यू	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	पूर्णता की अवधि
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	एनडब्ल्यू-4	एनडब्ल्यू-4 के लिए डीपीआर का अद्यतन	5.61 करोड़ (जीएसटी @ 18% सहित)	6 माह

ख) महत्वपूर्ण डेटा शीट

निविदा दस्तावेज की लागत (निविदा शुल्क): 5,000/- (केवल पांच हजार रुपये)। (जीएसटी सहित, 18% अर्थात 900/- रुपये) = कुल 5,900/- निविदा दस्तावेज आईडब्ल्यूएआई वेबसाइट से www.iwai.nic.in/www.iwai.gov.in और सीपीपी पोर्टल वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर डाउनलोड की जा सकती है। निविदा दस्तावेज की लागत आरटीजीएस के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय से पहले निम्नलिखित खाते और शाखा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

खाते का नाम	खाता संख्या	90622150000086
आईडब्ल्यूएआई निधि आंतरिक प्राप्तियां	आईएफएससी कोड	CNRB0018778

दस्तावेज़ डाउनलोड आरंभ होने की तिथि	XX.XX.2024
बोली-पूर्व प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	XX.XX.2024 1500 बजे तक
बोली-पूर्व बैठक	XX.XX.2024 1500 बजे
बोली प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि	XX.XX.2024 1500 बजे तक
बोली खोली जाने की तिथि	XX.XX.2024 1530 बजे
निविदा दस्तावेज की लागत	भारतीय रुपए 5,000 + 18% GST= Rs 5,900/-

ग) कार्य का संक्षिप्त दायरा:

आईडब्ल्यूएआई ने वर्ष 2010 में मैसर्स वैपकोस लिमिटेड के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के लिए डीपीआर तैयार की है। डीपीआर में कहा गया है कि सीमित गहराई के कारण ये अव्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। चूंकि 14 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि कार्य-क्षेत्र के निम्नलिखित संक्षिप्त डीपीआर को अपडेट किया जाए।

1. *उपलब्ध रिपोर्टों, अध्ययनों और डेटा का संग्रह और समीक्षा।*
2. *यातायात मूल्यांकन में 2047 तक राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के संबंध में यातायात सर्वेक्षण, यातायात विश्लेषण और संभावित आईडब्ल्यूटी यातायात अनुमान शामिल होंगे।*
3. *फेयरवे विकास और अनुरक्षण*
4. *नेविगेशन साधन*
5. *टर्मिनल*

6. डिजाइन जलयान आकार और प्रकार

7. जल स्तर गेज

8. एन्नोर सागर मुहाने से मुत्तुकाडु सागर मुहाने तक नदियों और बकिंघम नहर के लिए बाथमेट्रिक और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण।

9. वर्तमान वेग और निर्वहन माप

10. उपरोक्त सर्वेक्षण खंड में पानी और नीचे के नमूने

11. सुविधाएं प्रदान करने और/या सुधारने के लिए प्रारंभिक लेआउट: परामर्शदाता डीपीआर में प्रस्तावित प्रत्येक परियोजना/उप-परियोजना के लिए प्रारंभिक लेआउट, घटक/उप-घटकवार प्रदान करेगा।

12. विभिन्न खंडों के गंभीर रूप से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) की आवश्यकता।

13. विभिन्न खंडों के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) की आवश्यकता।

14. लागत अनुमान

15. आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण

16. वित्तीय योजना/ संरचना

17. विभिन्न राज्य सरकारों से नहरों के आंकड़ों का संग्रह।

18. बकिंघम नहर सहित राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के व्यापक विकास के लिए कार्गो और यात्री आवाजाही और नदी क्रूज पर्यटन में वृद्धि।

विस्तृत विचारार्थ विषय (टीओआर)/कार्य-क्षेत्र इस दस्तावेज के खंड-VI के अनुसार होगा।

घ) चयन की विधि:

बोलीदाता का चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) और इस निविदा दस्तावेज में वर्णित प्रक्रियाओं के तहत किया जाएगा।

ङ) स्पष्टीकरण:

निविदा दस्तावेज पर स्पष्टीकरण/प्रश्न, यदि कोई हो, निम्नलिखित पते से प्राप्त किया जाएगा:

सदस्य (तकनीकी)
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं.: (0120) 2527667, 2522969 फ़ैक्स **(0120) 2522969**
वेबसाइट: www.iwai.nic.in ईमेल: mt.iwai@nic.in

च) आईडब्ल्यूएआई का बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

सदस्य (तकनीकी)

आईडब्ल्यूएआई, नोएडा

खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। आईडब्ल्यूएआई की स्थापना 1986 में देश के अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करने के जनादेश के साथ की गई थी, जिन्हें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) में परिवहन का सबसे किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीका बनाने की क्षमता है। आधुनिक अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों द्वारा उपयोग के लिए विकसित किए जाने पर, यह रेल और सड़क बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरतों को कम कर सकता है, तटीय राज्यों में अधिक पूरकताओं को बढ़ावा दे सकता है, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के माध्यम से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा के लाभ के लिए परिवहन लागत को काफी कम कर सकता है।

1.2 मार्च, 2016 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है।

1.3 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा के बाद पहले चरण में आईडब्ल्यूएआई ने सभी घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों की एफएसआर तैयार की। उपलब्ध पानी की गहराई के आधार पर, राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डीपीआर तैयार की गई थी जिन्हें व्यवहार्य पाया गया था।

1.4 2008 में घोषित खंड के लिए एनडब्ल्यू 4 की डीपीआर अर्थात वजीराबाद से विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी, भद्राचलम से राजमुंदरी तक गोदावरी नदी काकीनाडा नहर (काकीनाडा-राजमुंदरी), एलुरु नहर (राजमुंदरी-विजयवाड़ा), कोम्मामुर नहर (विजयवाड़ा-पेडागंजम), बकिंघम नहर (पेडागंजम-मरक्कनम) और कालुवेल्ली टैंक (मरक्कनम-पुडुचेरी) के साथ कुल 1,078 किलोमीटर की लंबाई के लिए मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा तैयार की गई थी, जिसे मार्च, 2010 में प्रस्तुत किया गया था और अंतिम रूप दिया गया था।

1.5 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 (2016 की संख्या 17) के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-4 का विस्तार गोदावरी नदी पर नासिक तक और कृष्णा नदी पर गलागली पुल तक किया गया है। मैसर्स वाप्कोस द्वारा तैयार की गई डीपीआर को अद्यतन किया जाए क्योंकि तीव्र औद्योगिकीकरण/बैराजों के निर्माण आदि के रूप में कई परिवर्तन किए गए होते।

2. प्रस्तावना

2.1 नियोक्ता खंड-II: बोलीदाता को निर्देश (आईटीबी) के तहत खंड 16 में निर्दिष्ट चयन की विधि के अनुसार एक परामर्श फर्म/ संगठन (परामर्शदाता) का चयन करेगा।

2.2 समनुदेशन/कार्य का नाम खंड-III: डाटा शीट में उल्लिखित किया गया है: समनुदेशन/कार्य का विस्तृत दायरा खंड-VI: सन्दर्भ शर्तों में वर्णित किया गया है।

2.3 बोलियां प्रस्तुत करने की तारीख, समय और पता खंड-III: डाटा शीट में दिया गया है।

2.4 बोलीदाता अपनी बोलियों की तैयारी और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा।

2.5 नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और संविदा पंचाट से पहले किसी भी समय उसका चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे बोलीदाता को कोई दायित्व नहीं मिलता है।

3. बोलीदाता पात्रता मानदंड

बोलीदाताओं का निम्नलिखित पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

3.1 बोलीदाता अपने द्वारा निष्पादित आदेश के मूल्य को पार्टी के नाम, आदेश मूल्य, कार्य-क्षेत्र, आदेश में निर्धारित पूर्णता अवधि और वास्तविक पूर्णता अवधि/तिथि/स्थिति के विवरण के साथ इंगित करेगा। ग्राहक द्वारा अपने लेटर हेड पर प्रदान किए गए पूर्णता प्रमाणपत्र में प्रारंभ तिथि, पूरा होने की तारीख और बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्य के मूल्य का उल्लेख होना चाहिए। बोलीदाता उन कार्यों का ब्यौरा उपलब्ध करा सकता है जो काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। **"पर्याप्त रूप से पूर्ण कार्य"** का अर्थ उन कार्यों से है जहां बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक संतोषजनक ढंग से पूरे किए गए समान कार्यों का वित्तीय मूल्य आईटीबी के खंड 16.1 में निर्धारित समान कार्य आवश्यकताओं से अधिक है। कार्यों के पर्याप्त समापन को ग्राहक प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसमें कार्य का नाम, नाम और समान कार्य की सीमा, कार्य आदेश मूल्य, प्रारंभ तिथि, आज तक पूरे किए गए समान कार्य का प्रतिशत शामिल है। यदि बोलीदाता द्वारा जॉइंट वैंचर में कार्य निष्पादित किया गया था तो जॉइंट वैंचर के रूप में निष्पादित

कार्य में बोलीदाताओं के प्रतिशत हिस्से का पूर्णता प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा उप-परामर्शदाता के रूप में कार्य निष्पादित किया गया था तो बोलीदाता उसे मुख्य परामर्शदाता द्वारा प्रदान किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

3.2 बोलीदाताओं के समान कार्य निष्पादित करने के लिए दावे के लिए केवल कार्य आदेश/कार्य सौंपे जाने का पत्र/कार्य संविदा पत्र की प्रति पर्याप्त नहीं होगी। अर्हता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त धारा 3.2 में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ ग्राहक से उसके लेटर-हेड पर पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.3 पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त पिछले तीन (03) वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार आईटीबी के खंड 16.1.2 में उल्लिखित होना चाहिए। बोलीदाता सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का वित्तीय कारोबार प्रदान करेंगे।

3.4 कोई भी इकाई जिसे केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, एक सांविधिक नियोक्ता या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण एजेंसी (विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए आदि), जैसा भी मामला हो, द्वारा किसी भी परियोजना में भाग लेने से रोक अनुषंगी दिया गया है, और बोली प्रस्तुत करने की तारीख को रोक मौजूद है, बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगी।

3.5 बोलीदाता की मूल कंपनी/अनुषंगी कंपनी/सहयोगी कंपनी में समान कार्य अनुभव पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल कंपनी/अनुषंगी कंपनी/सहयोगी कंपनी बोली में भाग लेने वाले जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का हिस्सा न हो।

3.6 बोलीदाता खंड-VI के उप-खंड 6 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खंड-III डेटा शीट में उल्लिखित सभी प्रमुख कार्मिकों और गैर-महत्वपूर्ण संसाधनों की सूची प्रदान करेगा और संदर्भ शर्तें उपलब्ध कराएगा: प्रत्येक प्रमुख कार्मिक और गैर-प्रमुख संसाधन को अर्हता और अनुभव के संबंध में पात्रता की शर्तों को पूरा करना चाहिए जैसाकि खंड-VI के खंड 6.2 में उल्लिखित है।

3.7 बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों (2019-20-2021-22) के दौरान न तो किसी भी करार पर निष्पादन करने में विफल रहना चाहिए, जैसाकि एक मध्यस्थ या न्यायिक नियोक्ता द्वारा जुर्माना लगाने या बोलीदाता के खिलाफ न्यायिक घोषणा या मध्यस्थता पंचाट लगाने से स्पष्ट है, न ही किसी परियोजना या करार से निष्कासित किया गया है और न ही ऐसे बोलीदाता द्वारा उल्लंघन के लिए कोई करार समाप्त किया गया है।

3.8 बोलीदाता निम्नलिखित भी इंगित करेगा:

3.8.1 बोलीदाता के पास कार्यों के सफल निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए तथा उसका वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। बोलीदाता को भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में दर्शायी गयी न्यूनतम राशि के लिए शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.8.2 बोलीदाता आयकर निर्धारिती होगा और तदनुसार बोलीदाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए दायर आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. बोली-पूर्व बैठक

बोली-पूर्व बैठक खंड III-बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित दिनांक और समय के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को इसके संबंध में नियोक्ता को लिखित रूप से और ईमेल द्वारा पहले से सूचित किया जाना चाहिए। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए चुने गए प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या प्रति बोलीदाता दो से अधिक नहीं होगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अपने संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्राधिकरण पत्र साथ रखना चाहिए, जो प्रतिनिधियों को संबंधित बोलीदाता की ओर से बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति देता है।

बोली-पूर्व बैठक के दौरान, आवेदक स्पष्टीकरण मांगने और नियोक्ता द्वारा विचार किए जाने के लिए सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होंगे। नियोक्ता स्पष्टीकरण और ऐसी और जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा, जैसाकि वह अपने विवेकाधिकार में, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त समझे। बोलीदाता फार्म 41, खंड IV में निर्धारित प्रारूप में अपनी बोली-पूर्व पूछताछ कर सकते हैं।

5. स्पष्टीकरण और परिशिष्ट

5.1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने की तारीख से पहले खंड-III: डाटा शीट में इंगित दिनों की संख्या तक दस्तावेज़ के किसी भी खंड पर स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए कोई भी अनुरोध लिखित रूप में, या ई-मेल द्वारा नियोक्ता के पते पर खंड-III: डेटा शीट में इंगित किया जाना चाहिए।

5.2 नियोक्ता लिखित रूप में या ई-मेल द्वारा उत्तर देगा और बोलीदाताओं को प्रतिक्रिया की लिखित प्रतियां भेजेगा (प्रश्न की व्याख्या सहित लेकिन क्वेरी के स्रोत की पहचान किए बिना)। क्या नियोक्ता को स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझना चाहिए, वह यहां उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसा करेगा:

(i) बोलियाँ जमा करने से पहले किसी भी समय, नियोक्ता लिखित रूप में या ई-मेल द्वारा एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र (संशोधन) जारी करके निविदा दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन जारी करने की सूचना नियोक्ता की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगी। बोलीदाता सभी संशोधनों की प्राप्ति की पावती देंगे। बोलीदाताओं को संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, नियोक्ता, यदि संशोधन पर्याप्त है, तो बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। दस्तावेज में संशोधन/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, https://eprocure.gov.in/eprocure/app और आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट "www.iwai.nic.in" पर उपलब्ध होगा।

6. बोलियों की तैयारी

बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि बोली तैयार करते समय, वे निविदा दस्तावेज में शामिल दस्तावेजों की विस्तार से जांच करें। अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में भौतिक कमियों के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को नीचे उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

6.1 प्रतिभूति जमा राशि

6.1.1 बोलीदाता भारत सरकार के नियमों के अनुसार वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग या औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को छोड़कर खंड III डाटा शीट में उल्लिखित राशि की प्रतिभूति जमाराशि प्रस्तुत करेंगे। जॉइंट वैंचर के मामले में, प्रतिभूति जमाराशि अग्रणी सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जाएगी (आईटीबी के खंड 6.9.11 देखें)

उल्लिखित राशि की प्रतिभूति जमा राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई कोष के निम्नलिखित खाते में जमा की जाएगी:

i) बैंक खाते का नाम: आईडब्ल्यूएआई निधि

ii) बैंक का नाम और पता: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-15, नोएडा

iii) बैंक खाता संख्या: 513202050000007

iv) आईएफएससी: UBIN0551325

6.1.2 जिन बोलियों के साथ प्रतिभूति जमा राशि नहीं होगी, उन्हें गैर-उत्तरदायी मानकर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6.1.3 प्रतिभूति जमा राशि के रूप में जमा की गई राशि पर नियोक्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6.1.4 असफल बोलीदाताओं की प्रतिभूति जमा राशि संविदा पर हस्ताक्षर होने के एक माह के भीतर वापस कर दी जाएगी।

6.1.5 प्रतिभूति जमा राशि को नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित घटनाओं में जब्त कर लिया जाएगा:

(i) यदि वैधता अवधि के दौरान बोली वापस ले ली जाती है या बोलीदाता द्वारा सहमत किसी भी विस्तार के दौरान;

(ii) यदि वैधता अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान प्रस्ताव खोलने के बाद नियोक्ता को स्वीकार्य तरीके से बोली में बदलाव या संशोधन किया जाता है;

(iii) यदि बोलीदाता मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है;

(iv) यदि प्रथम रैंक बोलीदाता वार्ता के दौरान अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है (दोनों पक्षों द्वारा आम सहमति बनाने में विफलता को परामर्शदाता द्वारा प्रस्ताव को वापस लेने के रूप में नहीं माना जाएगा) ;

(v) यदि बोलीदाता ऐसी निविदा के समर्थन में किसी भी दस्तावेज के संदर्भ में गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है;

(vi) यदि बोलीदाता कार्य सौंपे जाने की प्राप्ति पर संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है;

(vii) यदि बोलीदाता संविदा की शर्तों के अनुसार प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

(viii) यदि कोई बोलीदाता नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अपनी निविदा को रद्द या वापस लेता है या उसके संबंध में किसी भी शर्तों को बदलता है, तो निविदा के साथ भुगतान की गई उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

6.2 निविदा दस्तावेज की लागत

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग या औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को छोड़कर सभी बोलीदाताओं को भारत सरकार के नियमों के अनुसार वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निविदा दस्तावेज की लागत का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से करना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज की लागत अप्रतिदेय है। जॉइंट वैंचर के मामले में, आईटीबी के खंड 6.9.11 को देखें।

i.) बैंक खाते का नाम:	आईडब्ल्यूएआई निधि
ii.) बैंक का नाम और पता	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-15, नोएडा
iii.) बैंक खाता संख्या	90622150000086
iv.) आईएफएससी	CNRB0018778

6.3 बैंक ऋण शोधन क्षमता

सभी बोलीदाता खंड III डाटा शीट में उल्लिखित राशि के लिए भारत में एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत शोधन क्षमता प्रमाणपत्र बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक (01) वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगा। यदि बोलीदाता इस मानदंड का पालन नहीं करता है, तो उसकी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आगे मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र बोलीदाता के नाम पर भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से होगा। बैंक शोधन क्षमता सर्टिफिकेट जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के किसी भी एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और बैंक शोधन क्षमता सर्टिफिकेट जमा करने वाले सदस्य का नाम जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम एग्रीमेंट में उल्लेख किया जाएगा।

6.4 कर

बोलीदाता सभी प्रकार के करों (जैसे आयकर, सीमा शुल्क, लेवी, जीएसटी और किसी भी अन्य कर) की प्रयोज्यता से पूरी तरह परिचित होंगे। ऐसे सभी कर, जैसाकि बोली प्रस्तुत करने की तारीख को प्रचलित है, को बोलीदाता द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के साथ शामिल किया जाना चाहिए, जीएसटी को छोड़कर, जिसे प्रपत्र वित्त-2 के अनुसार बोलीदाता द्वारा अलग से उद्धृत किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाए कि बोलीदाता को जीएसटी के साथ पंजीकृत होना होगा और उसी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। प्रतिपूर्ति लागू कराधान नियमों और विनियमों के अनुसार की जाएगी।

6.5 मुद्रा

बोलीदाताओं को अपने परामर्शी कार्य का मूल्य भारतीय रुपए में बताना होगा।

6.6 भाषा

बोली और साथ ही बोलीदाताओं और नियोक्ता के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले सभी-संबंधित पत्राचार अंग्रेजी भाषा में और इस निविदा दस्तावेज में संलग्न प्रारूपों के अनुसार ही होंगे। नियोक्ता केवल उन्हीं बोलियों का मूल्यांकन करेगा जो निर्दिष्ट प्रारूपों में प्राप्त हुई हैं और सभी प्रकार से पूर्ण हैं। बोलीदाता द्वारा अपनी बोली के साथ या बाद में, नियोक्ता के किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होगा और यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज किसी अन्य भाषा में है, तो उसके साथ सभी प्रासंगिक अनुच्छेदों का अंग्रेजी में सटीक अनुवाद संलग्न होना आवश्यक है और ऐसे मामले में, बोली की व्याख्या के सभी प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

6.7 बोली वैधता

खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक यह दर्शाती है कि बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ, प्रस्तुत करने की दिनांक के बाद कितने समय तक वैध रहनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय

बोली में चार्टरिंग के लिए उद्धृत राशि अपरिवर्तित रहेगी। यदि आवश्यकता पड़ी, तो नियोक्ता बोलीदाताओं से उनकी बोलियों की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। जो बोलीदाता इस तरह के विस्तार के लिए सहमत होते हैं, उन्हें पुष्टि करनी होगी कि उनकी वित्तीय बोली अपरिवर्तित रहेगी। जो बोलीदाता अपनी बोलियों की वैधता नहीं बढ़ाते हैं, आगे के मूल्यांकन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.8 बोलियों की संख्या

एक बोलीदाता, एकल इकाई या जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के रूप में केवल एक बोली प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है या उसमें भाग लेता है, तो बोलीदाता के आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6.9 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत बोलियां

6.9.1 दो या अधिक फर्मों के बीच जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बनाया जा सकता है तथा यह अधिकतम तीन फर्मों तक सीमित है।

6.9.2 जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में प्रमुख सदस्य की साझेदारी का हिस्सा सबसे अधिक होना चाहिए।

6.9.3 यदि बोलीदाता दो सदस्यों का जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम है, तो दूसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 25% होगा। यदि बोलीदाता तीन सदस्यों का जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम है, तो दूसरे और तीसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 15% होगा, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों का कुल हिस्सा 100% होगा।

6.9.4 घटक फर्मों के बीच संविदा के लिए एक संयुक्त बोली करार होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उनके बीच कार्य के निष्पादन के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह की जिम्मेदारियों के प्रस्तावित वितरण को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा (खंड IV के प्रपत्र 4झ में प्रारूप के अनुसार)। बोलीदाता को निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:

6.9.4.1 इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा जॉइंट वैंचर करार (यदि कोई हो) की एक प्रति या

6.9.4.2 बोली प्रस्तुत करते समय 100/-नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर "जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बनाने के इरादे" का एक दस्तावेजी प्रमाण। तथापि, सफल बोलीदाता को आशय-पत्र जारी करने के बाद और करार पर हस्ताक्षर करने से पहले इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुसार जॉइंट वैंचर करार की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य एक कंपनी को निगमित करेंगे और परियोजना को निष्पादित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में) के तहत पंजीकृत करेंगे, यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को सौंपा गया हो।

जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम करार करने के आशय-पत्र में कम से कम निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- लीड पार्टनर का नाम
- स्पष्ट रूप से उल्लिखित खंड 6.9.3 का पालन करने वाले जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्यों का प्रतिशत हिस्सा।
- "" सभी साझेदार संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे"

6.9.5 लीड पार्टनर के प्राधिकार का प्रमाण विधिवत नोटरीकृत पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करके किया जाएगा, जिस पर जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी भागीदारों/सदस्यों के कानूनी रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6.9.6 लीड पार्टनर को देनदारियों को वहन करने और जॉइंट वैंचर के भागीदारों की ओर से निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, चाहे संयुक्त रूप से या अलग-अलग, और संविदा का संपूर्ण निष्पादन (भुगतान सहित) विशेष रूप से प्रभारी साझेदार के माध्यम से किया जाएगा। उक्त प्राधिकार की एक प्रति इस बोली में प्रस्तुत की जाएगी।

6.9.7 किसी भी साझेदार द्वारा संविदा के अपने हिस्से के निष्पादन में चूक की स्थिति में, प्रमुख साझेदार द्वारा या प्रमुख साझेदार के चूककर्ता होने की स्थिति में, शेष जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रभारी साझेदार के रूप में नामित साझेदार द्वारा 30 दिनों के भीतर नियोक्ता को इसकी सूचना दी जाएगी। प्रभारी साझेदार उक्त नोटिस के 60 दिनों के भीतर, संविदा के उस हिस्से के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान

रूप से सक्षम पक्ष को चूककर्ता साझेदार का काम सौंप देगा, जैसाकि बोली के समय परिकल्पित है। उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफलता संविदा की शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा संविदाकार को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगी। यदि अर्हता को मंजूरी देने वाले संचार में इस प्रकार परिभाषित प्रमुख साझेदार चूक करता है, तो इसे संविदाकार की चूक माना जाएगा और नियोक्ता संविदा की शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई करेगा।

6.9.8 उपर्युक्त उप-खण्ड 6.9.7 में उल्लिखित अनुसार नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान रूप से सक्षम पक्ष को चूककर्ता साझेदार की जिम्मेदारियां सौंपने की अनुमति के बावजूद, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी साझेदार संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन और/या कार्यों के संतोषजनक समापन के लिए पूर्ण और अविभाजित जिम्मेदारी बनाए रखेंगे।

6.9.9 प्रस्तुत बोली में आईटीबी के खंड 10.1 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकता के अनुसार जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य की सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।

6.9.10 प्रमुख सदस्य के पास जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में कि ऊपर के खंड 6.9.3 में निर्धारित हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसे खंड IV: प्रपत्र 4झ में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तावित जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना चाहिए। तथापि, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों को संयुक्त रूप से आईटीबी के खंड 16.1 में निर्धारित समग्र अर्हता मानदंडों को पूरा करना होगा।

6.9.11 जॉइंट वैंचर की स्थिरता के लिए, संविदा के मानक रूप के खंड 12 को देखें।

7. हितों का टकराव

7.1 नियोक्ता चाहता है कि चयनित बोलीदाता ("संविदाकार") व्यवसायिक, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सलाह प्रदान करे और हमेशा नियोक्ता के हितों को सर्वोपरि रखे, अन्य समनुदेशन/कार्य या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचें और भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करता है।

7.2 पूर्वोक्त की व्यापकता पर बिना किसी सीमा के, नीचे दी गई किसी भी परिस्थिति में बोलीदाताओं और उनके किसी भी सहयोगी को हितों के टकराव में माना जाएगा और उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा:

(क) परस्पर विरोधी गतिविधियाँ: एक फर्म या उसके किसी भी सहयोगी जो नियोक्ता द्वारा किसी परियोजना के लिए परामर्श समनुदेशन/नौकरी के अलावा सामान, कार्य या समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने के लिए लगाए गए हैं, उन्हें उन सामान, कार्यों या समनुदेशन/नौकरियों से संबंधित परामर्श समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके विपरीत, एक फर्म या उसके किसी भी सहयोगी को जिसे किसी परियोजना की तैयारी या कार्यान्वयन के लिए परामर्श समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने के लिए काम पर रखा गया है, और उसके किसी भी सहयोगी को बाद में ऐसी तैयारी या कार्यान्वयन के लिए परामर्श समनुदेशन/नौकरी से उत्पन्न या सीधे संबंधित फर्मों से संबंधित सामान या कार्य या समनुदेशन/नौकरी प्रदान करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, परामर्श समनुदेशन/नौकरी के अलावा अन्य समनुदेशन/नौकरी को एक औसत दर्जे का भौतिक उत्पादन के लिए अग्रणी के रूप में परिभाषित किया गया है; उदाहरण के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, हवाई फोटोग्राफी, उपग्रह इमेजरी आदि।

(ख) परस्पर विरोधी समनुदेशन/नौकरी: एक परामर्शदाता {अपने कार्मिक और उप-परामर्शदाता (ओं) सहित} या उसके किसी भी सहयोगी को किसी भी समनुदेशन/नौकरी के लिए काम पर नहीं रखा जाएगा जो इसकी प्रकृति से उसी के लिए या किसी अन्य नियोक्ता के लिए निष्पादित किए जाने वाले परामर्शदाता के किसी अन्य समनुदेशन/नौकरी के साथ संघर्ष में हो सकता है, उदाहरण के लिए एक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने के लिए काम पर रखा गया एक परामर्शदाता एक ही परियोजना और एक परामर्शदाता के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण मूल्यांकन तैयार करने के लिए संलग्न नहीं किया जाएगा सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण में एक नियोक्ता की सहायता करना ऐसी परिसंपत्तियों के खरीदारों को खरीद या सलाह नहीं देगा।

(ग) टकराव पूर्ण संबंध: किसी परामर्शदाता (उसके कार्मिकों और उप-परामर्शदाता सहित) का नियोक्ता के स्टाफ के किसी सदस्य के साथ व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध होना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (i) समनुदेशन/कार्य के संदर्भ शर्तों की तैयारी (ii) ऐसे समनुदेशन/कार्य के लिए चयन प्रक्रिया या (iii) संविदा के पर्यवेक्षण के किसी भी खंड में शामिल है, उसे तब तक संविदा नहीं दिया जा सकता है जब तक कि इस संबंध से उत्पन्न विवाद को चयन प्रक्रिया और संविदा के निष्पादन के दौरान नियोक्ता को स्वीकार्य तरीके से हल नहीं कर लिया जाता है।

7.3 परामर्शदाता का दायित्व है कि वे वास्तविक या संभावित टकराव की ऐसी किसी भी स्थिति का प्रकटन करें जो उनके नियोक्ता के सर्वोत्तम हित की सेवा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है, या जिसे उचित रूप से ऐसा प्रभाव माना जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रकटन तकनीकी प्रस्ताव के मानक रूपों के अनुसार किया जाएगा। यदि संविदाकार उक्त स्थितियों का प्रकटन करने में विफल रहता है और यदि नियोक्ता को किसी भी समय ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में पता चलता है, तो बोली प्रक्रिया के दौरान संविदाकार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या समनुदेशन के निष्पादन के दौरान उसके संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

7.4 नियोक्ता की कोई भी एजेंसी या मौजूदा कर्मचारी अपने मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के अंतर्गत परामर्शदाता के रूप में काम नहीं करेंगे।

8. बोलीदाताओं द्वारा पावती

यह माना जाएगा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करके बोलीदाता ने:

8.1 इस निविदा की पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक जांच की है;

8.2 नियोक्ता से सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की है;

8.3 प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित सभी मामलों और आवश्यक जानकारी के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;

8.4 यह स्वीकार किया है कि इसमें हितों का टकराव नहीं है; और

8.5 इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपने द्वारा दिए गए वचन से बाध्य होने पर सहमत है।

9. बोलियों की ई-प्रस्तुतिकरण हेतु दिशानिर्देश

9.1 बोलियां ई-प्रापण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद **https://eprocure.gov.in/eprocure/app_**के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9.2 ई-निविदा के लिए वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) रखना और ई-अधिप्राप्ति/ई-निविदा पोर्टल पर परामर्शदाताओं/बोलीदाताओं का नामांकन/पंजीकरण एक पूर्वापेक्षा है।

9.3 बोलीदाता को होम पेज पोर्टल पर उपलब्ध https://eprocure.gov.in/eprocure/app विकल्प "यहां नामांकन करें" का उपयोग करके ई-प्रापण साइट में नामांकन करना चाहिए। नामांकन नि: शुल्क है। नामांकन/पंजीकरण के दौरान, बोलीदाताओं को वैध ई-मेल आईडी सहित सही/सही सूचना प्रदान करनी चाहिए। सभी पत्राचार सीधे परामर्शदाताओं/बोलीदाताओं के साथ प्रदान की गई ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा।

9.4 बोलीदाताओं को नामांकन/पंजीकरण के दौरान चुने गए अपने यूजर आईडी/पासवर्ड के माध्यम से साइट पर लॉगिन करना होगा।

9.5 फिर SIFY/TCS/नोड/eMudra या ई-टोकन/स्मार्ट कार्ड पर सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन नियोक्ता द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर प्रमुख उपयोग के साथ कक्षा-II या श्रेणी-III प्रमाणपत्र) पंजीकृत होना चाहिए।

9.6 बोलीदाता द्वारा केवल पंजीकृत डीएससी का उपयोग किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिभूति जमा सुनिश्चित करनी चाहिए।

9.7 परामर्शदाता/बोलीदाता साइट पर प्रकाशित निविदाओं को पढ़ सकते हैं और अपेक्षित निविदा दस्तावेज/अनुसूचियां डाउनलोड कर सकते हैं जिनमें बोलीदाता की रुचि है।

9.8 निविदा दस्तावेज/अनुसूचियां डाउनलोड करने/प्राप्त करने के बाद, बोलीदाता को सावधानीपूर्वक उनकी जांच करनी चाहिए और फिर पूछे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए।

9.9 यदि कोई स्पष्टीकरण हैं, तो यह निविदा साइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, या खंड-III: डेटा शीट में निर्दिष्ट संपर्क विवरण के माध्यम से। बोलीदाता को ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने से पहले प्रकाशित अनुशिष्ट/शुद्धिपत्र को भी ध्यान में रखना चाहिए।

9.10 फिर बोलीदाता नामांकन/पंजीकरण के दौरान चुने गए यूजर आईडी/पासवर्ड देकर और फिर डीएससी तक पहुंचने के लिए ई-टोकन/स्मार्ट कार्ड का पासवर्ड देकर सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से साइट में लॉग इन कर सकता है।

9.11 बोलीदाता खोज विकल्प का उपयोग करके उस निविदा का चयन करता है जिसमें वह रुचि रखता है और फिर इसे 'मेरे पसंदीदा' फ़ोल्डर में ले जाता है।

9.12 पसंदीदा के फ़ोल्डर से, वह इंगित किए गए सभी विवरणों को देखने के लिए निविदा का चयन करता है।

9.13 यह माना जाता है कि बोलीदाता ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है। बोलीदाता को निविदा अनुसूची के माध्यम से सावधानीपूर्वक जाना चाहिए और पूछे गए दस्तावेजों को अपलोड करना चाहिए; अन्यथा, बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

9.14 बोलीदाता, अग्रिम रूप से, निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को तैयार कर लेना चाहिए और आम तौर पर, वे सामान्य पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। यदि एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है और अनुरोधित प्रारूप में प्रदान किया जा सकता है जैसाकि खंड-III: डेटा शीट में निर्दिष्ट है। ऑनलाइन अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज़ 2 एमबी से कम होना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज़ 2 एमबी से अधिक है, तो इसे ज़िप/आरएआर के माध्यम से कम किया जा सकता है और यदि अनुमति हो तो इसे अपलोड किया जा सकता है।

9.15 बोलीदाता माई स्पेस विकल्प के तहत प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट विवरण आदि जैसे दस्तावेजों को अग्रिम रूप से अपडेट कर सकते हैं और इन्हें निविदा आवश्यकताओं के अनुसार चुना जा सकता है और फिर बोली प्रस्तुत करने के दौरान बोली दस्तावेजों के साथ भेजा जा सकता है। यह बोली जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलियों के अपलोड समय को कम करके इसे तेज कर देगा।

9.16 बोलीदाता को खंड-III: डाटा शीट में निर्दिष्ट राशि के लिए निविदा दस्तावेज/प्रतिभूति जमाराशि की लागत प्रस्तुत करनी चाहिए। मूल भुगतान लिखतों को इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियत तारीख के भीतर नियोक्ता को व्यक्तिगत रूप से पोस्ट/कूरियर किया जाना चाहिए/दिया जाना चाहिए। उपकरण की स्कैन की गई प्रति को प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए, यदि पूछा जाए।

9.17 ऑनलाइन बोलियां जमा करते समय, बोलीदाता को नियम और शर्तों को स्वीकार करना चाहिए और बोली पैकेट जमा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

9.18 बोलीदाता को लागू निविदा दस्तावेज/प्रतिभूति जमाराशि की लागत का भुगतान करने के लिए ऑफ़लाइन भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरणों का विवरण दर्ज करना होगा।

9.19 डीडी/भौतिक रूप से भेजे गए किसी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली प्रस्तुत करने के समय के दौरान दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए। अन्यथा प्रस्तुत बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

9.20 बोलीदाता को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने होंगे और संकेत के अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। बोलीदाताओं को यह नोट करना चाहिए कि बोलियों को डाउनलोड करने और उनके प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए डीएससी का उपयोग करने का कार्य इस बात की पुष्टि माना जाएगा कि उन्होंने बिना किसी अपवाद के संविदा की शर्तों सहित बोली दस्तावेज के सभी वर्गों और पृष्ठों को पढ़ लिया है और पूरे दस्तावेज को समझ लिया है और निविदा आवश्यकताओं की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट हैं।

9.21 बोलीदाता को कवर सामग्री में दर्शाई गई आवश्यक प्रासंगिक फाइलों को अपलोड करना होगा। किसी भी अप्रासंगिक फाइल के मामले में, बोली स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दी जाएगी।

9.22 यदि मूल्य बोली प्रारूप BoQ_xxxx.xls जैसी स्प्रेड शीट फ़ाइल में प्रदान किया गया है, तो प्रस्तावित दरों को केवल आवंटित स्थान में दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित कॉलम भरने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए। मूल्य बोली/बीओक्यू टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए; अन्यथा प्रस्तुत बोली इस निविदा के लिए अस्वीकार कर दी जाएगी।

9.23 बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय (सर्वर सिस्टम घड़ी के अनुसार) से काफी पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) को ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से बोलियां प्रस्तुत करें। टीआईए को किसी भी प्रकार की देरी या ग्यारहवें घंटे में बोलीदाताओं द्वारा बोलियों के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

9.24 बोली प्रस्तुत करने के बाद, ई-निविदा प्रणाली द्वारा दी गई पावती संख्या को बोलीदाता द्वारा मुद्रित किया जाना चाहिए और विशेष निविदा के लिए बोली के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य के रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए और बोली खोलने की तारीख में भाग लेने के लिए प्रवेश पास के रूप में भी कार्य करेगा।

9.25 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत किए गए बोली दस्तावेज वायरस से मुक्त हैं और यदि निविदा खोलने के दौरान वायरस के कारण दस्तावेज नहीं खोले जा सके तो बोली अस्वीकृत किए जाने की संभावना है या उत्तरदायी है।

9.26 सर्वर साइड में तय की गई और निविदा साइट के शीर्ष पर प्रदर्शित समय सेटिंग्स, ई-निविदा प्रणाली में अनुरोध, बोली जमा करने, बोली खोलने आदि के सभी कार्यों के लिए मान्य होगी। बोली लगाने वालों को बोली प्रस्तुत करते समय इन समय सेटिंग्स का पालन करना चाहिए।

9.27 बोलीदाताओं द्वारा दर्ज किए जा रहे सभी डेटा को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किया गया डेटा बोली प्रस्तुत करने के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा देखने योग्य नहीं होगा और बोली खोलने के समय तक किसी के द्वारा भी देखने योग्य नहीं होगा।

9.28 सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज़ सिस्टम जनित सममित प्रमुख का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। इसके अलावा, यह प्रमुख खरीदारों/बोली सलामी बल्लेबाज की सार्वजनिक प्रमुख का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोले जाने के बाद ही पठनीय होते हैं।

9.29 बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है क्योंकि सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है।

9.30 बोलीदाता को ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध सामान्य लॉगआउट विकल्प का उपयोग करके निविदा प्रणाली से लॉगआउट करना चाहिए न कि ब्राउज़र में (X) निकास विकल्प का चयन करके।

9.31 निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए नियोक्ता को आमंत्रित करने वाले निविदा या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।

9.32 ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है। हेल्पडेस्क का संपर्क नंबर 1800 233 7315 है।

10. बोलियों का प्रस्तुतीकरना

निविदा दस्तावेज और बयाना राशि की लागत के संबंध में मूल लिखतों की हार्ड कॉपी बोली समापन तिथि और समय पर या उससे पहले सदस्य (तकनीकी) के कार्यालय में वितरित की जानी चाहिए। मूल भुगतान लिखतों की हार्ड कॉपी के बिना प्रस्तुत ऑनलाइन बोलियां अर्थात निविदा दस्तावेज शुल्क और प्रतिभूति जमाराशि स्वचालित रूप से अपात्र हो जाएंगे और उन पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा दस्तावेज की लागत गैर-वापसी योग्य होगी।

सभी प्रकार से पूर्ण तकनीकी और वित्तीय बोलियां नीचे दिए गए अनुक्रम के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलियां दो कवर में प्रस्तुत की जानी चाहिए:

10.1 लिफाफा-I: तकनीकी बोली

10.1.1 अनुलग्नक-I

क. खंड-III में निर्दिष्ट निविदा दस्तावेज की लागत के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति: डाटा शीट

ख. खंड-III में निर्दिष्ट प्रतिभूति जमाराशि के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति: डेटा शीट

ग. खंड-III में निर्दिष्ट राशि के लिए बैंक शोधन क्षमता का प्रमाण: डाटा शीट

घ. निविदा स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति विधिवत भरी हुई और संलग्न-V के अनुसार बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित

ङ. निविदा के प्रपत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रपत्र 4क)

च. बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कॉपी (प्रपत्र 4छ)

छ. प्रपत्र 4डी के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी। इस फार्म के साथ कंपनी के पहचान पत्र अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामान्य पहचान पत्र (पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र आदि) की प्रति संलग्न की जाएगी।

ज. बोलीदाता जानकारी प्रपत्र (प्रपत्र 4ज)

झ. संगठन की संरचना/स्वामित्व/शेयरधारिता पैटर्न

ञ. बोर्ड संकल्प, शीर्ष प्रबंधन (बोर्ड के सदस्यों) का विवरण, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमुख अधिकारी, कंपनी के एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन/

ट. कंपनी/फर्म का पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र।

ठ. आज की तारीख तक जारी किए गए सभी परिशिष्टों और शुद्धिपत्रों के साथ मूल निविदा दस्तावेज पर बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहर और हस्ताक्षर किए गए हों।

ड. प्रपत्र 4ञ के अनुसार जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी

10.1.2 अनुलग्नक-II

क. पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2020-21 से 2023-24 के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की स्कैन की गई प्रति।

ख. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी।

ग. बोलीदाता के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति।

घ. औसत वार्षिक कारोबार के लिए प्रपत्र 4ग

ङ. ई-भुगतान के माध्यम से लेनदेन के लिए रद्द किए गए चेक के साथ बैंक खाते के विवरण की स्कैन की गई कॉपी संलग्न-III और संलग्न-IV में दिए गए प्रारूप में।

च. अखंडता समझौता

10.1.3 अनुलग्नक-III

संपूर्ण कंपनी प्रोफ़ाइल की स्कैन की गई प्रति जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हों:

क. संगठन की पृष्ठभूमि

ख. पिछले सात वर्षों (2017-18 से 2023-24) में बोलीदाता द्वारा निष्पादित इसी तरह की परियोजनाओं के लिए ग्राहक पत्र शीर्ष पर पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां। प्रस्तुत प्रमाणपत्र आईटीबी (बोलीदाता पात्रता मानदंड) के खंड 3 में रखी गई शर्तों का पालन करेंगे, ऐसी पात्र परियोजनाओं को प्रपत्र 4 ख में आपूर्ति की जाएगी

ग. चल रहे काम के मामले में मूल्य और स्थिति (जमा करने तक पूरा किया गया%) के साथ कार्य आदेश/करार की प्रतियां प्रपत्र-4च के अनुसार ऑन-गोइंग समनुदेशन के प्रमाण के रूप में अलग से प्रस्तुत की जाएंगी

घ. बोलीदाता का प्रासंगिक अनुभव प्रपत्र 4एम के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है

10.1.4 अनुलग्नक-IV

क. विचारार्थ विषय में सूचीबद्ध कार्य-क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित की स्कैन की गई प्रतियां:

(i) कार्य के प्रति दृष्टिकोण और अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, और

(ii) विस्तृत कार्य योजना

ख. विशेषज्ञों/प्रमुख कार्मिकों की सूची की स्कैन की गई प्रति (प्रपत्र 4ङ) पूर्ण हस्ताक्षरित सीवी के साथ, निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करते हुए:

(i) प्रमुख कार्मिक फर्म का स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारी होना चाहिए।

(ii) बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना है कि प्रमुख कार्मिकों के लिए आवंटित समय किसी अन्य समनुदेशन के लिए आवंटित समय के साथ संघर्ष नहीं करता है। नियोक्ता प्रमुख कार्मिकों के लिए कार्यभार प्रक्षेपण (अन्य परियोजनाओं/ग्राहकों पर खर्च किए गए समय सहित) का अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iii) प्रस्तावित टीम की संरचना और व्यक्तिगत कार्मिकों को कार्य समनुदेशन स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

(iv) प्रमुख कार्मिक निविदा दस्तावेज में दर्शाई गई अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे

(v) किसी भी प्रमुख कार्मिक के लिए कोई वैकल्पिक बोली नहीं लगाई जाएगी और प्रत्येक पद के लिए केवल एक सीवी प्रस्तुत किया जाएगा

(vi) प्रत्येक सीवी पर प्रमुख कार्मिक और बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मूल हस्ताक्षर होंगे। सीवी पर स्कैन किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नियोक्ता किसी भी सीवी के प्रतिस्थापन की मांग कर सकता है जो निविदा दस्तावेज में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(vii) एक सीवी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा यदि प्रस्तावित प्रमुख कार्मिक की शैक्षिक अर्हता निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यकता से मेल नहीं खाती है।

(viii) नियोक्ता परियोजना के किसी भी चरण में आयु, अर्हता और अनुभव के प्रमाण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ix) चूंकि प्रमुख कामकों के प्रतिस्थापन से बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन की चिन्हांकन प्रभावित होती है, इसलिए बोलीदाता कड़ाई से यह टिप्पणी करेंगे कि बोली लगाते समय परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित मुख्य कामकों से संविदा पर हस्ताक्षर करते समय परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तावित मुख्य कामकों में कोई प्रतिस्थापन/परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी कारण से यदि बोलीदाता प्रमुख कार्मिकों के प्रतिस्थापन में संलग्न होता है, तो प्रतिस्थापित कार्मिकों के कुल पारिश्रमिक से 10% की कटौती की जाएगी।

(x) कार्य के निष्पादन के दौरान, प्रमुख कार्मिकों का प्रतिस्थापन केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के आधार पर होगा या यदि कार्मिक परामर्शदाता के लिए काम करना बंद कर देता है और अब परामर्शदाता का कर्मचारी नहीं है। परामर्शदाता नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना किसी भी प्रमुख कार्मिकों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। यदि परामर्शदाता ऐसी गतिविधि में संलग्न होता है अर्थात नियोक्ता की पूर्व सहमति के साथ या उसके बिना प्रमुख कार्मिकों का प्रतिस्थापन, तो इस तरह की कार्रवाई प्रतिस्थापित कार्मिकों के पारिश्रमिक के 5% की कटौती को आकर्षित करेगी। तथापि, यदि प्रतिस्थापन कार्मिकों के स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है तो कोई कटौती नहीं होगी। परामर्शदाता स्वास्थ्य आधार पर प्रतिस्थापित किए जाने वाले ऐसे कार्मिकों का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

यह नोट किया जाए कि तकनीकी बोली में परामर्श शुल्क का कोई संदर्भ नहीं होगा।

10.2 आवरण-II: वित्तीय बोली

प्रपत्र वित्त-2 के रूप में इस निविदा के साथ प्रदान किए गए एक्सेल प्रारूप (BoQ_1) में वित्तीय बोली का उपयोग मूल्यों/प्रस्ताव को उद्धृत करने के लिए किया जाएगा।

(i) इसमें कार्य पूरा करने के लिए लिया जाने वाला परामर्श शुल्क शामिल होगा।

(ii) परामर्श शुल्क की गणना करते समय, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

(क) बोलीदाताओं को इस परियोजना को सौंपे गए अपने कार्मिकों के परिवहन/आवास/टीए/डीए के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उद्धृत मूल्य में बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों का विभिन्न कार्यालयों और बैठकों के लिए अन्य स्थानों का दौरा, आंकड़ा संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, लोक परामर्श, सचिवीय स्टाफ, उनका वेतन, भत्ते, उपरि व्यय आदि भी शामिल होंगे।

(ख) संविदा के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा अथवा किसी अन्य कारण से देय सभी शुल्कों, करों, रॉयल्टी और अन्य उद्ग्रहणों को बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों, मूल्यों और कुल बोली मूल्य में शामिल किया जाएगा, सिवाय सेवा कर के जिसे फार्म फिन-2 में प्रारूप के अनुसार अलग से उद्धृत किया जाएगा और जिसकी प्रतिपूत भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर बोलीदाता को की जाएगी। बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें और मूल्य संविदा की अवधि के लिए निर्धारित किए जाएंगे और किसी भी समायोजन के अधीन नहीं होंगे। बोली लगाने वाले द्वारा कीमतें पूरी तरह से भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। सभी भुगतान भारतीय रुपये (भारतीय रुपए) में किए जाएंगे।

10.3 परामर्श सेवाओं की कुल अवधि खंड-III: डाटा शीट में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

11. बोली प्रस्तुतीकरन तिथि का विस्तार

नियोक्ता एक परिशिष्ट जारी करके और उसे नियोक्ता की वेबसाइट पर अपलोड करके बोलियां प्रस्तुत करने के दिनांक को बढ़ा सकता है।

12. विलम्बित प्रस्ताव

उपर्युक्त खण्ड-11 के अनुसार, निर्दिष्ट बोली प्रस्तुतीकरण दिनांक एवं समय या उसके किसी विस्तार के बाद प्राप्त ऑनलाइन प्रस्तावों पर, नियोक्ता द्वारा मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13. नियोक्ता का दायित्व

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोलियाँ ऑनलाइन जमा करने के लिए अंतिम समय की हड़बड़ी से बचें और उन्हें बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही अपनी बोलियाँ अपलोड कर देनी चाहिए। नियोक्ता बोलीदाता द्वारा बोलियों को ऑनलाइन जमा करने में किसी भी कारण से हुई विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह माना जाएगा कि आईटीबी के खंड 9 के तहत उल्लिखित बोलियों को ऑनलाइन जमा करने के दिशा-निर्देशों को बोलीदाता द्वारा पढ़ और समझ लिया गया है।

14. बोलियों का संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी

प्रस्तुत की गई निविदा को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पहले बोलीदाताओं द्वारा संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस लिया जा सकता है।

बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस नहीं किया जाएगा।

15. बोली खोलना और मूल्यांकन प्रक्रिया

15.1 प्रस्ताव खोले जाने के समय से लेकर संविदा दिए जाने तक, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावों की जांच, मूल्यांकन, रैंकिंग और संविदा देने की सिफारिश में नियोक्ता को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास बोलीदाताओं के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।

15.2 नियोक्ता एक निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) का गठन करेगा, जो मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करेगी।

15.3 ऑनलाइन बोली खोलने का काम दो चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले, प्राप्त सभी ऑनलाइन बोलियों की 'तकनीकी बोली' खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित दिनांक और समय पर खोली जाएगी। जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोली उत्तरदायी पाई गई है और मूल्यांकन के आधार पर निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, उनकी 'वित्तीय बोली' को बाद की दिनांक पर खोला जाएगा, जिसकी सूचना ऐसे बोलीदाताओं को दी जाएगी। यदि बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट दिनांक को नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर नियत समय और स्थान पर खोली जाएँगी। जिन बोलियों के लिए उपरोक्त खंड-14 के अनुसार वापसी की सूचना प्रस्तुत की गई है, उन्हें नहीं खोला जाएगा।

15.4 टीईसी तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन टीओआर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर और आईटीबी के खंड-3 और 16 में निर्दिष्ट पात्रता और मूल्यांकन मानदंड, उप-मानदंड लागू करके करेगा। मूल्यांकन के पहले चरण में, यदि कोई प्रस्ताव दोषपूर्ण पाया जाता है या आईटीबी के खंड-3 और 16.1 में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल उत्तरदायी प्रस्तावों को ही मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

एक बोली को केवल तभी उत्तरदायी माना जाएगा यदि:

15.4.1 यह बोली प्रस्तुत करने की दिनांक और समय तक प्राप्त हो, जिसमें उपरोक्त खंड-11 के अनुसार कोई विस्तार भी शामिल है;

15.4.2 इसके साथ उपरोक्त खंड 6.1 में निर्दिष्ट बोली-प्रतिभूति संलग्न है;

15.4.3 यह खंड-IV (तकनीकी प्रस्ताव) और खंड-V (वित्तीय प्रस्ताव) में निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्राप्त हो;

15.4.4 इसमें कोई शर्त, अर्हता या सुझाव नहीं हो; और

15.4.5 यह आईटीबी के खंड 3 और 16.1 में निर्धारित पात्रता और अर्हता मानदंडों को पूरा करती हो.

15.5 जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियाँ उत्तरदायी पाई जाती हैं और मूल्यांकन के आधार पर निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं ,नियोक्ता उन बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियों के खुलने की दिनांक, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा। इस प्रकार सूचित किए गए बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि वित्तीय बोलियों को ऑनलाइन खोले जाने की बैठक में भाग ले सकते हैं।

15.6 'वित्तीय बोलियों' को ऑनलाइन खोले जाने के समय, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के नाम, बोली की कीमतें, प्रत्येक बोली की कुल राशि तथा अन्य ऐसे विवरण जिन्हें नियोक्ता उचित समझे, उसे नियोक्ता द्वारा घोषित किया जाएगा।

15.7 बोलीदाता यदि आवश्यक समझे तो वित्तीय बोली खोलने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। ऐसे प्रतिनिधि के पास बोलीदाता की ओर से बोली खोले जाने के लिए उपस्थित होने का प्राधिकरण पत्र होना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता वित्तीय बोली खोलने में भाग लेने के लिए अपनी ओर से एक प्रतिनिधि भेजता है, तो यह माना जाएगा कि प्रतिनिधि के पास बोलीदाता का अधिकार है।

16. बोली मूल्यांकन

16.1 अर्हता मानदंड

इस निविदा के लिए अर्हता मानदंड और बोली मूल्यांकन अर्हता प्राप्त करने के लिए, बोलीदाता को नीचे आईटीबी के खंड 16.1.1 से 16.1.4 में निर्धारित प्रत्येक अर्हता मानदंड को पूरा करना होगा। किसी भी अर्हता मानदंड को पूरा न करने पर बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ नहीं खोली जाएँगी।

16.1.1 परामर्श सेवाओं के लिए अर्हता मानदंड

बोलीदाता को नीचे निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार बोली जमा करने की अंतिम तिथि से समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों (2017-18 से 2023-24) में सफलतापूर्वक और/या पर्याप्त रूप से "समान कार्य" पूरा करना चाहिए:

(i) इसी प्रकार के तीन कार्य पूरे किए गए हैं जो इस कार्य की अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं हैं अर्थात् 1.90 करोड़ भारतीय रुपए या,

(ii) इसी प्रकार के दो कार्य पूरे किए गए हैं जो इस कार्य की अनुमानित लागत के 50% से कम नहीं हैं अर्थात् 2.40 करोड़ भारतीय रुपए या,

(iii) इसी प्रकार का एक कार्य पूरा किया गया जो इस कार्य की अनुमानित लागत अर्थात् 80% से कम नहीं है। 3.80 करोड़ भारतीय रुपए या,

इस उद्देश्य के लिए, **"समान कार्य"** का अर्थ है आईडब्ल्यूटी/बंदरगाहों/शिपिंग क्षेत्र के लिए डीपीआर/एफएसआर तैयार करना। पर्याप्त रूप से पूरे किए गए कार्य वे हैं जो विचारार्थ विषय और संविदा मूल्य के संदर्भ में 75% पूर्ण हैं।

16.1.2 पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए औसत वाषक कारोबार के लिए अर्हता मानदंड। 2021-22 से 2023-24

पिछले 3 वित्तीय वर्षों अर्थात 2021-22 से 2023-24 के लिए परामर्श सेवाओं से बोलीदाता का औसत वार्षिक कारोबार 1.42 करोड़ भारतीय रुपए का कम से कम 30% होना चाहिए।

16.1.3 कार्य योजना और कार्यप्रणाली विवरण के लिए अर्हता मानदंड

i. बोलीदाता बार चार्ट फार्मेट में अनुसूची और कार्य के प्रति दृष्टिकोण दर्शाते हुए कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।

ii. बोलीदाता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत पद्धति और कार्य-क्षेत्र के अनुसार कवर की जाने वाली अन्य प्रासंगिक आवश्यकताओं को प्रस्तुत करेगा।

16.1.4 यदि कोई बोलीदाता उपर्युक्त न्यूनतम अर्हता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो तकनीकी मूल्यांकन के लिए आगे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और ऐसी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।

16.2 तकनीकी मूल्यांकन

16.2.1 तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित बिंदु निम्नानुसार होंगे:

विस्तृत अंकन योजना

पहले चरण में, तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदाता के अनुभव और उसके प्रमुख कार्मिकों के अनुभव के आधार पर किया जाएगा। केवल वे बोलीदाता जिनकी तकनीकी बोली 100 में से 70 अंक या उससे अधिक प्राप्त करती है, आगे विचार के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे और उनके तकनीकी स्कोर (एसटी) के आधार पर उच्चतम से निम्नतम रैंक किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग मानदंड निम्नानुसार होंगे।

तालिका 1: सामान्य मूल्यांकन मानदंड

मद कोड	मानदंड	अधिकतम अंक
1	बोलीदाता का प्रासंगिक अनुभव	**30**
2	प्रस्तावित कार्यप्रणाली और कार्य योजना	**20**
3	कार्य के लिए प्रमुख कर्मचारियों की अर्हता और क्षमता	**50**
	कुल योग	**100**

तालिका 2: समनुदेशन के लिए फर्म के प्रासंगिक अनुभव के लिए मानदंड (पिछले सात (7) वर्षों में)-30 अंक

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	फर्म की स्थापना का वर्ष	**15**
	1क. स्थापना 1 से 4 वर्ष	5
	1ख. स्थापना 4 से 7 वर्ष	10
	1ग. स्थापना 7 वर्ष से अधिक	15
2	आईडब्ल्यूटी/बंदरगाह/शिपिंग क्षेत्र के संबंध में डीपीआर तैयार करना	**15**
	2क. एक डीपीआर	5
	2ख. दो डीपीआर	10
	2ग. तीन डीपीआर	15

तालिका 3: संदर्भ शर्तों के उत्तर में प्रस्तावित दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की पर्याप्तता:-20 अंक

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	**दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की गुणवत्ता (सर्वेक्षण योजना सहित)**	**10**
2	**कार्य योजना**	**10**

तालिका 4: समनुदेशन के लिए प्रमुख पेशेवरों की अर्हता और क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। विभिन्न प्रमुख कर्मचारियों के लिए वजन आयु निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रमुख व्यवसायिक	आवश्यक अर्हता	संख्या
1.	जलमार्ग विशेषज्ञ (टीम लीडर)	10	1
2	परामर्शदाता (सिविल)	6	1
3.	रिमोट सेंसिंग/जीआईएस विशेषज्ञ	6	1
4.	बाढ़ मैदान विशेषज्ञ	6	1
5.	हाइड्रोग्राफिक विशेषज्ञ	6	1
6.	मृदा अभियंता/फाउंडेशन अभियंता	6	1
7.	यातायात सर्वेक्षक	5	1
8.	परिवहन अर्थशास्त्री	5	1

टिप्पणी: यदि सीवी में प्रस्तावित प्रमुख कार्मिक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके सीवी के समग्र स्कोर का मूल्यांकन शून्य के रूप में किया जाएगा। ऐसे सभी प्रमुख कार्मिक (जिनका सीवी स्कोर 75% से कम है या जो न्यूनतम अर्हता को पूरा नहीं करते हैं) को फर्म द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। ऐसे कामकों के प्रतिस्थापन के लिए एल-1 फर्म को सूचित किया जाएगा और निविदा मानदण्डों को पूरा करने के लिए सीवी प्राप्त होने के बाद कार्य सौंपा जाएगा।

1.1. बोलीदाताओं की शॉर्टलिस्टिंग

तकनीकी स्कोर (एसटी) के आधार पर रैंक किए गए बोलीदाताओं को पांच से अधिक नहीं पूर्व-अर्हता प्राप्त होगी और दूसरे चरण में मूल्य मूल्यांकन के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा। तथापि, यदि ऐसे पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है तो आईडब्ल्यूएआई अपने विवेकाधिकार से उन बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को पूर्व-अर्हता प्राप्त करता है जिनका तकनीकी स्कोर 60 अंकों से कम है बशर्ते कि ऐसी स्थिति में पूर्व-अर्हता प्राप्त और चुने गए बोलीदाताओं की कुल संख्या दो से अधिक न हो।

1.2. मूल्य बोली का मूल्यांकन

दूसरे चरण में, मूल्य मूल्यांकन किया जाएगा जहां प्रत्येक मूल्य बोली को मूल्य स्कोर (एसपी) सौंपा जाएगा।
मूल्य मूल्यांकन के लिए, प्रतिशत के रूप में मूल्य बोली में दर्शाई गई कुल लागत पर विचार किया जाएगा। मूल्य बोली में दर्शाई गई लागत को अंतिम माना जाएगा और सेवाओं की कुल लागत को प्रतिबिंबित किया जाएगा। किसी मद की लागत में चूक, यदि कोई हो, फर्म को मुआवजा देने की पात्र नहीं होगी और टीओआर के अनुसार कुल उद्धृत मूल्य के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने का दायित्व परामर्शदाता का होगा। प्रतिशत में सबसे कम मूल्य बोली (पीएम) को 100 अंकों का मूल्य स्कोर (एसपी) दिया जाएगा। अन्य प्रस्तावों के मूल्य अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी: एसपी = 100 x पीएम/पी (पी = विशेष बोलीदाता की मूल्य बोली की प्रतिशत राशि)

1.3. संयुक्त और अंतिम मूल्यांकन

प्रस्तावों को अंततः उनके संयुक्त तकनीकी (एसटी) और मूल्य (एसपी) स्कोर के अनुसार निम्नानुसार रैंक किया जाएगा:

$$S = S_T \times T_w + S_P \times P_w$$

जहां S संयुक्त स्कोर है, और Tw और Pw तकनीकी बोली और मूल्य बोली को सौंपे गए भार हैं जो इस मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए क्रमशः 0.70 और 0.30 होंगे (Tw = 0.7 और Pw = 0.3)।

चयनित बोलीदाता पहली रैंक वाली बोलीदाता (उच्चतम संयुक्त स्कोर वाला) होगा। दूसरे रैंक के बोलीदाता को रिजर्व में रखा जाएगा और यदि पहले रैंक के बोलीदाता ने नाम वापस ले लिया है, या किसी भी जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पाया जाता है तो उसे चर्चा के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

प्रमुख कार्मिक/गैर प्रमुख संसाधन स्कोरिंग के लिए उप-मानदंड

16.2.2 वित्तीय बोलियां खोलने के लिए पात्र बनने के लिए तकनीकी बोलियों को 100 में से कम से कम 70 अंक प्राप्त करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां जिनकी तकनीकी बोलियों का स्कोर 70 अंक या उससे अधिक है (100 में से) आगे की प्रक्रिया के लिए खोली जाएंगी। तथापि, यदि ऐसे पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है तो नियोक्ता, अपने विवेकाधिकार से, अर्हता क्रम में उन बोलीदाता (बोलीदाताओं) को पूर्व-अर्हता प्राप्त कर सकता है जिनका तकनीकी स्कोर 70 अंकों से कम है।

16.3 वित्तीय मूल्यांकन

वित्तीय स्कोर का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:

Sf = 100 * Fm/F

(Sf सामान्यीकृत वित्तीय स्कोर है**, Fm=**विचाराधीन बोलीदाताओं के बीच सबसे कम कीमत और **F** गणना के लिए विचाराधीन बोली की कीमत है)

16.4 अंतिम मूल्यांकन

16.4.1 तकनीकी और वित्तीय के संयुक्त स्कोर का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल बोलीदाता का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

(i) प्रस्ताव को नीचे उल्लिखित वजन का उपयोग करके संयुक्त सामान्यीकृत तकनीकी (एसटी) और सामान्यीकृत वित्तीय (एसएफ) स्कोर के अनुसार रैंक किया जाएगा।

(ii) तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों के लिए तकनीकी (Tw) और वित्तीय (Fw) भार, दिए जाएंगे, जहां Tw=0.70 और Fw=0.30

= तकनीकी प्रस्ताव को दिया गया वजन; Fw = वित्तीय प्रस्ताव को दिया गया भार; टीडब्ल्यू + एफडब्ल्यू = 1)

(iii) अंतिम स्कोर (एस) निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके निकाला जाएगा:

S=St × Tw + Sf ×Fw

जहां St= 100*T/Tm (T=विचाराधीन बोलीदाता का तकनीकी स्कोर है और Tm=विचाराधीन बोलीदाताओं के बीच उच्चतम तकनीकी स्कोर है) और Sf=100*Fm/F (Fm = विचाराधीन बोलीदाताओं के बीच सबसे कम कीमत और F गणना के लिए विचाराधीन बोली की कीमत है)।

(iv) टाई के मामले में, उच्चतम स्कोर वाले बोलीदाता को कार्य आवंटित किया जाएगा। यदि तकनीकी स्कोर में टाई होता है, तो उच्चतम कारोबार वाला बोलीदाता पंचाट के लिए पात्र होगा।

17. संविदा प्रदान करना

17.1 नियोक्ता चयनित बोलीदाता को एलओए जारी करेगा। वह ई-प्रापण पोर्टल पर लिए गए निर्णय के बारे में अन्य सभी बोलीदाताओं को भी सूचित कर सकता है। (यदि अन्य बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किया जाता है)

17.2 परामर्शदाता आशय-पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर खंड VII में संविदा के मानक रूप में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं/पूर्व शर्तों को पूरा करने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

17.3 परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक को और खंड **III** डाटा शीट में विनिदष्ट स्थान पर समनुदेशन/कार्य शुरू करेगा

18. बीमा

18.1 परामर्शदाता अपने सभी कार्मिकों और संपत्ति के लिए अपने स्वयं के लागत पर व्यक्तिगत और दुर्घटना बीमा बनाए रखेगा, जैसाकि ग्राहक द्वारा संतोषजनक माना जाता है ताकि इस परामर्श करार के तहत परामर्शदाता द्वारा प्रदान

किए जाने वाले काम और सेवाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को कवर किया जा सके। परामर्शदाता अपने उप-परामर्शदाताओं के लिए भी यही सुनिश्चित करेगा। ग्राहक ऐसी किसी भी घटना या प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस आशय का एक बयान प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

19. क्षतिपूर्ति

19.1 यह माना जाएगा कि बोली प्रस्तुत करके, बोलीदाता नियोक्ता, उसके कर्मचारियों, एजेंटों और परामर्शदाताओं को अपरिवर्तनीय रूप से, बिना शर्त, पूरी तरह से और अंतिम रूप से किसी भी तरह से संबंधित किसी भी अधिकार के प्रयोग और/या इसके अंतर्गत और/या इसके संबंध में किसी भी दायित्व के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले दावों, हानि, क्षति, लागत, खर्च या देनदारियों के लिए किसी भी और सभी देयताओं से मुक्त करने पर सहमत है और इनकी क्षतिपूर्ति करेगा और इस संबंध में अपने किसी भी और सभी अधिकारों और/या दावों को छोड़ता है, चाहे वे वास्तविक या आकस्मिक हों, चाहे वर्तमान के हों या भविष्य के।

20. धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण

20.1 बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और परामर्शदाता चयन प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करेंगे। इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यदि यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता ने चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ीपूर्ण आचरण, बलपूर्वक आचरण, अवांछनीय आचरण या प्रतिबंधात्मक आचरण (सामूहिक रूप से "निषिद्ध आचरण") में भाग लिया है तो वह नियोक्ता बोलीदाता के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना उसकी बोली को अस्वीकार कर देगा। ऐसी स्थिति में, नियोक्ता, अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निविदा के संबंध में नियोक्ता के समय, लागत और प्रयास के लिए नियोक्ता को देय हर्जाने के लिए वयाना राशि या निष्पादन प्रतिभूति जमा या काउंटर सुरक्षा जब्त कर लेगा, जिसमें ऐसे बोलीदाता के प्रस्ताव पर विचार और मूल्यांकन भी शामिल है।

20.2 एलओए या करार के अंतर्गत नियोक्ता को खण्ड 18 (बीमा) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि किसी बोलीदाता या संविदाकार को नियोक्ता द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान या एलओए जारी होने या करार के निष्पादन के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से किसी निषिद्ध कार्य में संलग्न या लिप्त पाया जाता है, तो जैसा भी मामला हो, नियोक्ता द्वारा ऐसे बोलीदाता या संविदाकार को प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से, किसी निषिद्ध कार्य में संलग्न या लिप्त पाया जाने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए वह बोलीदाता या संविदाकार, नियोक्ता द्वारा जारी किसी भी निविदा या चार्टरिंग के लिए निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

21. दस्तावेज़ और कॉपीराइट का स्वामित्व

प्राथमिक डेटा सहित सभी डिलिवरेबल्स और अध्ययन आउटपुट को परामर्शदाता द्वारा नियोक्ता को हार्ड कॉपी और संपादन योग्य सॉफ्ट कॉपी में संकलित, वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा, इसके अलावा संदर्भ शर्तों में इंगित रिपोर्ट और डिलिवरेबल्स की आवश्यकताओं के अलावा।

अध्ययन आउटपुट नियोक्ता की संपत्ति बने रहेंगे और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इन संदर्भ शर्तों के तहत इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। परामर्शदाता द्वारा किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार ("आईपीआर") अधिकारों से युक्त किसी भी डिलिवरेबल्स के मामले में, परामर्शदाता नियोक्ता को ऐसे आईपीआर का उपयोग करने के लिए आवश्यक अपरिवर्तनीय रॉयल्टी-मुक्त लाइसेंस प्रदान करेगा। इसके अलावा, किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि परामर्श के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के दौरान या इसके परिणामस्वरूप विकसित कोई भी बौद्धिक संपदा, नियोक्ता की संपत्ति होगी और रहेगी।

खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक

डेटा शीट

डाटा शीट का खंड सं.	आईटीबी का संदर्भ	ब्यौरा	विवरण
1.	2.1	नियोक्ता	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)
2.	2.2	समनुदेशन/कार्य का नाम	राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के लिए डीपीआर का अद्यतन
3.	2.1	चयन की विधि	गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस)
4.	2.3	भुगतान उपकरणों की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए बोली पता जमा करने की तिथि और समय (निविदा शुल्क और प्रतिभूति जमाराशि)	**दिनांक : XX.XX.2024 @ 1500 बजे (आईसीटी)** **प्रस्तुति :** ऑनलाइन प्रस्तुति **पता:** सदस्य (तकनीकी) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301
5.	4	बोली-पूर्व बैठक	**दिनांक : XX.XX.2024 @ 1430 बजे** **स्थल:** भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, (आईडब्ल्यूएआई) ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301
6.	5.1	स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि	**दिनांक : XX.XX.2024 @ 1500 बजे** **ईमेल आईडी :** mt@iwai.gov.in
7.	6.1	प्रतिभूति जमाराशि	9.50 लाख रुपए
8.	6.2	निविदा दस्तावेज की लागत	5,900/- भारतीय रुपए (5,000 रुपए + 18% जीएसटी)
9.	6.3	बैंक शोधन क्षमता	1.43 करोड़ रुपए
10.	3.4 और 16.1.2	औसत वार्षिक कारोबार	1.43 करोड़ रुपए
11.	6.7	बोली वैधता	तकनीकी बोली खुलने के 120 दिन बाद
12.	3.3	समान कार्य	जैसाकि आईटीबी के खंड 16.1.1 में निर्धारित किया गया है
13.	-	जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम अनुमत है	हाँ
14.	3.7	आवश्यक प्रमुख कार्मिकों के अनुमानित प्रकार	8
15.	-	तकनीकी बोली के लिए प्रारूप	प्रपत्र 4क: निविदा प्रपत्र
			प्रपत्र 4ख: पात्र परियोजनाएं
			प्रपत्र 4ग: औसत वार्षिक कारोबार
			प्रपत्र 4घ: पॉवर ऑफ अटॉर्नी (बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि के लिए)
			प्रपत्र 4ङ: प्रमुख कार्मिकों का जीवनवृत्त
			प्रपत्र 4च: चल रहे समनुदेशनों की सूची
			प्रपत्र 4छ: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा
			प्रपत्र 4ज: बोलीदाता जानकारी शीट
			प्रपत्र 4झ: बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व प्रश्नों के लिए प्रारूप
			प्रपत्र 4ञ: जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी
			प्रपत्र 4ट: कानूनी क्षमता का विवरण
			प्रपत्र 4ठ: संयुक्त बोली करार
			प्रपत्र 4ड: सामान्य अनुभव
16.	10.3	परामर्श अवधि	एलओए से 9 सप्ताह

डाटा शीट का खंड सं.	आईटीबी का संदर्भ	ब्यौरा	विवरण
17.		प्रतिभूति जमा राशि	संविदा मूल्य का 5%
18.		निष्पादन गारंटी	संविदा मूल्य का 3%
19.	15.3	बोली खुलने की तिथि	**दिनांक : XX.XX.2024 @ 1530 बजे**
20.	17.3	समनुदेशन का स्थान	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य
21.	18.2	लामबंदी का समय	खंड VI विचारार्थ विषय में निर्धारित अनुसार
22.	-	मूल्य प्राथमिकता	चूंकि कार्यक्षेत्र/कार्य की मात्रा का विभाजन संबंधित कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य नहीं है, एमएसई पंजीकृत फर्मों/बोलीदाताओं के लिए मूल्य अधिमान खंड लागू नहीं होगा।
23.	-	मेक इन इंडिया	मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार, "सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता)" विषय पर आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15.06.2017 के प्रावधान संभव सीमा तक लागू होंगे।
24.	-	स्टार्ट-अप इंडिया	भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार पात्र

खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र

प्रपत्र 4क: निविदा का प्रपत्र

सेवा में,

सदस्य (तकनीकी)
आईडब्ल्यूएआई, ए-13, सेक्टर-1,
गौतम बुद्ध नगर
नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

महोदय,

1. उपर्युक्त कार्यों के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु सूचना और अनुदेश, संविदा की शर्तें, तकनीकी, सामान्य और विस्तृत विनिर्देश, मात्रा का बिल (बीओक्यू) करार और बैंक गारंटी प्रपत्र इत्यादि की जांच करने के बाद, मैं/हम .....(*बोलीदाता का नाम*) इस निविदा दस्तावेज के बीओक्यू में उल्लिखित राशि या संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई अन्य राशि के लिए संविदा की उक्त शर्तों, मात्राओं की अनुसूची के अनुरूप निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत करते हैं।

2. मैं/हम संविदा में सम्मिलित समस्त कार्यों को निविदा में उल्लिखित समय के भीतर पूरा करने और वितरित करने का वचन देते हैं तथा साथ ही निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों, कार्य के दायरे और अनुदेशों के अनुसार सभी प्रकार से कार्य पूरा करने का वचन देते हैं।

3. मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कार्यों के लिए निविदा दे रहा हूं और आईडब्ल्यूएआई खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से विषय कार्य के लिए दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिभूति जमाराशि जमा कर रहा हूं, जिसमें:

क्र.सं.	आरटीजीएस/एनईएफटी	
	राशि (भारतीय रुपए)	आरटीजीएस/एनईएफटी का विवरण (संख्या और तारीख) और बैंक का विवरण (बैंक का नाम, शाखा, पता)
1		

4. मैं/हम इस निविदा का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से 120 दिनों की अवधि के लिए निविदा को खुला रखने या आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपेक्षित विस्तार करने तथा इसकी शर्तों में कोई संशोधन न करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

5. मैं/हम सहमत हैं, यदि मैं/हम पूर्वोक्त के रूप में निविदा की वैधता को खुला रखने में विफल रहता हूं या मैं/हम मेरे/हमारे निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करते हैं यदि मैं/हम उपरोक्त कार्यों का निष्पादन शुरू करने में विफल रहते हैं, मैं/हम मेरे/हमारे प्रतिभूति जमा राशि की जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसाकि पूर्वोक्त है और आईडब्ल्यूएआई किसी अन्य अधिकार या उपाय पर किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त प्रतिभूति जमा राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा अन्यथा उक्त प्रतिभूति जमा राशि को आईडब्ल्यूएआई द्वारा सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में रखा जाएगा ताकि निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी कार्यों को उसमें निहित या संदर्भित नियमों और शर्तों पर निष्पादित किया जा सके और ऐसे विचलन किए जा सकें जिनका आदेश दिया जा सकता है। यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। प्रतिभूति जमा राशि और/या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है।

6. मैंने/हमने निविदा में दर्शाई गई निश्चित क्षतिपूर्ति की राशि पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है और इस बात से सहमत हैं कि यह समय पर कार्य पूरा न होने की स्थिति में आईडब्ल्यूएआई को होने वाली संभावित हानि का उचित अनुमान है।

7. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर अपने/अपने खर्च पर निर्धारित प्रारूप में संविदा संविदा निष्पादित करने का वचन देते हैं। जब तक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह निविदा और उसमें आपकी लिखित स्वीकृति एक बाध्यकारी संविदा होगी।

8. **यदि मेरी/हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम संविदा के उचित निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जिम्मेदार होंगे/हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म को प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है।** प्रतिबंधित या काली सूची में डाले जाने से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी निविदा/संविदा के किसी भी चरण में नियोक्ता के संज्ञान में लाई जाती है तो मौजूदा कानून के अंतर्गत दंडनीय होगी और संविदा को रद्द या समाप्त कर दिया जाएगा।

9. मैं/हम समझते हैं कि आईडब्ल्यूएआई निम्नतम या प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकार कर सकता है।

10. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा, निविदा दस्तावेज में निहित नियमों, शर्तों, विनिर्देशों आदि के पूर्णतः अनुरूप है, तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसमें पूर्वोक्त दस्तावेजों से कोई विचलन नहीं है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

..... के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने उसे प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत (फर्म का नाम और पता)

मैसर्स .....

टेलीफोन नंबर.....फैक्स नंबर.....

प्रपत्र 4ख: पात्र परियोजनाएँ

बोली की जवाबदेही के लिए प्रारूप (योग्य परियोजनाएं) परियोजना विशिष्ट अनुभव [नीचे दिए गए प्रारूप का उपयोग करके, प्रत्येक समनुदेशन पर जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी फर्म, और इस समनुदेशन के लिए प्रत्येक सहयोगी, कानूनी रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में या इस समनुदेशन के तहत समान कार्यों को करने के लिए एक जॉइंट वैंचर के भीतर प्रमुख कंपनियों में से एक के रूप में अनुबंधित किया गया था।

1. निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुभव के प्रमाण की प्रति के साथ परियोजनाओं का उपयोग करें।

2. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से केवल उन परियोजनाओं को प्रदर्शित करें जो पिछले सात (7) वर्षों में शुरू की गई हैं।

3. संबंधित ग्राहक से लागू कार्य के प्रारंभ दिनांक, समाप्ति तिथि और मूल्य सहित पूर्णता प्रमाणपत्रों के प्रमाण के बिना परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. जिन परियोजनाओं को काफी हद तक पूरा किया गया है, उन पर भी विचार किया जाएगा। पर्याप्त रूप से पूरे किए गए कार्यों को आईटीबी के खंड 32 में परिभाषित किया गया है।

क्र.सं	ग्राहक का नाम, कार्य का नाम और परियोजना का स्थान	भारतीय रुपए में संविदा मूल्य संतोषजनक ढंग से पूरे किए गए समान कार्य का वित्तीय मूल्य	काम शुरू होने की तारीख	निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्ण होने की तिथि	काम का विवरण (समान कार्य सहित)	टिप्पणियां

फर्म का नाम : .....

अधिकृत हस्ताक्षर: .....

टिप्पणी:

1. मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, बोलीदाताओं को प्रतिवर्ष भारतीय रुपए के लिए 7% मुद्रास्फीति और प्रतिवर्ष संयोजित विदेशी मुद्रा भागों के लिए 2% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना चाहिए।
2. बोलीदाताओं को पिछले सात वर्षों के दौरान निष्पादित समान कार्यों के अधिकतम मूल्य का उल्लेख करना चाहिए (जिस महीने में यह निविदा आमंत्रित की गई है, उससे पहले महीने के अंतिम दिन समायोजित)।
3. विदेशी मुद्रा के मामले में, इसे पहले ऊपर उल्लिखित दर पर बढ़ाया जाना चाहिए और फिर इस प्रकार प्राप्त राशि को पिछले महीने के अंतिम दिन प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें यह निविदा आमंत्रित की गई है।
4. विनिमय दर आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट *(https://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx)* से ली जानी चाहिए।
5. यदि विचाराधीन मुद्रा के लिए विनिमय दर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (ऊपर उल्लिखित) पर उपलब्ध नहीं है, तो बोलीदाता रूपांतरण के लिए बोलीदाता द्वारा उपयोग की गई विनिमय दर की प्रति के साथ www.xe.com, www.oanda.com जैसी वेबसाइटों से विनिमय दरों का उल्लेख करेंगे।
6. यह प्रमाणित करने के लिए कि उक्त कार्य निर्दिष्ट समान कार्यों के अनुरूप है, बोलीदाता द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर कोई अतिरिक्त टिप्पणियां/सूचना भी इंगित की जा सकती है।

कृपया प्रत्येक परियोजना के विवरण को कागज की दो A4 आकार की शीट में सीमित करें। कागज की दो (02) A4 आकार की शीट से अधिक विवरण मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकता है या नहीं।

प्रपत्र 4ग: आवेदक का औसत वार्षिक कारोबार

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**वार्षिक कारोबार भारतीय रुपये में**
1.	2021-22	
2.	2022-23	
3.	2023-24	
औसत वार्षिक कारोबार		[उपर्युक्त आंकड़ों का योग 3 से भाग देकर दर्शाएं]

सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....*[फर्म का नाम] [पंजीकृत पता]* ने संबंधित वर्षों के लिए ऊपर दर्शाए गए भुगतान प्राप्त किए हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम:

फर्म का नाम:.....

(फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक का हस्ताक्षर मुहर सहित)

टिप्पणी:

1. यदि बोलीदाता के पास कोई सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं है, तो वह किसी सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र उपलब्ध करा सकता है।
2. यह प्रपत्र सीए/सांविधिक लेखापरीक्षक के लेटर हेड पर जमा किया जाएगा।

प्रपत्र 4 घ: पॉवर ऑफ अटॉर्नी

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और विधिवत नोटरीकृत किया जाना चाहिए)

इन प्रस्तुतियों से सभी लोगों को पता रहे, हम, ... *(संगठन का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता)* एतद्द्वारा श्री/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी और वर्तमान में ..... में रह रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ/हमारे द्वारा रखे गए हैं और ....., ... के पद पर हैं, को हमारे सच्चे और वैध अधिवक्ता के रूप में (इसके बाद **"अधिकृत प्रतिनिधि"** के रूप में संदर्भित), वे व्यक्ति को उप-प्रतिनिधित्व करने की शक्ति के साथ, हमारे नाम और हमारी ओर से, सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें जो **"..... *(समनुदेशन का नाम लिखें)"*** के लिए हमारी बोली प्रस्तुत करने के संबंध में या उसके लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं ,करने के लिए नामित ,नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (नियोक्ता) के लिए संविदाकार का चयन, जिसमें सभी आवेदनों, बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, बोली-पूर्व और अन्य सम्मेलनों में भाग लेना और नियोक्ता को सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करना, नियोक्ता के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, हमारी बोली की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सभी अनुबंधों और वचनों पर हस्ताक्षर करना और उनका निष्पादन करना और सामान्य रूप से उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में नियोक्ता के साथ व्यवहार करना और/या नियोक्ता के साथ संविदा में प्रवेश करने तक हमें उसका पंचाट देना शामिल है।

और, हम इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उसके अनुसार हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिपूर्वक किए गए या कराए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी।

हमने, जिसके साक्ष्य स्वरूप,..... उपर्युक्त प्रमुख ने आज ..... दिनांक ....., 20 को यह पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।**

के लिए ...

(हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

साक्षी:

1.....

2.....

स्वीकृत

(अधिवक्ता का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

टिप्पणियाँ:

1. पॉवर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक (कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, उसके अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा आवश्यक हो तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।
2. जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों जैसे संकल्प/पॉवर ऑफ अटॉर्नी के उद्धरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
3. विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाना होगा और उस अधिकार क्षेत्र में नोटरीकृत करना होगा जहां पॉवर ऑफ अटॉर्नी जारी की जा रही है। तथापि, हेग विधान कन्वेंशन, 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के आवेदकों द्वारा प्रदान की गई पॉवर ऑफ अटॉर्नी को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाने की आवश्यकता नहीं है, यदि इसके पास एपोस्टिल प्रमाणपत्र है।

प्रपत्र 4ङ: प्रमुख कार्मिकों और गैर प्रमुख संसाधनों का जीवन-वृत्त

1. प्रस्तावित पद/पदनाम :

2. फर्म का नाम :

कर्मचारियों को प्रस्तावित करने वाली फर्म का नाम अंकित करें]

3. स्टाफ का नाम: [पूरा नाम अंकित करें] :

4. जन्म तिथि :

5. राष्ट्रीयता :

6. शिक्षा :

[कॉलेज/विश्वविद्यालय और स्टाफ सदस्य की अन्य विशिष्ट शिक्षा को इंगित करें, संस्थानों के नाम, प्राप्त डिग्री और प्राप्ति की तारीखें उल्लिखित करें। विदेशी डिग्री के मामले में, भारतीय समकक्ष इंगित किया जाना है]:

7. व्यावसायिक संघों की सदस्यता :

8. अन्य प्रशिक्षण :

9. कार्य अनुभव के देश :

[उन देशों की सूची बनाएं जहां कर्मचारियों ने पिछले दस वर्षों में काम किया है] :

10. ज्ञात भाषा :

[प्रत्येक भाषा के लिए प्रवीणता इंगित करें: बोलने, पढ़ने और लिखने में अच्छा, निष्पक्ष या खराब] :

11. रोजगार रिकॉर्ड :

[वर्तमान स्थिति से शुरू करते हुए, स्नातक स्तर की शिक्षा के बाद से स्टाफ सदस्य द्वारा आयोजित प्रत्येक रोजगार को रिवर्स ऑर्डर में सूचीबद्ध करें, प्रत्येक रोजगार के लिए दे रहे हैं (नीचे प्रारूप देखें): रोजगार की तारीखें, रोजगार संगठन का नाम, धारित पद] :

[वर्ष] से : ..... **से [वर्ष] :** .....

नियोक्ता : .....

धारित पद :.....

12. सौंपे गए विस्तृत कार्य

[इस समनुदेशन/नौकरी के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची बनाएं] :

13. किया गया कार्य जो सौंपे गए कार्यों को संभालने की क्षमता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है :

[उन समनुदेशन/नौकरियों में जिनमें कर्मचारी शामिल रहे हैं, उन समनुदेशन/नौकरियों के लिए निम्नलिखित जानकारी इंगित करें जो पैरा 12 के तहत सूचीबद्ध कार्यों को संभालने के लिए कर्मचारियों की क्षमता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती हैं।

समनुदेशन/नौकरी या परियोजना का नाम :

वर्ष :

स्थान :

नियोक्ता :

मुख्य परियोजना विशेषताएं :

धारित पद :

निष्पादित गतिविधियाँ :

तैनाती की अवधि :

14. प्रमाणीकरण:

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में, यह सीवी मुझे, मेरी अर्हता और मेरे अनुभव का सही वर्णन करता है। मैं समझता हूं कि यहां वर्णित कोई भी जानबूझकर गलत बयान मेरी अयोग्यता या बर्खास्तगी का कारण बन सकता है, यदि है। मैं परियोजना के लिए अपनी उपलब्धता की भी पुष्टि करता हूं।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने ..... (बोलीदाता का नाम) इस परियोजना के लिए बोली प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मेरे सीवी का उपयोग करने के लिए इसके अलावा किसी अन्य परामर्शदाता को अपनी सहमति नहीं दी।

दिनांक: ..... **[स्टाफ सदस्य के हस्ताक्षर]**

[फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

स्थान: .....

[अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम]

प्रपत्र 4च: चालू समनुदेशनों की सूची

क्र.सं	ग्राहक का पूरा डाक पता और प्रभारी अधिकारी का नाम	समान कार्यों सहित कार्य का विवरण	संविदा का मूल्य	काम शुरू होने की तारीख	निर्धारित पूर्णता अवधि	आज की तारीख में औसत पूर्णता	पूरा होने की अपेक्षित तिथि

प्रपत्र 4छ: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

सेवा में, **दिनांक:**.....

सदस्य (तकनीकी)
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,
ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301,
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

ध्यानार्थ: हाइड्रोग्राफिक चीफ, आईडब्ल्यूएआई

विषय: बोलीदाता द्वारा घोषणा

निविदा संदर्भ संख्या: IWAI/NW-4/DPR/2023

महोदय,

यह उपर्युक्त निविदा दस्तावेज के संदर्भ में है।

हम एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणाएं करते हैं:

1.	☐	डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज में किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2.	☐	मैं/हमें किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित या डीलिस्ट नहीं किया गया है।
3.	☐	हम संविदा की शर्त के खंड **7** की भुगतान शर्तों को स्वीकार करते हैं।
4.	☐	मैं/हम इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

5. हम पुष्टि करते हैं कि पिछले **03** वर्षों के दौरान न तो हम असफल हुए हैं और न ही हमें किसी भी परियोजना या करार से निष्कासित किया गया है।
6. मैं/हम इस निविदा में हमारे द्वारा निविदा प्रस्तुति के संबंध में किसी भी गलत घोषणा के लिए हमें अयोग्य घोषित करने के लिए सहमत हैं और मेरे/हमारे निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
7. मैं/हम इस निविदा से हमें अयोग्य घोषित करने और भविष्य में आईडब्ल्यूएआई परियोजनाओं में निविदा के लिए हमें काली सूची में डालने के लिए सहमत हैं, यदि यह आईडब्ल्यूएआई के ध्यान में आता है कि मेरे द्वारा किए गए दस्तावेज/प्रस्तुतियाँ वास्तविक नहीं हैं।

भवदीय

बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

टिप्पणी: कृपया उपरोक्त तालिका में उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें।

प्रपत्र 4ज: बोलीदाता सूचना पत्रक

बोलीदाता का नाम: *[पूरा नाम लिखें]*
बोलीदाता का नाम÷ *[आवेदक की पार्टी का पूरा नाम लिखें]*
बोलीदाता पक्ष का पंजीकरण देश: *[पंजीकरण का देश बताएं]*
बोलीदाता के गठन का वर्ष: *[गठन का वर्ष बताएं]*
गठन के देश में बोलीदाता का कानूनी पता: *[सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश लिखें]*
बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी *नाम: [पूरा नाम लिखें]* पता: [सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश *लिखें*] टेलीफोन/फैक्स नंबर: *[देश और शहर कोड सहित टेलीफोन/फैक्स नंबर लिखें]* *ई-मेल पता: [ई-मेल पता लिखें]*
1. मूल दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं ☐ संस्था के अंतर्नियम (या संविधान या कंसोर्टियम के समकक्ष दस्तावेज), और/या ऊपर नामित कानूनी इकाई के पंजीकरण दस्तावेज। ☐ सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम या संस्थान के मामले में, कानूनी और वित्तीय स्वायत्तता, वाणिज्यिक कानून के अनुसार संचालन और आश्रित स्थिति की अनुपस्थिति स्थापित करने वाले दस्तावेज। 2. इसमें संगठनात्मक चार्ट, निदेशक मंडल की सूची और लाभकारी स्वामित्व शामिल हैं।

भवदीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

टिप्पणी:

यह प्रपत्र अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान प्रमाण के साथ दिया जाएगा

प्रपत्र 4झ: बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व पूछताछ के लिए प्रारूप

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

बोलीदाता का नाम: .....

जमा करने की दिनांक: .....

बोली-पूर्व प्रश्न

क्र.सं.	निविदा दस्तावेज की खंड संख्या, उप-खण्ड संख्या और पृष्ठ संख्या	निविदा खण्ड का विवरण	प्रश्न
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
.			
.			
.			
.			

प्रपत्र 4ञ: जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और विधिवत नोटरीकृत। विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध भी किया जाना होगा और उस अधिकार क्षेत्र में नोटरीकृत करना होगा जहां वचनपत्र जारी किया जा रहा है।)

जबकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने **"एनडब्ल्यू-4 के लिए डीपीआर का अद्यतन"** (**इसके बाद "कार्य" के रूप में संदर्भित**) के लिए इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की हैं **और जबकि,** ....., ...और ..... (क) जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य होने के नाते परियोजना के संबंध में निविदा दस्तावेज और अन्य संबंधित दस्तावेजों की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परियोजना के लिए बोली लगाने के इच्छुक हैं; और

जबकि, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने में से किसी एक को प्रमुख सदस्य के रूप में नामित करें, जिसके पास जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से परियोजना के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली और उसके निष्पादन के संबंध में आवश्यक सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियां और अधिकार हों।

इसलिये अब इन प्रस्तुतियों से सब लोगों को पता रहे

हम,.....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है और मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद सामूहिक रूप से "प्रमुखों" के रूप में संदर्भित) एतद्द्वारा मैसर्स .....जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है, और जो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों में से एक है, को जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य और सच्चे और वैध अटॉर्नी के रूप में (इसके बाद "अटॉर्नी" के रूप में संदर्भित) अपरिवर्तनीय रूप से नामित, नामांकित, गठित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं। हम एतद्द्वारा अटॉर्नी को (उप-प्रतिनिधित्व करने की शक्ति के साथ) बोली प्रक्रिया के दौरान जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम और हममें से किसी एक की ओर से सभी व्यवसाय संचालित करने के लिए, और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को संविदा दिए जाने की स्थिति में, परियोजना के निष्पादन के दौरान और इस संबंध में, हमारी ओर से और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से ऐसे सभी या कोई भी कार्य, कर्म या चीजें करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करते हैं जो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की पूर्व-अर्हता और परियोजना के लिए इसकी बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक या अपेक्षित या प्रासंगिक हैं, जिसमें सभी बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, बोलीदाताओं और अन्य सम्मेलनों में भाग लेना, प्रश्नों का उत्तर देना, सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करना, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अनुबंधों और उपक्रमों पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना और आम तौर पर नियोक्ता और/या किसी अन्य सरकारी एजेंसी या किसी व्यक्ति के साथ ,**"कार्य"** के लिए जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की बोली के संबंध में जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी व्यवहारों में, उससे संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में प्रतिनिधित्व करना शामिल है।

और हम एतद्द्वारा इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उसके द्वारा किए गए या करवाए जाने वाले सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि और अनुसमर्थन करने के लिए सहमत हैं और इसके द्वारा यह पुष्टि करते हैं और यह कि हमारे अटॉर्नी द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे/कंसोर्टियम द्वारा की गई मानी जाएंगी और कानूनी रूप से हमारे लिए बाध्यकारी होंगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप हम, ऊपर नामित प्रमुखों ने आज, 20..... की दिनांक को यह पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पद)

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पद)

.....के लिए (हस्ताक्षर)

..... (नाम और पद)

साक्षी:

1.

2.

.....

(निष्पादनकर्ता)

(जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी सदस्यों द्वारा निष्पादित किया जाएगा)

टिप्पणियाँ:

- *पॉवर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादकों के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, उस के अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा आवश्यक हो, तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*
- *इसके अलावा, जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और बोर्ड या शेयरधारकों के संकल्प/पॉवर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों के उद्धरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।*

विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाना होगा और उस अधिकार क्षेत्र में नोटरीकृत करना होगा जहां पॉवर ऑफ अटॉर्नी जारी की जा रही है। तथापि, हेग विधान कन्वेंशन 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई पॉवर ऑफ अटॉर्नी को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाने की आवश्यकता नहीं है यदि यह एक अनुरूप एपोस्टिल के पास प्रमाणपत्र है।

प्रपत्र 4ट: कानूनी क्षमता का विवरण

(बोलीदाता/जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के अग्रणी सदस्य के लेटरहेड पर किया जाना है)

संदर्भ दिनांक: .....

सेवा में,

सदस्य (तकनीकी)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा-201 301

उत्तर प्रदेश

महोदय,

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम/ हमारे सदस्य, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम (जिसका गठन बोली में वर्णित किया गया है) में निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं।

हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि ..... (सदस्य का नाम लिखें) हमारे जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करेगें।*

हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि ..... (व्यक्ति का नाम लिखें) हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगें।* और उन्हें निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को ऐसे पत्र प्रस्तुत करने और उसे प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित शक्तियाँ दी गई हैं। प्रमुख सदस्य/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सभी कार्रवाइयाँ/प्रतिनिधित्व जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)

.....के लिए और ओर से

*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र 4ठ: संयुक्त बोली करार

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और विधिवत नोटरीकृत)

यह संयुक्त बोली करार ..... (जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का नाम लिखें) के पक्ष में20 , ... के इस .....दिन

1. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"प्रथम भाग"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

2. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"द्वितीय भाग"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

3. {..... लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी} और इसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है (इसके बाद इसे **"तृतीय पक्ष"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, इस अभिव्यक्ति में संदर्भ के प्रतिकूल होने तक इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

के बीच किया गया है।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय पक्ष के उपर्युक्त पक्षों को सामूहिक रूप से **"पक्ष"** कहा जाता है और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से **"पक्ष"** कहा जाता है।

जबकि,

(क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण **(नियोक्ता)** ने अपने अनुरोध द्वारा बोलियां **(बोलियां)** (.....**"निविदा दस्तावेज"** के लिए ..... **(समनुदेशन का नाम लिखें)" ("निर्माण कार्य")** आमंत्रित की हैं।

(ख) पक्षों ने निविदा दस्तावेज को पढ़ और समझ लिया है और वे जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के रूप में परियोजना के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने में रुचि रखते हैं और परियोजना के संबंध में निविदा दस्तावेज और अन्य निविदा दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार, और

(ग) निविदा दस्तावेज के अंतर्गत यह आवश्यक शर्त है कि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य संयुक्त बोली करार करेंगे तथा उसकी एक प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करेंगे।

अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. **परिभाषाएँ और व्याख्याएँ**

इस करार में, पूंजीकृत शब्द, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, , का अर्थ निविदा के तहत वर्णित है।

2. जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम

2.1 ये पक्ष परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया में संयुक्त रूप से भाग लेने के उद्देश्य से अपरिवर्तनीय रूप से एक जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का गठन करते हैं।

2.2. ये पक्ष केवल इस जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के माध्यम से बोली प्रक्रिया में भाग लेने का वचन देते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से और/या इस परियोजना के लिए गठित किसी अन्य जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या उनके किसी सहयोगी के माध्यम से।

3. वाचाएं

सभी पक्ष यह वचन देते हैं कि यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को चयनित बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसे परियोजना प्रदान की जाती है, तो वे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी का गठन करेंगे, जिसकी सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में, चयनित बोलीदाता अर्थात् सभी पक्ष सामूहिक रूप से संविदा अवधि से परे तीन महीने की अवधि के लिए 100% इक्विटी रखेंगे।

4. पक्षों की भूमिका

सभी पक्ष नीचे वर्णित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का वचन देते हैं:

(क) प्रथम पक्ष का पक्ष जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का प्रमुख सदस्य होगा और बोली प्रक्रिया के दौरान और **"कार्य"** के लिए संविदा पर हस्ताक्षर होने तक जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की ओर से सभी व्यवसाय संचालित करने के लिए सभी पक्षों से पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करेगा, जब सभी दायित्व प्रभावी हो जाएंगे;

(ख) दूसरे और तीसरे पक्ष **"कार्य"** के लिए निविदा के अंतर्गत दिए गए कार्य के पूरे दायरे को पूरा करने के लिए यहां दर्ज तरीके से प्रमुख सदस्य की सहायता करेंगे।

(ग) यदि नियोक्ता द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया के अनुसार उन्हें कार्य सौंपा जाता है, तो पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करने का प्रयास करेंगे, जो कि निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों तथा नियोक्ता और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की विशेष प्रयोजन कंपनी के बीच समय-समय पर निष्पादित किए जाने वाले अन्य समझौतों/अनुबंधों/कार्य आदेशों के अनुसार होगा।

5. संयुक्त और अनेक दायित्व

दोनों पक्ष परियोजना से संबंधित सभी दायित्वों और देनदारियों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार होने का वचन देते हैं और **"कार्य"** के लिए निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, उसमें निर्धारित समय तक जिम्मेदार रहेंगे।

6. शेयरधारिता

6.1 ऐसे चयनित बोलीदाता (जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम) के प्रमुख सदस्य संविदा अवधि के दौरान हर समय पक्षों द्वारा परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिए शामिल किए गए सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी के .....% (आईटीबी के खंड 6.9.2 के अनुसार) के बराबर इक्विटी रखेंगे। इसके अलावा, कंसोर्टियम के अन्य सदस्य जिनकी तकनीकी/वित्तीय अर्हता का उपयोग इस निविदा दस्तावेज़ के अंतर्गत अर्हता के उद्देश्य के लिए किया गया है, वे संविदा अवधि के दौरान सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में क्रमशः .....% (आईटीबी के खंड 6.9.3 के अनुसार) इक्विटी रखेंगे; बशर्ते कि नियोक्ता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्य को परामर्शदाता की सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी में अपनी इक्विटी शेयरहोल्डिंग [पूरी तरह से/आंशिक रूप से] बेचने की अनुमति दे सकता है।

(क) पक्ष यह वचन देते हैं कि वे **"कार्य"** के लिए निविदा में निर्धारित सभी इक्विटी लॉक-इन आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

7. **पक्षों का प्रतिनिधित्व**

प्रत्येक पक्ष इस करार की दिनांक से अन्य पक्षों को यह सूचित करता है कि:

(क) ऐसा पक्ष विधिवत् संगठित है, वैध रूप से विद्यमान है तथा अपने निगमन के कानूनों के अंतर्गत अच्छी स्थिति में है तथा उसके पास इस संविदा में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित सभी शक्तियाँ और प्राधिकार हैं;

(ख) इस करार के ऐसे पक्ष द्वारा निष्पादन, वितरण और निष्पादन को सभी आवश्यक और उचित कॉर्पोरेट या सरकारी कार्रवाई द्वारा अधिकृत किया गया है और कंसोर्टियम सदस्य की ओर से इस करार को निष्पादित करने के लिए शक्ति और अधिकार के प्रत्यायोजन के लिए इस करार को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और बोर्ड के प्रस्ताव/पॉवर ऑफ अटॉर्नी के सारांश की एक प्रति बोली के साथ संलग्न की गई है, और वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार नहीं करेगा:

(i) किसी भी सहमति या अनुमोदन की मांग जो पहले से प्राप्त नहीं हुआ हो;

(ii) वर्तमान में प्रभावी और उस पर लागू होने वाले किसी भी लागू कानून का उल्लंघन;

(iii) संस्था के ज्ञापन और अनुच्छेदों, उपनियमों या अन्य लागू संगठनात्मक दस्तावेजों का उल्लंघन;

(iv) किसी मंजूरी, परमिट, रियायत, अनुदान, लाइसेंस या अन्य सरकारी प्राधिकरण, अनुमोदन, निर्णय, आदेश या डिक्री या किसी बंधक करार, संविदा या किसी अन्य दस्तावेज का उल्लंघन, जिसका ऐसा पक्षकार, पक्षकार है या जिसके द्वारा ऐसा पक्षकार या उसकी कोई संपत्ति या परिसंपत्तियां बंधी हैं या जो अन्यथा ऐसे पक्षकार पर लागू है; या

(iv) ऐसे पक्ष की संपत्ति में या उस पर कोई ग्रहणाधिकार, बंधक, प्रतिज्ञा, दावा, सुरक्षा हित, शुल्क या ऋणभार या दायित्व बनाना या लगाना, सिवाय उन ऋणों के जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऐसे पक्ष की वित्तीय स्थिति या संभावनाओं या व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, जिससे ऐसे पक्ष को इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका जा सके;

(ग) यह करार ऐसे पक्ष का कानूनी और बाध्यकारी दायित्व है, जो उसके विरुद्ध इसकी शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;

(घ) ऐसा कोई मुकदमा लंबित नहीं है या, ऐसा कोई मुकदमा होने की आशंका नहीं है, जिसका वह या उसका कोई सहयोगी पक्षकार हो, जो वर्तमान में इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों की पूर्ति में ऐसे पक्ष की वित्तीय स्थिति या संभावनाओं या व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या डालेगा; तथा

(ङ) ऐसे पक्ष ने निविदा दस्तावेज को पढ़ और समझ लिया है तथा वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऊपर दर्ज उद्देश्यों के लिए इस संविदा को निष्पादित कर रहा है;

8. करार समाप्ति

यह संविदा आज की दिनांक से प्रभावी होगा और परियोजना के जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम को दिए जाने की स्थिति में **"कार्य"** के लिए निविदा के अंतर्गत और उसके अनुसार कार्य पूरा होने तक हर समय पूर्ण शक्ति और प्रभाव में जारी। तथापि, यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के मामले में या तो परियोजना के लिए पूर्व-अर्हता प्राप्त नहीं है अथवा परियोजना सौंपने के लिए चयनित नहीं होता है तो निविदादाता के पूर्व-अर्हता प्राप्त न होने अथवा प्राधिकरण द्वारा निविदादाता को बोली प्रतिभूति लौटाए जाने पर, जैसा भी मामला हो, करार समाप्त हो जाएगा।

9. विविध

9.1 यह संयुक्त बोली करार भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

9.2 पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना पक्षकारों द्वारा इस संविदा में संशोधन नहीं किया जाएगा।

10. जिम्मेदारियों का प्रस्तावित वितरण

क्र. सं.	जॉइंट वैंचर के सदस्य का नाम	प्रतिशत हिस्सा	तकनीकी जिम्मेदारी	वित्तीय जिम्मेदारी	टिप्पणियाँ
1	प्रमुख साझेदार				
2	सदस्य 2				
3	सदस्य 3				

*जिसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर वर्णित पक्षों ने ऊपर लिखी गई पहली दिनांक को इस करार को निष्पादित और वितरित किया है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर वर्णित पक्षों ने ऊपर लिखी गई पहली दिनांक को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित

के लिए और उनकी ओर से **मुख्य सदस्य के लिए और उनकी ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित

के लिए और की ओर से **द्वितीय पक्ष के लिए और की ओर से**

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

इनकी उपस्थिति में:

1) _____

2) _____

टिप्पणियाँ:

- *संयुक्त बोली करार के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक(कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, के अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा अपेक्षित हो, तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*
- *इस संयुक्त बोली करार के साथ चार्टर दस्तावेजों के अंश तथा जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम सदस्य की ओर से इस करार को निष्पादित करने के लिए शक्ति और प्राधिकार के प्रत्यायोजन हेतु इस करार को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में संकल्प/पॉवर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।*

विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए संयुक्त बोली करार के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध किया जाएगा और उस क्षेत्राधिकार में नोटरीकृत किया जाएगा जहां पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई है।

प्रपत्र 4ङ: सामान्य अनुभव

(प्रत्येक बोलीदाता या जॉइंट वैंचर के सदस्य को यह प्रपत्र भरना होगा)

बोलीदाता/जॉइंट वैंचर कंसोर्टियम सदस्यों का नाम:

सामान्य अनुभव				
संविदा पहचान और नाम नियोक्ता का नाम और पता बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण	प्रारंभिक माह वर्ष	अंतिम माह वर्ष	वर्ष	बोलीदाता की भूमिका

खंड-V: वित्तीय बोली मानक प्रपत्र

खंड वित्त-1: वित्तीय बोली प्रस्तुतीकरण प्रपत्र

[स्थान, दिनांक]

सेवा में,

[नाम और नियोक्ता का पता]

महोदय,

हम, अधो हस्ताक्षरकर्ता, आपके दिनांक [दिनांक लिखें] के निविदा आमंत्रण नोटिस और हमारी तकनीकी बोली के अनुसार [समनुदेशन/कार्य का शीर्षक लिखें] के लिए चार्टरिंग सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं। हमारी संलग्न वित्तीय बोली ..... [शब्दों और आंकड़ों में राशि लिखें] की राशि के लिए है। यह राशि माल और सेवा कर (जीएसटी) [राशि शब्दों और आंकड़ों में लिखें] को छोड़कर सभी प्रकार के करों सहित है। हम स्वीकार करते हैं कि निविदा हमारे द्वारा उद्धृत मूल मूल्य पर सौंपी जाएगी। हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि वित्तीय बोली बिना किसी शर्त के है और हम स्वीकार करते हैं कि वित्तीय बोली से जुड़ी किसी भी शर्त के परिणामस्वरूप हमारी वित्तीय बोली/पूरी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हमारी वित्तीय बोली, संविदा वार्ताओं (यदि कोई हो) के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के अधीन, धारा में उल्लिखित बोली की वैधता अवधि की समाप्ति तक, अर्थात् ..... खंड में दर्शाई गई दिनांक से पहले, हमारे लिए बाध्यकारी होगी।

हम समझते हैं कि आप प्राप्त की गई किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सादर,

अधिकृत हस्ताक्षर [पूर्ण एवं आद्याक्षर:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम : .....

फर्म का नाम : .....

खंड वित्त-2: बीओक्यू लागतों का सारांश

क्र.सं.	कार्य के दायरे की श्रेणी	मूल लागत (भारतीय रुपए)	जीएसटी (भारतीय रुपए)
1	एनडब्ल्यू-4 के लिए डीपीआर का अद्यतन (सर्वेक्षण व्यय, परामर्श शुल्क और विविध व्यय सहित)		
	योग		

टिप्पणी: सभी भुगतान टीओआर के खंड 6 के अनुसार किए जाएंगे।

अधिकृत हस्ताक्षर

नाम : .....

पद का नाम : .....

फर्म का नाम : .....

पता : .....

खंड वित्त-3: परामर्श शुल्क

1. मुख्य संसाधन *(आवश्यकतानुसार)*

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	जलमार्ग विशेषज्ञ "टीम लीडर"	1
2	परामर्शदाता (सिविल)	1
3	रिमोट सेंसिंग/जीआईएस विशेषज्ञ	1
4	फ्लडप्लेन विशेषज्ञ	1
5	हाइड्रोग्राफिक विशेषज्ञ	1
6	सॉइल अभियंता/फाउंडेशन इंजीनियरिंग	1
7	यातायात सर्वेक्षक	1
8	ट्रैफिक इकोनॉमिस्ट	1

2. विविध व्यय

क्र.सं.	**विवरण**	**कुल राशि (भारतीय रुपए)**
1.	आवास + यात्रा व्यय	
2.	स्थानीय परिवहन	
3.	हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण	
4.	स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आदि	
5.	अन्य	
	योग	

टिप्पणी:

1. मानव-माह की दर और संबंधित कुल राशि में कुल परिलब्धियां, व्यय भत्ते, ओवरहेड और बोनस, और उन पर सभी स्थानीय कर शामिल होंगे। ये केवल उद्धृत पारिश्रमिक के ब्रेक-अप के उद्देश्य से प्रदान किए जाने हैं।

2. ऊपर निर्धारित विविध व्यय विवरण, केवल इस शीर्ष के तहत कुल लागत के ब्रेक-अप के उद्देश्य से प्रदान किए जाने हैं।

अधिकृत हस्ताक्षर

नाम

पता

खंड-VI: संदर्भ शर्तें

1. प्रस्तावना

1.1. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। आईडब्ल्यूएआई की स्थापना 1986 में देश के अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करने के जनादेश के साथ की गई थी, जिन्हें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) में परिवहन का सबसे किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीका बनाने की क्षमता है। आधुनिक अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों द्वारा उपयोग के लिए विकसित किए जाने पर, यह रेल और सड़क बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरतों को कम कर सकता है, तटीय राज्यों में अधिक पूरकताओं को बढ़ावा दे सकता है, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के माध्यम से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा के लाभ के लिए परिवहन लागत को काफी कम कर सकता है।

1.2. मार्च, 2016 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है।

1.3. राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा के बाद पहले चरण में आईडब्ल्यूएआई ने सभी घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों की एफएसआर तैयार की। उपलब्ध पानी की गहराई के आधार पर, राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डीपीआर तैयार की गई थी जिन्हें व्यवहार्य पाया गया था।

1.4. 2008 में घोषित खंड के लिए एनडब्ल्यू 4 की डीपीआर अर्थात वजीराबाद से विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी, भद्राचलम से राजमुंदरी तक गोदावरी नदी काकीनाडा नहर (काकीनाडा-राजमुंदरी), एलुरु नहर (राजमुंदरी-विजयवाड़ा), कोम्मामुर नहर (विजयवाड़ा-पेडागंजम), बकिंघम नहर (पेडागंजम-मरक्कनम) और कालुवेल्ली टैंक (मरक्कनम-पुडुचेरी) के साथ कुल 1,078 किलोमीटर की लंबाई के लिए मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा तैयार की गई थी, जिसे मार्च, 2010 में प्रस्तुत किया गया था और अंतिम रूप दिया गया था।

1.5. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 (2016 की संख्या 17) के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-4 का विस्तार गोदावरी नदी पर नासिक तक और कृष्णा नदी पर गलागली पुल तक किया गया है। मैसर्स वाप्कोस द्वारा तैयार की गई डीपीआर को अद्यतन किया जाए क्योंकि तीव्र औद्योगिकीकरण/बैराजों के निर्माण आदि के रूप में कई परिवर्तन किए गए होते।

1.6. जलमार्गों में और उनके किनारे किए जा रहे चल रहे विकास कार्यों की वास्तविक/नवीनतम स्थिति जानने के लिए; राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के लिए डीपीआर को अद्यतन किया जाएगा।

2. परामर्शी का उद्देश्य

भारत सरकार की मंशा वर्ष भर वाणिज्यिक नेविगेशन के लिए देश भर में अतिरिक्त जलमार्गों की क्षमता का पता लगाने का है, इसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने और उसके बाद पूरे भारत में नेविगेशन प्राप्त करने और जल परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रस्तावित जलमार्गों के समग्र और एकीकृत विकास की संभावना की सिफारिश करने की योजना है।

व्यवहार्यता अध्ययन करने के बाद यदि नौचालन की गुंजाइश है और जलमार्ग परिवहन सुविधा विकसित करने की क्षमता है, तो उन जलमार्गों के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और जांच, यातायात सर्वेक्षण, टमनलों के लिए प्रस्तावित स्थान और लागत मूल्यांकन आदि शामिल होंगे।

अध्ययन में 2 चरण शामिल होंगे:

1. चरण-1
2. चरण-2

2.1 चरण-I

चरण-I केवल नौचालन के लिए जलमार्ग की व्यवहार्यता के लिए है, जिसमें वर्ष भर या वर्ष में कम से कम कुछ महीनों के लिए नौचालन की क्षमता हो सकती है।

चरण-I में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल होंगे:

क. टोही सर्वेक्षण

ख. उपलब्ध डेटा का संग्रह और समीक्षा

ग. व्यवहार्यता रिपोर्ट

2.1.1 टोही सर्वेक्षण

उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के तुरंत बाद विस्तृत क्षेत्र टोही सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। टोही सर्वेक्षण के दौरान पूरा किए जाने वाले प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं:

i. स्वचालित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण प्रणाली का उपयोग करते हुए डीजीपीएस की सहायता से सबसे गहरी गहराई अथवा निम्नतम ऊंचाई वाली भूमि में एकल लाइन अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण (बाथमेट्रिक सर्वेक्षक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण)। प्रस्तावित जलमार्गों में बाथमेट्रिक सर्वेक्षण सबसे गहरे मार्ग में किया जाना है। समान अंतराल पर दो या तीन अनुदैर्ध्य रेखा ध्वनियों को लेकर सबसे गहरे मार्ग तक पहुँचा जा सकता है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, यदि आवश्यक हो, निम्नतम जमीनी स्तरों पर किया जाना है, जिसे दृश्य मूल्यांकन पर तय किया जा सकता है।

ii. मार्गवर्ती पुलों, जलसेतुओं, विद्युत लाइनों, टेलीफोन लाइनों, पाइप लाइनों, केबलों के उच्च बाढ़ स्तर से ऊपर के ब्यौरे एकत्र किए जाने होते हैं और चार्ट पर दर्शाए जाने होते हैं और उनके निर्देशांकों और अवस्थिति सहित रिपोर्ट में शामिल भी किए जाने होते हैं। रास्ते में लगे बैराजों, बांधों, तालों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जानी है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निकासी दृश्य मूल्यांकन पर अनुमानित के रूप में दी जानी है। रिपोर्ट में फोटोग्राफ प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

iii. प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थलाकृतिक विशेषताएं।

iv. संरेखण के साथ विशिष्ट भौतिक विशेषताएं अर्थात भूमि उपयोग पैटर्न:

v. नौचालनात्मक उद्देश्य के लिए वर्ष भर प्रवाह और महत्वपूर्ण गहराई वाले खंडों की प्रारंभिक पहचान।

vi. प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों पर प्रारंभिक यातायात पहचान।

vii. प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्ग की चौड़ाई, भू-भाग, पुलों और प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों (प्रकार, आकार और स्थान), शहरी क्षेत्रों (स्थान विस्तार) सहित प्रमुख पहलुओं की सूची। भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरणीय विशेषताएं। हाइड्रोलॉजिकल विशेषताएं।

viii. विस्तृत जांच की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र और

ix. पूरक जांच करने के लिए आवश्यकताएं

x. मिट्टी (बनावट वर्गीकरण) (प्रत्येक 10 किमी पर केवल दृश्य निरीक्षण) और जल निकासी की स्थिति।

xi. संरेखण के साथ मौजूदा उपयोगिता सेवाओं का प्रकार और सीमा।

xii. सरकार की विभिन्न एजेंसियों की पहचान जिनसे कार्यान्वयन के लिए संबंधित परियोजना मंजूरी मांगी जानी है।

टोही सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा का उपयोग विस्तृत सर्वेक्षणों और जांचों की योजना और प्रोग्रामिंग के लिए किया जा सकता है। यातायात सर्वेक्षण सहित सभी फील्ड अध्ययन टोही सर्वेक्षणों से प्राप्त सूचना के आधार पर किए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण स्थानों के लिए, नदी क्रॉस खंड सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

2.1.2 उपलब्ध आंकड़ों का संग्रह और समीक्षा

उपलब्ध आंकड़ों की प्रकृति, सीमा, पर्याप्तता, वैधता का निर्धारण करने और आंकड़ा अंतरालों की पहचान करने के लिए प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए राज्य अभिकरणों और केन्द्रीय जल आयोग के पास उपलब्ध मौजूदा आंकड़ों के आधार पर समीक्षा की जानी है। परामर्शदाता को राज्य अभिकरणों और केन्द्रीय जल आयोग से प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए उपलब्ध आंकडे एकत्र करने होते हैं। केंद्र सरकार से जानकारी एकत्र करने के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा एक परिचयात्मक-पत्र जारी किया जाएगा।

एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जानी है जिसमें मौजूदा आंकड़ों और टोही सर्वेक्षणों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष शामिल होंगे।

2.1.3 व्यवहार्यता रिपोर्ट

परामर्शदाता को उपलब्ध आंकड़ों और टोही सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तावित जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसमें निम्नलिखित संभावनाएं शामिल होनी चाहिए:

1. **परिचयात्मक विवरण:**

   परामर्शदाता एक प्रस्तावना प्रदान करेगा, समनुदेशन के दायरे, समनुदेशन को पूरा करने में इसकी कार्यप्रणाली और समनुदेशन के अपेक्षित परिणाम का वर्णन करेगा।

2. मामलों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण:

परामर्शदाता प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के वर्तमान उपयोग का मात्रात्मक और गुणात्मक विवरण प्रदान करेगा। इसके अलावा, परामर्शदाता सड़क और परिवहन के उपयोग के साथ-साथ नदी सुविधाओं सहित माल परिवहन की स्थिति का वर्णन करेगा।

3. बाजार विश्लेषण:

परामर्शदाता प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के बाजार और संभावित उपयोग का विश्लेषण करेगा। यह विश्लेषण मौजूदा बाजार और संभावित भविष्य के बाजार दोनों की जांच करेगा। संविदाकार को जलमार्ग के साथ-साथ उपलब्ध उद्योगों, इन उद्योगों में उत्पादन के प्रकार, नौका सेवाओं, जलमार्ग के साथ फसल के प्रकार, जलमार्ग में कार्गो की आवाजाही के पिछले इतिहास आदि के ब्यौरे एकत्र करने होते हैं। उपरोक्त एकत्र टोही सर्वेक्षण आदि करते समय स्थानीय गांव के लोगों के साथ चर्चा के बाद और राज्य सरकार के अधिकारियों, सिंचाई और जल संसाधन विभागों के साथ चर्चा के बाद भी किया जाना है।

4. टोही सर्वेक्षण:

टोही सर्वेक्षण में एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से वाणिज्यिक नेविगेशन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों में वर्ष भर प्रवाह की संभावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसमें प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों का नक्शा भी शामिल होना चाहिए जो मौजूदा क्रॉस संरचनाओं जैसे पुलों, बांधों आदि को दर्शाता हो। जलमार्ग की नौगम्यता (अवधि के लिए) को सीडब्ल्यूसी/सिंचाई जल स्तर डेटा के साथ सहसंबद्ध करना है।

परामर्शदाता को प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। परामर्शदाता इस बात पर भी जोर देना होगा कि प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के किन हिस्सों में संभावित नेविगेशन की क्षमता है। केवल प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों के उन हिस्सों के लिए, जिनमें संभावित नेविगेशन की क्षमता है, स्टेज 2 को पूरा किया जाना है।

अभिज्ञात खंडों के लिए आईडब्ल्यूएआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परामर्शदाता चरण-2 के लिए आगे बढ़ सकता है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर, आईडब्ल्यूएआई चरण-II के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा, और डीपीआर के लिए विस्तार व्यवहार्यता अध्ययन पर आधारित होगा।

2.2 चरण-2

चरण-2 के लिए, परामर्शदाता को विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण और टमनल स्थलों का चयन करना होता है:

चरण-2 इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी:

1क हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और हाइड्रो-मॉर्फोलॉजिकल सर्वेक्षण

1ख. यातायात सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता

1ग. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

2.2.1 हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और हाइर्डोमोर्फोलॉजिकल सर्वेक्षण

प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्ग के टोही सर्वेक्षण के बाद सिफारिश के आधार पर।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हो सकता है राष्ट्रीय मानक के अनुसार ..... अंतर्देशीय नेविगेशन के लिए संभावित .....अंतर्देशीय जलमार्ग खोजने के लिए निम्नलिखित साबित हो सकता है-

(i) विस्तृत हाइड्रो..... WGS'84 डेटम में किया जाना है।

(ii) क्षैतिज सह..... किसी प्लेटफॉर्म/बेस पर न्यूनतम 24 घंटे अवलोकन के साथ डीजीपीएस का उपयोग करके बनाया गया।

ऊर्ध्वाधर नियंत्रण निम्नलिखित विधियों से चार्ट डेटम/साउंडिंग डेटम के संबंध में स्थापित किया जाना है:

i. पत्तन प्राधिकरणों (चार्ट डेटम), केन्द्रीय जल आयोग (पिछले छह वर्षों का औसत न्यूनतम जल स्तर)/राज्य सिंचाई विभाग (पूर्ण आपूर्ति स्तर (एफएसएल) और नदी/नहर के किनारे उनके गेज स्टेशनों द्वारा पहले ही स्थापित चार्ट डेटम/साउंडिंग डेटम स्थापित कर दिए गए हैं। सीडब्ल्यूसी डेटा एकत्र करने के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा गोपनीयता

शपथ प्रपत्र आदि प्रदान किए जाएंगे। राज्य विभागों से अन्य अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए सफल परामर्शदाता को परिचयात्मक-पत्र जारी किया जाएगा।

ii. नदियों/नहरों में डेटम के स्थानांतरण के लिए मानक विधि अपनाई जाएगी। ज्वारीय पहुंच के लिए एडमिरल्टी मैनुअल के अनुसार डेटम का मानक हस्तांतरण अपनाया जाएगा।

iii. ज्वारमापी लगाकर-प्रत्येक 10 किमी के अंतराल पर और ताले, स्लुइस गेट, बैराज, बांध आदि के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर।

सर्वेक्षण कार्य के लिए अन्य विचारार्थ विषय नीचे दिए गए अनुसार होंगे:-

2.2.1.2 जल स्तर गेज

i. नहर/नदी के किनारे प्रत्येक 10 किमी के अंतराल पर और तालों, स्लुइस गेटों, बैराजों, बांधों आदि के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह पर भी जल स्तर मापक लगाए जाने हैं। रीडिंग 1 घंटे के अंतराल पर 12 घंटे (सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक) या सर्वेक्षण की पूरी अवधि के लिए ली जानी है। गेज को समतल करके निकटतम बेंच मार्क से जोड़ा जाना है और इसका डेटम मान एमएसएल और सीडी w.r.to स्थापित किया जाएगा। सर्वेक्षण अवधि के दौरान जल स्तर गेज अस्थायी रूप से स्थापित किए जाने हैं।

ii. कम से कम 2 गेज (एक U/s और एक D/s 10 किमी की दूरी पर) को एक साथ पढ़ा जाएगा और साउंडिंग को गेज स्टेशनों के भीतर किया जाएगा। एक गेज के दोनों ओर नहर/नदी की 5 किमी लंबाई के लिए एक गेज के डेटम के लिए साउंडिंग को कम किया जाना है।

2.2.1.3 बाथमेट्रिक और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

टिप्पणी:

क्र.सं.	**नहर का नाम**	**अंतर्देशीय जलमार्ग का विवरण**
		क्लस्टर-8
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	**गोदावरी नदी पश्चिमी सीमा:** नासिक में नासिक में गोदावरी नदी पर अक्षांश 20° 0‟ 07" उत्तर, लोन 73° 48‟ 12" पूर्व में सड़क पुल; पूर्वी सीमा: सर आर्थर कॉटन बैराज गोदावरी नदी के पार दौलाईस्वरम, राजमुंदरी अक्षांश 16° 56‟ 05" उत्तर, लोन 81° 45‟ 32" पूर्व पर। **कृष्णा नदी पश्चिमी सीमा:** गलगली लाट 16°25‟ 28" उत्तर, लोन 75°26‟19" पूर्व पूर्वी सीमा: विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के आर-पार प्रकाश बैराज अक्षांश 16° 30‟ 18" उत्तर, लोन 80° 36‟ 23" पूर्व पर।

टिप्पणी- निर्दिष्ट जलमार्गों का बाथमेट्रिक और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया जाना है या उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट औसत चौड़ाई है। जलमार्गों की औसत चौड़ाई नदी के संकीर्ण और चौड़े भागों का औसत है। जलाशय/तालाब क्षेत्रों के लिए, सबसे गहरे चैनल में अधिकतम 500 मीटर चौड़ाई का केवल बाथमेट्रिक सर्वेक्षण किया जाना है। न्यूनतम 100 मीटर चौड़े गलियारे का सर्वेक्षण किया जाना है (केवल 60 मीटर से कम जल चौड़ाई वाली नहरों के लिए)। 100 मीटर चौड़े गलियारे में प्रस्तावित जलमार्गों की चौड़ाई शामिल है। चैनल की केंद्र रेखा से दोनों तरफ 50 मीटर चौड़ाई के लिए बाथमेट्रिक और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया जाना है।

क. प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों का बाथमेट्रिक और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण उपर्युक्त तालिका में निर्दिष्ट चौड़ाई के लिए किया जाना है। 100 मीटर चौड़े कॉरीडोर (100 मीटर चौड़े कॉरीडोर में प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों की चौड़ाई शामिल है) के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण की सीमा का आकलन करने के लिए न्यूनतम 100 मीटर चौड़े कॉरीडोर का सर्वेक्षण किया जाना है।

ख. नौगम्य चैनल की पहचान करने के लिए उपर्युक्त तालिका में विनिदष्ट अंतराल पर एक तट से दूसरे तट में अनुप्रस्थ काट साउंडिंग लाइनें/लेवलिंग चलाई जानी है।

ग. अनुप्रस्थ काट पर निरंतर गति से ध्वनि वाली नाव को चलाकर निरंतर ध्वनि निकाली जानी चाहिए ताकि चिकनी आकृति प्राप्त की जा सके। मध्यवर्ती लाइन को मोड़ पर चलाया जाना है, यदि लाइनस्पेसिंग ऊपर निर्दिष्ट से अधिक है।

घ. प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्गों में 60 मीटर से अधिक के अनुप्रस्थ काट अल बाथमेट्रिक सर्वेक्षण के लिए दोनों किनारों पर लाइन स्पेसिंग x 20 मीटर लंबाई ग्रिड पर स्पॉट लेवल लिया जाना चाहिए। यदि द्वीप या सैंडचुर जलमार्ग के बीच में मौजूद हैं, तो एक ही रिक्ति पर स्पॉट स्तर भी लिया जाना चाहिए और एक ही क्रॉस-खंड लाइन के साथ चार्ट में इंगित किया जाना चाहिए।

ङ. यदि बाथमेट्री क्रॉस-सेक्शन जलमार्ग में 60 मीटर चौड़ाई तक सीमित है, तो परामर्शदाता को दोनों किनारों पर लाइन स्पेसिंग x 20 मीटर लंबाई ग्रिड में स्पॉट लेवल सहित 100 मीटर कॉरीडोर को कवर करना होगा।

च. यदि बाथमेट्री क्रॉस-सेक्शनल जलमार्ग में 20 मीटर चौड़ाई तक सीमित है, तो परामर्शदाता को तीन (03) नग चलाना होगा। अनुदैर्ध्य रेखाएं। एक केंद्र में और एक समान अंतराल पर (पानी के किनारों के पास)।

छ. यदि बाथमेट्री क्रॉस-अनुभागीय सीमित है। जलमार्ग में 10 मीटर चौड़ाई तक के लिए परामर्शदाता को केवल केंद्र में अनुदैर्ध्य रेखा पर एक (01) चलाना पड़ता है।

ज. यदि द्वीप या सैंडचूर नदी के बीच में मौजूद हैं, तो एक ही रिक्ति पर स्पॉट स्तर भी लिया जाना चाहिए और उसी क्रॉस-सेक्शन लाइन के साथ चार्ट में इंगित किया जाना चाहिए।

झ. गैर-पहुंच योग्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण परामर्शदाता द्वारा सूचित किए जाने हैं और गैर-पहुंच योग्य क्षेत्रों की पुष्टि के लिए संयुक्त निरीक्षण (परामर्शदाता के प्रतिनिधि और इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके प्रतिनिधि) आयोजित किए जाएंगे।

ञ. सर्वेक्षण क्षेत्र में नहर खंड, नदियां, विभिन्न आयामों के समुद्री खुले स्थान शामिल हो सकते हैं। अत परामर्शदाता को सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र का निरीक्षण करना होता है और बोली प्रस्तुत करने से पहले स्थल की स्थितियों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। तथापि, मात्रा में भिन्नता पर केवल नदी/नहर की लंबाई (अनुदैर्ध्य लंबाई) के लिए विचार किया जाएगा।

ट. ध्वनियों को चार्ट डेटम तक कम किया जाना है! प्रत्येक गेज स्टेशनों पर साउंडिंग डेटम स्थापित किया गया है।

2.2.1.4 वर्तमान वेग और निर्वहन माप

क. सर्वेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक 10 किमी अंतराल पर वर्तमान वेग और निर्वहन दिन में एक बार देखा जाएगा। प्रत्येक 10 किमी अंतराल पर धारा वेग और निर्वहन को उस क्षेत्र में सर्वेक्षण करते समय अलग-अलग गहराई पर केवल एक बार मापा जाना है।

ख. वर्तमान मीटर माप पानी की सतह से 1 मीटर नीचे या 0.5 डी (यदि गहराई 1 मीटर से कम है) पर लिया जाना चाहिए, जहां डी को पानी की गहराई और स्थिति के साथ रिपोर्ट में इंगित मूल्यों को मापा जाता है।

ग. अलग-अलग गहराई पर माप तीन अलग-अलग समय अवधि में एकल उपकरण द्वारा लिया जा सकता है।

घ. विभिन्न गहराई पर वर्तमान वेग का मापन कम से कम 15 मिनट के लिए या इस परियोजना के लिए उपयोग के तहत उपकरण की सूचीबद्ध अंशांकन अवधि के अनुसार मापा जाना है।

ङ. वर्तमान वेग और निर्वहन को सर्वेक्षण के दौरान एडीसीपी की मदद से हर 10 किमी अंतराल पर भी मापा जा सकता है। निर्वहन को एडीसीपी या मानक सूत्रों द्वारा मापा जा सकता है,

2.2.1.5 पानी और नीचे के नमूने

क. प्रत्येक 10 किमी के अंतराल पर सबसे गहरे मार्ग से जल और तल के नमूने एकत्र किए जाने हैं और उनका परीक्षण किया जाना है और मिट्टी और पानी के परिणाम/विशेषताओं को रिपोर्ट में शामिल किया जाना है। मिट्टी का नमूना किसी भी अनुमोदित प्रणाली द्वारा 0.5d (d-मापा गहराई पानी) पर एक हड़पने और पानी के नमूने द्वारा एकत्र किया जा सकता है। बॉटम के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाने हैं। नमूने:-

i) अनाज का आकार वितरण

ii) विशिष्ट गुरुत्व,

iii) PH मान

iv) Cu, Cc

v) पानी के नमूनों के लिए मिट्टी गाद% और तलछट सांद्रता।

2.2.1.6 स्थलाकृतिक विशेषताओं का संग्रह

क. प्रमुख विशेषताओं की तस्वीरें ली जानी हैं और रिपोर्ट में इसकी स्थिति के साथ शामिल की जानी हैं।

ख. इस कॉरीडोर के भीतर स्थित स्थायी ढांचों को भी इस पर दर्शाया जाना अपेक्षित ..... रिपोर्ट और चार्ट।

ग. ..... प्रमुख तट विशेषताएं (ताले, पुल, जलसेतु, सर्वेक्षण स्तंभ यदि उपलब्ध हों आदि) ..... अन्य विशिष्ट वस्तुओं को तय किया जाना है और चार्ट पर इंगित किया जाना है और रिपोर्ट में शामिल किया जाना है।

घ. क्रॉस संरचनाओं की पहचान करें जो नेविगेशन में बाधा डाल रहे हैं।

ङ. मार्गवर्ती पुलों, जलसेतुओं, विद्युत लाइनों, टेलीफोन लाइनों, पाइप लाइनों, केबलों के ब्यौरे (गैर-ज्वारीय क्षेत्र में उच्च बाढ़ स्तर से ऊपर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्वीकृतियां और ज्वारीय क्षेत्र में उच्च ज्वार स्तर) एकत्र किए जाने होते हैं और चार्ट पर दर्शाए जाने होते हैं और उनके निर्देशांकों और स्थान सहित रिपोर्ट में शामिल भी किए जाने होते हैं।

च. जल अंतर्ग्रहण/संरचनाओं का विवरण एकत्र किया जाना है और चार्ट पर दिखाया जाना है और रिपोर्ट में शामिल किया जाना है।

छ. बथग स्थल, मौजूदा जेट्टी, फेरी घाट, संपर्क मार्ग आदि की उपलब्धता को चार्ट पर दर्शाया जाना है और रिपोर्ट में शामिल किया जाना है।

ज. सर्वेक्षण के दौरान, बैंकों की शर्तों को भी एकत्र करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंकों को पिच (संरक्षित) किया जाता है या संरक्षित नहीं किया जाता है। बैंक संरक्षण की लंबाई का अनुमान लगाएं, जहां बैंकों का क्षरण हो रहा है।

झ. गलियारे के भीतर स्थायी संरचनाओं के आने वालों की स्थिति और स्तरों का भौतिक रूप से सर्वेक्षण किया जाना है और सर्वेक्षण चार्ट पर चिह्नित किया जाना है।

ञ. कॉरिडोर के बाहर पहुंचने योग्य सड़कों/रेलों/स्थानों को टोपोशीट्स/गूगल मैप/गूगल अर्थ से शामिल किया जा सकता है।

2.2.1.7 सर्वेक्षण चार्ट तैयार करना

क. 100 मीटर से कम चौड़ाई वाले जलमार्गों के लिए सर्वेक्षण चार्ट 1:1,000 के पैमाने पर तैयार किया जाना है। 100 मीटर से 300 मीटर के बीच जलमार्ग चौड़ाई के लिए 1:2,000 के पैमाने पर। 300 मी से 500 मी के बीच की जलमार्ग चौड़ाई के लिए 15000 के पैमाने पर और 500 मी से अधिक चौड़ाई वाले जलमार्ग के लिए 110000 के पैमाने पर।

ख. चार्ट डेटम/साउंडिंग डेटम के संबंध में चार्ट पर 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर की आकृति दर्शाई जानी है।

ग. चार्ट पर आरोपित किए जाने वाले एमएसएल स्पॉट स्तर में कमी। स्पॉट लेवल वैल्यू w.r.t. मीन सी लेवल (एमएसएल) और साउंडिंग्स W.r.t. चार्ट डेटम/साउंडिंग डेटम के साथ दिए जाने हैं। ड्रेजिंग गणना उद्देश्य के लिए स्पॉट स्तरों के लिए एक अलग फ़ाइल (xyz) (केवल सॉफ्ट कॉपी) भी बनाई जानी है।

घ. क्रॉस-सेक्शन के पूरा होने पर, क्रॉस-सेक्शन पर सबसे गहरी ध्वनियों को जोड़कर ड्रेज चैनल की पहचान/स्थापना की जानी है। निवर्धक जलमार्ग विकसित करने के लिए निकर्षण मात्रा का अनुमान लगाया जाना है

i. 32mx1.8m का आयाम, 1:5 के साइड स्लोप के साथ, w.r.t. चार्ट डेटम/साउंडिंग डेटम (यदि चैनल की चौड़ाई 100m से कम या उसके बराबर है)।

ii. 45mx2.0m को आयाम, 1:5 को साइड ढलानको साथ, w.r.t. चार्ट डेटम/लग डेटम (यदि चैनल की चौड़ाई 100m से अधिक है)।

ङ. रिपोर्ट में जलमार्ग की प्रति किमी लंबाई के लिए ड्रेजिंग की मात्रा दर्शाई जानी है।

च. रिपोर्ट में जलमार्ग की प्रति किमी लंबाई के लिए न्यूनतम और अधिकतम कम गहराई और शोल की लंबाई भी इंगित की जानी है।

छ. वर्तमान मीटर माप मूल्यों को स्थिति के साथ रिपोर्ट में इंगित किया जाएगा।

ज. रिपोर्ट में मृदा और जल के परिणामों/विशेषताओं को शामिल किया जाना है।

झ. 1.0 मीटर से कम गहराई वाले चट्टानी बहिर्वाह, रैपिड्स और अन्य नौचालनात्मक बाधाओं वाले उथले धब्बे/शोल और जलमग्न बालू चूड़ को चार्ट पर दर्शाया जाना है।

ञ. ताले, स्लुइस गेट, बैराज, बांध आदि की स्थिति पर एक संक्षिप्त लेख।

ट. ..... (ख) रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल किए जाने वाले उत्पादों (अर्थात् 100 करोड़ रुपए की संख्या) को भी शामिल किया जाना है। दृश्य ..... पर आधारित संक्षिप्त लेख और स्थानीय..... स्रोतों (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

ठ. ..... ई चार्ट को स्थलाकृतिक स्थलों/स्थल से प्रमुख भूमि विशेषताओं के साथ उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जाएगा। उपलब्ध भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) स्थलाकृतिक शीट को वचन-पत्र प्राप्त होने पर ..... सफल परामर्शदाता के साथ साझा किया जाएगा। निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए ..... आईडब्ल्यूएआई की सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध नहीं हैं। रूट मैप और सर्वेक्षण योजना ..... द्वारा सफल परामर्शदाता को प्रदान की जाएगी। ..... ऑटोमैटिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण प्रणाली का एडब्लू डेटा और संसाधित डेटा जमा करना आवश्यक है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए मानक प्रक्रिया अपनाई जानी है। सभी आरएडब्ल्यू, ईडीआईटी, एसओआरटी और फील्ड डेटा ठेकेदार द्वारा जमा किए जाने आवश्यक हैं।

ड. लेवलिंग डेटा (सीएसवी फाइल) सहित सभी सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र डेटा को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ढ. भू-विशेषताओं, जलमार्ग संरचनाओं के सभी स्थिति डेटा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में प्रस्तुत किए जाने हैं।

2.2.2 यातायात सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता

यह जलमार्ग परिवहन के लिए सर्वाधिक आशाजनक मार्ग के प्रक्षेपण को सुगम बनाने और उस मार्ग पर जलयानों/कार्गो के यातायात की मात्रा का आकलन करने के लिए यातायात संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन है। यह सर्वेक्षण सर्वेक्षण टोही और जल ग्राफिक सर्वेक्षणों के संयोजन से किया जाना है ताकि सिफारिशें तैयार करते समय वैकल्पिक प्रस्तावों की तकनीकी-आथक व्यवहार्यता और लागत को ध्यान में रखा जा सके।

यातायात सर्वेक्षण करने के तौर-तरीके औद्योगिक सर्वेक्षण पर आधारित होंगे और मानक पद्धतियों के आधार पर क्षितिज अवधि (मान लीजिए 5, 10, 15 और 20 वर्ष) के लिए यातायात अनुमान का पूर्वानुमान लगाया जाना होगा। आईडब्ल्यूटी के लिए परिवर्तनीय यातायात का भी आकलन किया जाना है।

2.2.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

कार्य-क्षेत्र इस प्रकार है:

क. रूपात्मक, हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोग्राफिक स्थितियों और संचालन और अनुरक्षण आवश्यकताओं का आकलन। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और:

- शिपिंग और नेविगेशन के लिए आवश्यक नदी प्रशिक्षण, तट संरक्षण, ड्रेजिंग आदि सहित नदी संरक्षण।
- नौवहन सहायता और संचार सुविधाएं।
- मौजूदा या प्रस्तावित क्रॉस संरचनाओं जैसे पुलों, पावर केबलों, तालों आदि पर अपेक्षित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्लीयरेंस के संदर्भ में सुधार किए गए हैं।

ख. जियो-टेक जांच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत सरकार के मानक दिशानिर्देशों के अनुसार परामर्शदाता द्वारा की जाएगी।

ग. प्रारंभिक डिजाइन के लिए आवश्यक जांच करने के लिए, जलमार्ग इंजीनियरिंग कार्यों और संरचनाओं, जलमार्ग क्रॉसिंग, नौवहन संरचनाओं, नदी के बंदरगाहों और टर्मिनल और रेल पहुंच को कवर करने के लिए एक समन्वित विकास सुनिश्चित करना।

घ. नदी प्रशिक्षण की इष्टतम संरचना के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग डिजाइन, चित्र और अनुमान तैयार करना और ईपीसी मोड में जलमार्ग प्रणाली के लिए एक नौगम्य चैनल विकसित करने और बनाए रखने के लिए 'तट संरक्षण उपाय और नौवहन सहायता।

ङ. प्रारंभिक इंजीनियरिंग डिजाइनों के लिए, मिट्टी की विशेषताओं के बारे में डेटा स्थानीय स्रोतों से एकत्र किया जाएगा जो पास में निर्मित संरचनाओं पर आधारित होगा। महत्वपूर्ण संरचनाओं के मामले में, परामर्शदाता यह सुझाव दे सकता है कि बोरहोल परीक्षणों आदि सहित विस्तृत मृदा जांच की जानी चाहिए।

च. नदी प्रशिक्षण/तट संरक्षण विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए कार्य करता है जहां या तो जलमार्ग संकरा है और तलकर्षण द्वारा इसे चौड़ा करने की आवश्यकता है अथवा जहां यह अनुमान लगाया जाता है कि नौकाओं के निरंतर संचलन के कारण तट नष्ट हो सकते हैं।

छ. स्थान की पहचान करें और प्रत्याशित कार्गो को विधिवत अद्यतन करने के लिए कार्गो टर्मिनलों और नदी बंदरगाहों के प्रारंभिक डिजाइन को पूरा करें।

ज. परियोजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता को इंगित करते हुए पूरी परियोजना के लिए एक यथार्थवादी निर्माण अनुसूची तैयार करें। व्यय की फेजिंग पर भी काम किया जाना है। नदी के टर्मिनलों और बंदरगाहों सहित निर्माण के चरणबद्ध कार्यक्रमों का भी सुझाव देना जो मौजूदा और नियोजित सिंचाई और जल विद्युत सुविधाओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत होंगे।

झ. संपूर्ण प्रस्तावित बुनियादी ढांचे, हैंडलिंग और अन्य संबद्ध सुविधाओं के लिए विभिन्न संभावित विकल्पों के लिए लागत अनुमान तैयार करें। विभिन्न विकल्पों की तुलना करते समय, लागत और अर्थव्यवस्था कारकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। संस्तुत सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प में परियोजना के सभी घटकों के लिए विस्तृत लागत निर्धारण होगा। परामर्शदाता शिपिंग और नेविगेशन के लिए आवश्यक नदी प्रशिक्षण, बैंक संरक्षण, ड्रेजिंग आदि सहित नदी संरक्षण का प्रस्ताव करेगा। जल संवर्धन के लिए वैकल्पिक संभव पद्धतियों का भी विस्तार से सुझाव दिया जाना है। परामर्शदाता द्वारा एफआईआरआर, ईआईआरआर, एनपीवी और एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण भी किया जाना है।

ञ. इन विकास कार्यों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना और प्रतिकूल प्रभावों, यदि कोई हो, को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का सुझाव देना, जिसमें इसकी लागत भी शामिल है। बाढ़ मैदान विशेषज्ञ पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने और ईएमपी की तैयारी के लिए जिम्मेदार होंगे। परामर्शदाता को उन प्राधिकारियों की पहचान करनी होगी जो ईआईएआईईएमपी के लिए स्वीकृति देंगे। परामर्शदाता को इन चिन्हित प्राधिकरणों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

ट. वर्तमान और भविष्य में वाणिज्यिक व्यवहार्य नेविगेशन के लिए पुलों, पावर केबल, लॉक आदि जैसे क्रॉस स्ट्रक्चर पर प्रदान की जाने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मंजूरी का सुझाव दें। इसके लिए आईडब्ल्यू एआई दिशानिर्देश खंड-IV को भी संदर्भित किया जा सकता है।

3. सेवाओं की अवधि

परामर्शदाता अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए उप-परामर्शदाता(ओं) के साथ जुड़ सकते हैं। आवेदक प्रस्ताव के साथ एसोसिएट कंपनी की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में उप परामर्शदाता के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रस्तुत करेगा।

3.1 समय अनुसूची/रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(क) समनुदेशन के विभिन्न उप-चरणों के पूरा होने का समय ..... पर दिया जाएगा

क्र.सं.	गतिविधि	सप्ताह में समय**
क)	टीम का जुटाना और स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करना (2 प्रतियां)	5
ख)	हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण चार्ट और रिपोर्ट प्रस्तुत करना (3 प्रतियां)	15
ग)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत करना (3 प्रतियां)	25
घ)	डीपीआर के मसौदे पर आईडब्ल्यूएआई की टिप्पणियां प्राप्त होना।	30
ङ)	आईडब्ल्यूएआई की अंतिम टिप्पणियों को शामिल करने के बाद अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (10 प्रतियां) प्रस्तुत करना।	35

टिप्पणी:- परामर्शदाताओं को संलग्न मानक टेम्पलेट्स में चरण-II में निम्नलिखित आउटपुट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:-

vi) यातायात साँचा:संलग्नक-IV में

vii) परियोजना लागत टेम्पलेट: संलग्नक-V पर

viii) वित्तीय मूल्यांकन टेम्पलेट: संलग्नक-VI में

ix) आर्थिक मूल्यांकन टेम्पलेट: संलग्नक-VII में

x) पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिंग टेम्पलेट: संलग्नक-VIII पर

4. प्रमुख पेशेवरों की न्यूनतम अर्हता

क्र.सं.	प्रमुख व्यवसायिक	अर्हता मानदंड
1.	जलमार्ग विशेषज्ञ (टीम लीडर)	शैक्षणिक अर्हता): • सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। पोर्ट और हार्बर इंजीनियरिंग/स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग/भू-तकनीकी इंजीनियरिंग में उच्च व्यावसायिक अर्हता को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक अर्हता: • परामर्शदाताओं की एक प्रतिष्ठित फर्म में कम से कम 5 वर्षों के साथ विभिन्न प्राकृतिक और परिचालन स्थितियों में विभिन्न जलमार्ग/बंदरगाह/नदी तट विकास/नदी प्रशिक्षण

		कार्यों, टर्मिनलों, व्यापार सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए योजना, डिजाइन, निर्माण, व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव।
2	परामर्शदाता (सिविल)	शैक्षणिक अर्हता: • सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, बंदरगाहों और हार्बर इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण/अध्ययन को प्राथमिकता दी जाएगी। • व्यावसायिक अर्हता: • पोर्ट नियोजन, पोर्ट संरचना योजना और पोर्ट संचालन के लिए भौतिक सुविधाओं के विकास में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। कुशलतापूर्वक विभिन्न बंदरगाह सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की बंदरगाह संरचनाओं और अन्य भौतिक सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। अधिमानतः कई आधुनिक बंदरगाहों के निर्माण का अनुभव।
3.	रिमोट सेंसिंग/जीआईएस विशेषज्ञ	शैक्षणिक अर्हता: • इंजीनियरिंग/भूविज्ञान में स्नातक होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग/जियोइन्फॉर्मेटिक्स में उच्च व्यावसायिक अर्हता को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यवसायिक अर्हता: • जलमार्ग/बंदरगाह/नदी मानचित्रण में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव और जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में प्रवीणता। स्थानिक डेटा स्वरूपों और संबंधित मेटाडेटा मुद्दों का कार्यसाधक ज्ञान। वेब मैपिंग अनुप्रयोगों का कार्यसाधक ज्ञान, जैसे कि गूगल अर्थ/भुवन
4.	फ्लडप्लेन विशेषज्ञ	शैक्षणिक अर्हता: • पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। फ्लडप्लेन प्रबंधन/हाइड्रोग्राफी/जल संसाधन इंजीनियरिंग में उच्च व्यावसायिक अर्हता को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यवसायिक अर्हता: • फ्लडप्लेन प्रबंधन में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। पानी और/या अपशिष्ट जल मॉडलिंग का कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है।
5.	हाइड्रोग्राफिक विशेषज्ञ	शैक्षणिक अर्हता: • सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे में आईटी/संबंधित क्षेत्र में उच्च अर्हता को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक अर्हता: • हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, जांच और माप, विभिन्न भौगोलिक स्थानों और प्राकृतिक में बाथमेट्रिक सर्वेक्षण/स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करने में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव।
6.	सॉइल अभियंता/फाउंडेशन अभियंता	शैक्षणिक अर्हता: • पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। हायर इंजीनियरिंग मरीन स्ट्रक्चर/जियोटेक्निकल में अर्हता होगी। व्यावसायिक अर्हता: • संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। उसे मिट्टी की जांच, पुनर्ग्रहण कार्य, मिट्टी सुधार का अनुभव होना चाहिए और नींव डिजाइन में जुड़ा होगा। वह लागत अनुमान/बीओक्यू तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
7.	यातायात सर्वेक्षक	शैक्षणिक अर्हता: • इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में उच्च अर्हता को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक अर्हता: • संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। उसे

		जलमार्ग/नदी/नहर या इसी तरह की सुविधाओं के यातायात सर्वेक्षण का अनुभव होना चाहिए।
8.	परिवहन अर्थशास्त्री	शैक्षणिक अर्हता: • ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट/रोड/रेल/सिविल इंजीनियरिंग/एमबीए में ग्रेजुएट या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में उच्च अर्हता को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक अर्हता: • संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। उसे परिवहन निवेश का आकलन करने और परिवहन कार्यक्रमों को लागू करने का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पणी 1:- यदि सीवी में प्रस्तावित प्रमुख कार्मिक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूरा नहीं करते हैं: उनके सीवी के समग्र स्कोर का मूल्यांकन शून्य के रूप में किया जाएगा। ऐसे सभी प्रमुख कार्मिक (जिनका सीवी स्कोर 75**%** से कम है या जो न्यूनतम अर्हता को पूरा नहीं करते हैं) को फर्म द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। ऐसे कार्मिकों के प्रतिस्थापन के लिए एच-1 फर्म को सूचित किया जाएगा और निविदा मानदंड पूरा करने के लिए सीवी प्राप्त होने के बाद कार्य सौंपा जाएगा।

टिप्पणी 2:- आईडब्ल्यूएआई कार्य सौंपे जाने के समय परामर्शदाता के प्रत्येक प्रमुख कार्मिक को परामर्शदाता की लागत पर बुला सकता है।

टिप्पणी 3:- यदि प्रमुख कार्मिकों के साथ चर्चा के दौरान, यह पाया जाता है कि प्रस्तावित प्रमुख कर्मी समनुदेशन स्थिति के लिए अनुपयुक्त है, तो उसके प्रतिस्थापन के बराबर या बेहतर परामर्शदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऐसे अनुपयुक्त सीवी वाले प्रमुख कार्मिकों को दो वर्ष के लिए उस स्थिति के लिए भविष्य में किसी भी बोली में विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रतिस्थापन के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो चर्चा के दौरान उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं।

टिप्पणी 4:- प्रमुख व्यवसायिक की भूमिका और जिम्मेदारियां परियोजना की आवश्यकता और निविदा दस्तावेज के विचारार्थ विषयों के अनुसार होंगी और इसे भावी बोलीदाता द्वारा एक्सेस किया जाना है।

5. भुगतान शर्तें

क. संविदा के तहत देय कुल संविदा मूल्य एलओए में निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद इस संविदा का हिस्सा बन जाएगा और यहां शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। उद्धृत मूल्य में जीएसटी को छोड़कर नियोक्ता द्वारा

परामर्शदाता को भुगतान किए जाने वाले सभी शुल्क शामिल होंगे, जिनका भुगतान भुगतान जारी करने के समय प्रभावी सरकारी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ख. सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में किए जाएंगे और कराधान के उद्देश्य से लागू भारतीय कानूनों के अधीन होंगे, यदि कोई हो।

ग. भुगतान केवल नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अनुमोदन के खिलाफ किया जाएगा। निर्दिष्ट प्रमुख सुपुर्दगी से जुड़ी भुगतान अनुसूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वितरित की जाने वाली रिपोर्ट (प्रमुख प्रदेय)	भुगतान
1.	प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद	10%
2.	हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण चार्ट और रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद)3 प्रतियां(	15%
3.	मसौदा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद	25%
4.	अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण के मसौदे के अनुमोदन के बाद	25%
5.	अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद	25%

खंड-VII: संविदा का मानक प्रारूप

1. संविदा की शर्तें

1.1 **परिभाषाएं:** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संविदा में जब भी निम्नलिखित शब्दों का उपयोग किया जाता है, उनके निम्नलिखित अर्थ होते हैं:

1.1.1 **"नियोक्ता"** का अर्थ है अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 और इसके उत्तराधिकारी जिन्होंने परामर्श सेवाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं और जिनके साथ चयनित परामर्शदाता सेवाओं के लिए संविदा पर हस्ताक्षर करता है और जिसे चयनित परामर्शदाता संविदा के संदर्भ के नियमों और शर्तों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा।

1.1.2 **"प्रिंसिपल/मालिक"** भारत के अंतर्देशीय जल नियोक्ता (आईडब्ल्यूएआई) को संदर्भित करता है

1.1.3 **"परामर्शदाता"** का अर्थ है कोई भी इकाई या व्यक्ति या व्यक्ति का कंसोटियम जो संविदा के तहत नियोक्ता को सेवाएं प्रदान करता है।

1.1.4 **"संविदा/करार"** का अर्थ है पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा और सभी संलग्न दस्तावेज जो संविदा की शर्तें हैं, संलग्नक/परिशिष्ट और बाद में दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमत हुए किसी भी संशोधन। शब्द "करार" या "संविदा" या "परामर्श करार" विनिमेय हैं।

1.1.5 **"बोलीदाताओं को निर्देश"** का अर्थ है वह दस्तावेज जो बोलीदाताओं को उनकी तकनीकी और वित्तीय बोलियां तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

1.1.6 **"एनआईटी"** का अर्थ है ई-निविदा आमंत्रन नोटिस जो नियोक्ता द्वारा बोलीदाताओं को भेजा जा रहा है।

1.1.7 **"टीआईए"** का अर्थ है निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी।

1.1.8 **"समनुदेशन/कार्य"** का अर्थ है इस संविदा के अनुसार परामर्शदाता द्वारा निष्पादित/प्रदान किए जाने वाले कार्य/सेवाएं।

1.1.9 **"जीसी"** संविदा की सामान्य शर्तों का मतलब है.

1.1.10 **"स्वीकृत"** का अर्थ है नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें पिछली मौखिक स्वीकृति पर बाद में लिखित पुष्टि शामिल है, यदि कोई हो और स्वीकृति का अर्थ है लिखित रूप में स्वीकृति जिसमें पूर्वोक्त भी शामिल है।

1.1.11 **"लागू कानून"** का अर्थ है कानून और भारत में कानूनों का बल रखने वाले किसी भी अन्य उपकरण के रूप में उन्हें समय-समय पर जारी किया जा सकता है और प्रवृत्त रखा जा सकता है।

1.1.12 **"स्वीकृत"** का अर्थ है नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित और अनुमोदन का अर्थ है नियोक्ता द्वारा पूर्वोक्त के रूप में अनुमोदन।

1.1.13 शब्द "निविदा" "बोली" का पर्याय है, और "निविदाकर्ता" "बोलीदाता" के साथ है।

1.1.14 **"नियोक्ता के प्रतिनिधि (ओं)"** का अर्थ है नियोक्ता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि (प्रतिनिधि)।

1.1.15 **"बोलीदाता"** का अर्थ है प्रासंगिक कानूनों के तहत गठित एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/साझेदारी और जो इस परामर्श निविदा के लिए आवेदन करता है।

1.1.16 **"आईएनआर",** या रुपये का अर्थ है भारतीय रुपए।

1.1.17 **"प्रमुख कार्मिक"** का अर्थ है परामर्शदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए व्यवसायिक कर्मचारी।

1.1.18 **"पार्टी"** का अर्थ है नियोक्ता या परामर्शदाता, जैसा भी मामला हो, और पार्टियों का अर्थ है दोनों।

1.1.19 **"सहायक कार्मिक"** का अर्थ है वे कर्मचारी जो प्रमुख कार्मिकों की सहायता करते हैं।

1.1.20 **"थर्ड पार्टी"** का अर्थ है नियोक्ता, परामर्शदाता के अलावा अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था।

1.1.21 **"बोली"** का अर्थ है तकनीकी और वित्तीय बोलियां जैसाकि इस निविदा के तहत उल्लेख किया गया है।

1.1.22 **"विचारार्थ विषय"** (टीओआर) का अर्थ है खंड V के तहत शामिल दस्तावेज जो उद्देश्यों, कार्य-क्षेत्र, गतिविधियों, किए जाने वाले कार्यों और समनुदेशन/नौकरी के अपेक्षित परिणाम और प्रदेय की व्याख्या करता है।

1.1.23 **"संविदा राशि"** का अर्थ है एलओए के समय प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों सहित संविदा स्वीकृति-पत्र (एलओए) के अनुसार सहमत और स्वीकृत परामर्श शुल्क।

1.1.24 **"अध्यक्ष"** का अर्थ है भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग नियोक्ता के अध्यक्ष।

1.1.25 **"सदस्य (तकनीकी)"** का अर्थ है सदस्य (तकनीकी), आईडब्ल्यूएआई द्वारा नियोक्ता के तहत परियोजनाओं के लिए प्रतिनियुक्त

1.1.26 **"हाइड्रो"** चीफ का अर्थ है नियोक्ता के अधीन परियोजनाओं के लिए प्रतिनियुक्त हाइड्रोग्राफिक चीफ, आईडब्ल्यूएआई।

1.1.27 **"कार्य आदेश"** का अर्थ है आईडब्ल्यूएआई द्वारा जारी अवार्ड पत्र जिसमें निविदा/प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना दी गई है, बशर्ते कि इस तरह के आरक्षण के अधीन जो उसमें उल्लिखित।

1.1.28 **"दिन"** का अर्थ है एक कैलेंडर दिन जो मध्य-रात्रि में शुरू और समाप्त होता है।

1.1.29 **"सप्ताह"** का अर्थ है लगातार सात कैलेंडर दिन।

1.1.30 **"महीना"** का अर्थ है एक कैलेंडर महीना।

1.1.31 **"कंसल्टेंसी सर्विसेज"** का अर्थ है संविदा के अनुसार निष्पादित की जाने वाली परामर्श सेवाएं।

1.2 **सीमांत शीर्षक:**

इन शर्तों में प्रत्येक खंड के सीमांत शीर्षक या नोट्स को उसके एक हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा या उसकी व्याख्या या निर्माण या संविदा में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

1.3 **व्याख्या**

क) संविदा की इन शर्तों की व्याख्या करने में, एकवचन का अर्थ बहुवचन भी है, पुरुष का अर्थ महिला या नपुंसक भी है और इसके विपरीत, शीर्षकों का कोई महत्व नहीं है। संविदा की भाषा के तहत शब्दों का अपना सामान्य अर्थ होता है जब तक कि विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो।

ख) संविदा बनाने वाले दस्तावेजों की व्याख्या प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में की जाएगी।

i. समझौता
ii. स्वीकृति-पत्र, काम शुरू करने के लिए सूचना।
iii. परामर्शदाता की बोली।
iv. संविदा की शर्तें।
v. गतिविधि अनुसूची: और
vi. संविदा डेटा में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ अनुबंध के हिस्से के रूप में

ग) संविदा के भाग के रूप में संविदा आंकड़ों में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज निविदाओं और संविदाओं के लिए ये विनियम संविदा की शर्तों के संयोजन में पढ़े जाएंगे जिन्हें यहां संदर्भित किया गया है और संविदा की विशेष शर्तों और/या विशेष विनिर्देशों द्वारा संशोधनों, परिवर्धनों, दमन के अधीन होंगे, यदि निविदा प्रपत्र में कोई संलग्न हो।

घ) **(i) पक्षकार:**

संविदा के पक्षकार परामर्शदाता और नियोक्ता हैं।

(ii) **परामर्शदाता की ओर से संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले परामर्शदाता के प्रतिनिधि:**

परामर्शदाता की ओर से संविदा के संबंध में निविदा अथवा किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति परामर्शदाता से प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा जिसे संविदा प्रदान करने के लिए चुना गया है। यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए परामर्शदाता की कोई सहमति नहीं थी, तो नियोक्ता की ओर से अध्यक्ष, नियोक्ता के किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा को रद्द/समाप्त कर सकता है।

(i) परामर्शदाता का पता और नियोक्ता की ओर से नोटिस और संचार।

संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता सहित, निविदा में उल्लिखित परामर्शदाता का पता वह पता होगा जिस पर परामर्शदाता को संबोधित सभी संचार भेजे जाएंगे, जब तक कि परामर्शदाता ने एक अलग पत्र द्वारा परिवर्तन को अधिसूचित नहीं किया है जिसमें कोई अन्य संचार नहीं है और पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है,

सदस्य (तकनीकी)

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा-201301

टेलीफ़ोन: (0120) 2527667, 2522969 फ़ैक्स (0120) 2522969

वेबसाइट: www.iwai.nic.in

पूर्वोक्त मामले में पते के परिवर्तन को अधिसूचित करने के लिए चूक के परिणाम के लिए परामर्शदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

संविदा के संबंध में नियोक्ता की ओर से कोई भी संचार या नोटिस नियोक्ता द्वारा परामर्शदाता को जारी किया जा सकता है, और इस तरह के संचार और नोटिस परामर्शदाता को फैक्स या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा या पोस्टिंग के प्रमाणपत्र के तहत या साधारण डाक द्वारा या नियोक्ता के विकल्प पर हाथ से वितरण द्वारा दिए जा सकते हैं।

(ङ) अध्यक्ष की शक्ति:

संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए, जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही भी शामिल है, आईडब्ल्यूएआई की ओर से अध्यक्ष के अधीन नियोक्ता के सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने का पात्र होगा।

1.4 **संविदा की शर्तों में यह भी शामिल होगा**:

परामर्शदाता इसके अंतर्गत उल्लिखित स्वीकृत बोली और निविदा शर्तों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा:

i) परामर्शदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वांछित परिणाम देने के लिए संपर्क करने के लिए अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता, शामिल कार्य की प्रकृति, यदि कोई हो, को समझें और खुद को अवगत कराएं।

ii) सफल परामर्शदाता को आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 28 दिनों के भीतर आईडब्ल्यूएआई के साथ रु.100/- स्टाम्प पेपर (गैर-न्यायिक) पर करार निष्पादित करना होगा। करार का प्रारूप संलग्नक-II में दिया गया है। करार की शर्तें परामर्शदाता पर बाध्यकारी होंगी।

iii) निविदा की स्वीकृति आईडब्ल्यूएआई के पास होगी। आईडब्ल्यूएआई बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iv) बिना कोई कारण बताए पंचाट देने, काम करने और प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार नियोक्ता के पास आरक्षित है।

v) संविदा की शर्तों का कोई भी उल्लंघन परामर्शदाता के ध्यान में लाया जाएगा और उसे इस तथ्य को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन आईडब्ल्यूएआई को परामर्शदाता के कार्य से पूर्ण या आंशिक रूप से वापस लेने का अधिकार है। ऐसी घटना में, भुगतान परामर्शदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा की सीमा के अनुपात में उस समय तक किया जाएगा।

vi) परामर्शदाता इस परियोजना पर कार्य कर रहे अपने सभी कार्मिकों का बीमा करेगा और आईडब्ल्यूएआई को सभी देयताओं, हानियों आदि की क्षतिपूत करेगा।

vii) परामर्शदाता द्वारा उद्धृत दर तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध रहेगी।

xi) आईडब्ल्यूएआई द्वारा परामर्श अवधि का उपयुक्त विस्तार केवल विचारार्थ पात्र कारणों से ही प्रदान किया जा सकता है। परामर्शदाता वांछित विस्तार के कारणों और अवधि का उल्लेख करते हुए अग्रिम रूप से लिखित रूप में इसके लिए अनुरोध करेगा।

xii) परामर्शदाता तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ बोली में दर्शाए गए अन्य स्टाफ की प्रकृति और स्तर में परिवर्तन नहीं करेगा।

xiii) परामर्शदाता सभी डेटा, विश्लेषण, तथ्यों और दस्तावेजों आदि की शुद्धता और सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

xiv) परामर्शदाता विकसित देशों के समान अधिनियम, देश में आईडब्ल्यूटी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति/स्थिति, आज की तारीख और भविष्य में इस क्षेत्र में तकनीकी विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में हितधारकों से प्राप्त

सुझाव, विचारों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रारूपण में सभी सावधानी और परिश्रम का पालन करेगा।

xv) परामर्शदाता नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, इस संविदा या उसके किसी भी हिस्से के तहत आंशिक रूप से या पूरी तरह से अधिकार और दायित्व को तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेगा, स्थानांतरित या सबलेट करेगा, अन्यथा नियोक्ता को लिखित रूप में इस तरह की समाप्ति के परामर्शदाता को सूचित करने के अलावा कोई कारण बताए बिना इस संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मामले में परामर्शदाता को इस समाप्ति के कारण किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तथापि, परामर्शदाता अभी भी जिम्मेदार रहेगा यदि नियोक्ता अपने स्वीकार करने, स्थानांतरित करने या तीसरे पक्ष को पूरी तरह से, व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उन पार्टियों के साथ सबलेटिंग करने की मंजूरी देता है, जिन्हें काम दिया गया है, स्थानांतरित या सबलेट किया गया है।

xvi) परामर्शदाता इस परामर्श कार्य के लिए सौंपे गए अपने कार्मिकों के परिवहन, आवास, टीए/डीए, वर्गीकरण सोसायटी के आईडब्ल्यूएआई कार्यालयों/कार्यालयों, सांविधिक प्राधिकरणों, राज्य/केंद्र सरकार के विभागों सहित हितधारकों का दौरा करने, संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा/बैठक/प्रस्तुतियों आदि में भाग लेने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा।

xvii) कार्य के लिए उद्धृत परामर्श शुल्क में सभी आनुषंग, डिजाइन, रिपोर्ट, योजनाएं, दस्तावेज, कार्यशालाएं, सार्वजनिक बैठकें आदि की लागत सहित सभी आकस्मिक लागतें शामिल होंगी, जिन्हें समनुदेशन के दौरान परामर्शदाता द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक होगा।

xviii) परामर्शदाता की फर्म द्वारा अपना कारोबार बंद करने की स्थिति में, आईडब्ल्यूएआई को परामर्शदाता के जोखिम और लागत पर कार्य पूरा करने के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार होगा। इसके बाद पूरी की गई सेवाओं के चरण तक परामर्शदाता को भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में, अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई का निर्णय अंतिम और परामर्शदाता पर बाध्यकारी होगा।

1.5 संयुक्त और कई दायित्व

यदि परामर्शदाता (लागू कानूनों के अंतर्गत) दो या अधिक व्यक्तियों/कंपनियों के एक जॉइंट वैंचर, कंसोटियम या अन्य अनिगमित समूह का गठन करता है।

क) इन व्यक्तियों/कंपनियों को संविदा के निष्पादन के लिए नियोक्ता के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी माना जाएगा;

ख) ये व्यक्ति/कंपनियां अपने नेता के नियोक्ता को सूचित करेंगी जिनके पास परामर्शदाता को बाध्य करने का अधिकार होगा और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी बोली प्रस्तुत करने के एक भाग के रूप में मूल कंपनी की गारंटी प्रदान करेगी।

ग) परामर्शदाता नियोक्ता की पूर्व सहमति के बिना अपनी संरचना या कानूनी स्थिति को नहीं बदलेगा।

2. संविदा का प्रारंभ, समापन, विस्तार, संशोधन और समाप्ति

2.1 संविदा का प्रारंभ और समापन: परामर्शदाता एलओए (पंचाट पत्र) जारी करने की तारीख से सेवाओं को पूरा करना शुरू कर देगा। परामर्शदाता 4 माह की अवधि के लिए नियोक्ता की संपूर्ण संतुष्टि के अनुसार विचारार्थ विषय के अनुसार सभी प्रकार से कार्य करेगा।

2.2 संविदा अवधि का विस्तार/कमी:

इस संविदा के अंतर्गत परामर्श की अवधि में किसी विस्तार की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, यदि ऐसे वास्तविक कारण हैं जिनका किसी अनुभवी परामर्शदाता द्वारा पूर्वाभास नहीं किया जा सकता है जिसके कारण पक्षकारों के बीच सहमत समय अनुसूची का पालन नहीं किया जा सकता है, तो परामर्शदाता नियोक्ता को लिखित रूप में ऐसे प्रत्याशित विलंब के कारणों और समय विस्तार के अनुरोध के साथ सूचित करेगा। तथापि, यह नियोक्ता के विवेकाधिकार पर है कि वह परामर्शदाता को समय का ऐसा विस्तार प्रदान करे और उस अवधि के लिए जिसे नियोक्ता सबसे व्यवहार्य और परियोजना के सर्वोत्तम हित में पाता है।

2.3 <u>संशोधन या विविधताएं</u>:

इस संविदा के नियमों और शर्तों का कोई भी संशोधन या भिन्नता, जिसमें सेवाओं के दायरे में कोई संशोधन या भिन्नता शामिल है, केवल पार्टियों के बीच लिखित आपसी करार द्वारा किया जा सकता है। तथापि, इस तरह के किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप सहमत कुल परामर्श शुल्क में बदलाव या संदर्भ शर्तों में पर्याप्त बदलाव नहीं होगा।

2.4 <u>अप्रत्याशित घटना</u>

2.4.1 परिभाषा

क. इस संविदा के प्रयोजनों के लिए, अप्रत्याशित घटना का अर्थ है एक असाधारण घटना या परिस्थितियां जो किसी पार्टी के उचित नियंत्रण से परे हैं, दूरदर्शी नहीं हैं, अपरिहार्य हैं और ऐसी घटनाओं से प्रभावित होने का दावा करने वाली पार्टी के उदाहरण पर या उसके बारे में नहीं लाया गया है और जिसके कारण निष्पादन में गैर-निष्पादन या देरी हुई है और जो पार्टी के अपने दायित्वों के निष्पादन को असंभव या इतना अव्यावहारिक बनाता है जितना कि यथोचित है परिस्थितियों में असंभव माना जाता है, और इसमें युद्ध, दंगों, नागरिक अव्यवस्था, भूकंप, आग, सुनामी, विस्फोट, तूफान, बाढ़ या अन्य चरम प्रतिकूल मौसम की स्थिति, हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई (सिवाय इसके कि ऐसी पार्टी को रोकने के लिए बल का आह्वान करना), जब्ती या सरकारी एजेंसियों द्वारा कोई अन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है।

ख. अप्रत्याशित घटना में शामिल नहीं होगा (i) कोई भी घटना जो किसी पार्टी की लापरवाही या जानबूझकर कार्रवाई या ऐसी पार्टी के उप-परामर्शदाताओं या एजेंटों या कर्मचारियों के कारण होती है, न कि (ii) कोई भी घटना जो एक मेहनती पार्टी को यथोचित रूप से इस संविदा के समापन के समय ध्यान में रखने के लिए दोनों को छोड़ दिया जा सकता था, और इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने से बचें या दूर करें।

2.4.2 <u>किए जाने वाले उपाय:</u>

क. अप्रत्याशित घटना से प्रभावित एक पार्टी संविदा के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेगी जहां तक यथोचित व्यावहारिक है और बल की किसी भी घटना के परिणामों को कम करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा।

ख. अप्रत्याशित घटना की घटना से प्रभावित एक पार्टी इस तरह की घटना के दूसरे पक्ष को जल्द से जल्द सूचित करेगी और किसी भी मामले में बाद में नहीं कि इस तरह की घटना के चौदह (14) दिन बाद, प्रकृति और कारण का प्रमाण प्रदान करते हुए यदि ऐसी घटना और इसी तरह जल्द से जल्द सामान्य स्थितियों की बहाली की लिखित सूचना देगा।

ग. कोई भी अवधि, जिसके भीतर एक पार्टी, इस संविदा के अनुसार, किसी भी परीक्षण को पूरा करेगी, उस समय के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसके दौरान ऐसी पार्टी बल के परिणामस्वरूप ऐसी कार्रवाई करने में असमर्थ थी।

घ. अप्रत्याशित घटना की घटना के परिणामस्वरूप सेवाओं को करने में असमर्थता की अवधि के दौरान, परामर्शदाता, नियोक्ता द्वारा निर्देशों पर या तो करेगा:

i. वियोजन

ii. जहां तक संभव हो सेवाओं के साथ जारी रखें

ङ. अप्रत्याशित घटना के अस्तित्व या सीमा के रूप में पक्षों के बीच असहमति के मामले में, मामले को विवाद समाधान/मध्यस्थता पर खंड के अनुसार निपटाया जाएगा।

2.5 <u>निलंबन:</u>

"नियोक्ता", परामर्शदाता को निलंबन की लिखित सूचना द्वारा, इसके तहत परामर्शदाताओं को सभी भुगतानों को निलंबित कर सकता है यदि परामर्शदाता इस संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, जिसमें समनुदेशन करना भी शामिल है, बशर्ते कि निलंबन की ऐसी सूचना (i) विफलता की प्रकृति को निर्दिष्ट करेगी और 9ii) परामर्शदाता को ऐसी विफलता का उपाय करने की अनुमति देगा, यदि निलंबन के ऐसे नोटिस के परामर्शदाता द्वारा प्राप्त होने के बाद तीस (30) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर उपचार करने में सक्षम नहीं है।

2.6 <u>पूरा होने का समय और विस्तार</u>

2.6.1 इन शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अनुमत समय या विस्तारित समय, यदि कोई हो, संविदा का सार होगा।

2.6.2 तथापि, यदि निम्नलिखित कारणों से कार्य में विलंब हो रहा है:

i) खंड 2.5 के अनुसार कार्य का निलंबन; नहीं तो

ii) खंड 2.4 के अनुसार "अप्रत्याशित घटना"; नहीं तो

iii) कोई अन्य कारण, जो प्रभारी अभियंता के पूर्ण विवेक में परामर्शदाता के नियंत्रण से बाहर है; फिर पूर्वोक्त के रूप में ऐसी किसी भी घटना के होने के तुरंत बाद, परामर्शदाता तदनुसार प्रभारी अभियंता को सूचित करेगा, लेकिन परामर्शदाता फिर भी देरी को रोकने और/या अच्छा बनाने के लिए लगातार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और वह सब करेगा जो इस संबंध में आवश्यक हो सकता है। परामर्शदाता समय के विस्तार के लिए लिखित रूप में भी अनुरोध करेगा, जिसके लिए वह संविदा के तहत खुद को पात्र मान सकता है, ऊपर बताए गए अनुसार ऐसी किसी भी घटना के होने की तारीख के चौदह दिनों के भीतर।

2.6.3 ऐसे किसी भी मामले में, जो किसी भी घटना के कारण उत्पन्न हो सकता है, जैसाकि पूर्वोक्त है, और जिसे परामर्शदाता द्वारा लिखित रूप में लाया गया हो, प्रभारी अभियंता समय का उचित और उचित विस्तार दे सकता है, कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए देरी और विस्तार की अवधि के दौरान इसके निष्पादन की व्यावहारिकता। बशर्ते कि किसी भी कारण से परामर्शदाता से इस तरह के विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त न होने की स्थिति में, प्रभारी अभियंता, अपने विवेकाधिकार पर और घटना के संबंध में, बिना किसी वित्तीय निहितार्थ के कुल पूर्णता अवधि के 1/3 से अधिक समय का उचित और उचित विस्तार प्रदान कर सकता है। इस तरह के विस्तार, यदि स्वीकार्य हैं, तो इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख के एक महीने के भीतर या घटना की घटना के एक महीने के भीतर, लेकिन किसी भी मामले में, संविदा अवधि की समाप्ति से पहले लिखित रूप में प्रभारी अभियंता द्वारा परामर्शदाता को सूचित किया जाएगा।

2.7 <u>देरी के लिए मुआवजा</u>

2.7.1 यदि परामर्शदाता किसी भी उप-समूह/समूह और/या समग्र रूप से कार्य के संबंध में सभी मदों को पूरा करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो सकता है और पूर्वोक्त निविदा में निर्धारित पूर्णता की अवधि (अवधियों) की समाप्ति से पहले या किसी भी विस्तारित अवधि (परामर्शदाता की गलती के कारण नहीं) जैसाकि अनुमति दी जा सकती है, वह इस तरह के चूक के कारण प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खंड संख्या 2.7 के अनुसार एक निश्चित/सहमत मुआवजे के रूप में भुगतान करेगा।

2.8 <u>निर्णीत हर्जाना</u>

2.8.1 यदि परामर्शदाता उपर्युक्त निविदा अथवा किसी विस्तारित अवधि में यथा निर्धारित पूर्णता की अवधि (अवधियों) के भीतर कार्यों की सभी मदों को पूरा करने में असफल रहता है तो परामर्शदाता ऐसी चूक के कारण प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकार अथवा उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा के कुल मूल्य पर प्रति सप्ताह 1% (एक प्रतिशत) अथवा सप्ताह के भाग की दर से मुआवजे (जुर्माने के रूप में नहीं) का भुगतान करेगा बशर्ते संविदा के कुल मूल्य का अधिकतम 10%। एक बार अधिकतम तक पहुंचने के बाद, क्रेता SCC क्लॉज 2.9 के अनुसार संविदा को समाप्त कर सकता है।

2.8.2 तथापि, यदि परामर्शदाता संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को समय के भीतर अथवा बढ़ाई गई अवधि में (परामर्शदाता की ओर से चूक के कारणों से नहीं) पूरा कर लेता है (परामर्शदाता की ओर से चूक के कारणों से नहीं), तो आईडब्ल्यूएआई उसे वसूल की गई क्षतिपूत की राशि, यदि कोई हो, वापस कर देगा। व्यक्तिगत समूह/उप-समूह के तहत कार्यों के पूरा न होने में देरी के संबंध में, जैसाकि पूर्ण रूप से पूर्वोक्त है, इस संबंध में, प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2.8.3 मुआवजे की राशि को समायोजित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कटौती की जा सकती है या आईडब्ल्यूएआई के साथ इस या किसी अन्य संविदा के तहत परामर्शदाता को देय या देय किसी राशि के खिलाफ सेट ऑफ किया जा सकता है।

2.8.4 किसी भी शर्त के तहत मुआवजे के माध्यम से देय सभी राशि को वास्तविक नुकसान या क्षति के संदर्भ के बिना उचित मुआवजे के रूप में माना जाएगा जो निरंतर होगा।

2.8.5 इस तरह के नुकसान का भुगतान परामर्शदाता को काम पूरा करने के अपने दायित्व से या संविदा के तहत अपने दायित्व या देनदारियों से राहत नहीं देगा।

2.9 <u>संविदा समाप्ति</u>

2.9.1 "नियोक्ता" द्वारा: नियोक्ता इस खंड के पैराग्राफ (क) से (जी) में निर्दिष्ट किसी भी घटना के होने के मामले में इस संविदा को समाप्त कर सकता है।

क) यदि परामर्शदाता अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता का समाधान करने में विफल रहता है, जैसाकि निलंबन की सूचना में निर्दिष्ट है, निलंबन की ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर जैसाकि "नियोक्ता" ने बाद में लिखित रूप में अनुमोदित किया हो।

ख) यदि परामर्शदाता मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामस्वरूप पहुंचे किसी भी अंतिम निर्णय का पालन करने में विफल रहता है।

ग) यदि परामर्शदाता, नियोक्ता के फैसले में इस संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगे हुए हैं।

घ) यदि परामर्शदाता नियोक्ता को एक गलत बयान प्रस्तुत करता है जिसका "नियोक्ता" के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर भौतिक प्रभाव पड़ता है।

ङ) यदि परामर्शदाता खुद को हितों के टकराव की स्थिति में रखता है या नियोक्ता को हितों के किसी भी टकराव का तुरंत प्रकटन करने में विफल रहता है।

च) यदि, अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, परामर्शदाता कम से कम साठ (60) दिनों की अवधि के लिए सेवाओं का एक भौतिक हिस्सा करने में असमर्थ है।

छ) यदि "नियोक्ता", अपने विवेकाधिकार में और किसी भी कारण से, इस संविदा को समाप्त करने का निर्णय लेता है।

ऐसी घटना में नियोक्ता परामर्शदाताओं को समाप्ति की कम से कम तीस (30) दिनों की लिखित सूचना देगा।

2.9.2 परामर्शदाता द्वारा: परामर्शदाता "नियोक्ता", को पैराग्राफ (क) से (ग) में निर्दिष्ट किसी भी घटना के मामले में न्यूनतम तीस (30) दिनों की लिखित सूचना देकर इस संविदा को समाप्त कर सकता है।

क) यदि नियोक्ता इस संविदा के अनुसार परामर्शदाता के कारण पैसे का भुगतान करने में विफल रहता है और पैंतालीस 45 दिनों के भीतर विवाद के अधीन नहीं है) परामर्शदाता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद कि ऐसा भुगतान अतिदेय है।

ख) यदि, अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, परामर्शदाता कम से कम साठ (60) दिनों की अवधि के लिए सेवाओं के भौतिक कार्य को करने में असमर्थ है।

ग) यदि नियोक्ता मध्यस्थता के परिणामस्वरूप किसी भी अंतिम निर्णय का पालन करने में विफल रहता है।

2.9.3 सेवाओं की समाप्ति: संविदा की शर्तों के खंड 2.6 के अनुसार नोटिस द्वारा इस संविदा की समाप्ति पर, परामर्शदाता तुरंत इस तरह के नोटिस के प्रेषण या प्राप्ति पर, सेवाओं को शीघ्र और व्यवस्थित तरीके से बंद करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और इस उद्देश्य के लिए व्यय को न्यूनतम रखने के लिए हर उचित प्रयास करेगा।

2.9.4 संविदा **समाप्ति पर भुगतान**: खंड 2.8.1 के अनुसार इस संविदा की समाप्ति पर, नियोक्ता परामर्शदाता को निम्नलिखित भुगतान करेगा:

क) यदि संविदा खंड 2.8.1, उप खंड (क) से (ङ) के अनुसार समाप्त हो जाता है, तो समाप्ति की प्रभावी तिथि से पहले संतोषजनक ढंग से की गई सेवाओं के लिए परामर्श शुल्क, घटा:

i. निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि:

ii. संविदा समाप्ति नोटिस जारी होने की तारीख तक परामर्शदाता द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान, यदि कोई हो, संविदा की शर्तों के अनुसार देय अन्य वसूलियों को घटाकर, लागू कानून के अनुसार स्त्रोत पर काटे जाने वाले देय करों को घटाकर और

तथापि, यदि संविदा को उप-खंड (जी) 2.8.1 के तहत नियोक्ता के विवेकाधिकार पर समाप्त कर दिया जाता है, तो परामर्शदाता को देय राशि समाप्ति की प्रभावी तारीख से पहले संतोषजनक ढंग से की गई सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान घटाकर होगी, परामर्शदाता द्वारा प्राप्त समाप्ति नोटिस जारी करने की तारीख तक, संविदा के संदर्भ में देय अन्य वसूलियों को कम करना, लागू कानून के अनुसार स्रोत पर कम करों की कटौती की जाएगी। खंड 6 में भुगतान के सहमत चरण समनुदेशन के पूरा होने के चरण को तय करने के लिए मार्गदर्शक कारक होंगे।

2.9.5 संविदा समाप्ति की घटनाओं के बारे में विवाद: यदि कोई भी पक्ष विवाद करता है कि क्या पैराग्राफ में निर्दिष्ट एक घटना (क) से (जी) खंड 2.8.1 में हुआ है, तो ऐसी पार्टी पैंतालीस (45) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष से समाप्ति की सूचना प्राप्त होने के बाद, मामला विवाद समाधान के लिए भेजा जाएगा।

2.10 परित्याग या कार्य-क्षेत्र में कमी के कारण संविदा का पूर्ण या आंशिक रूप से पुरोबंध:

यदि निविदा/स्वीकृति पत्र (एलओए) की स्वीकृति के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी कार्य-क्षेत्र को छोड़ने या कम करने का निर्णय लेता है**,** तो बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर समय से पहले बंद किया जा सकता है। संगठन/संस्थान नियोक्ता द्वारा परामर्श संविदा के पुरोबंध के लिए मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखता है। पुरोबंध के मामले में**,** पूर्ण चरण तक देय प्रतिशत भुगतान वित्तीय प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार किया जाएगा। यदि वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार किसी निदष्ट अवस्था के मध्य में समनुदेशन समय से पहले बंद हो जाता है**,** तो पारस्परिक सहमति के अनुसार पूर्ण सेवाओं के लिए यथानुपात भुगतान किया जाएगा।

3 परामर्शदाता के दायित्व

3.1 सामान्य

3.1.1 निष्पादन का मानक: परामर्शदाता सेवाओं का निष्पादन करेगा और आम तौर पर स्वीकृत व्यवसायिक मानकों और प्रथाओं के अनुसार सभी उचित परिश्रम, दक्षता और अर्थव्यवस्था के साथ अपने दायित्व को पूरा करेगा और ध्वनि प्रबंधन प्रथाओं का पालन करेगा और उपयुक्त प्रौद्योगिकी और सुरक्षित प्रभावी तरीकों को नियोजित करेगा। परामर्शदाता हमेशा इस संविदा से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में या नियोक्ता के वफादार परामर्शदाता के रूप में समनुदेशन के संबंध में कार्य करेगा और हर समय उप-परामर्शदाताओं या तीसरे पक्ष के साथ किसी भी व्यवहार में रुचि रखने वाले नियोक्ताओं का समर्थन और सुरक्षा करेगा।

3.1.2 हितों का टकराव: परामर्शदाता भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना, नियोक्ता के हितों को सर्वोपरि रखेगा, और अन्य समनुदेशन या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ हितों के टकराव से सख्ती से बचेगा। परामर्शदाता संलग्न नहीं होगा और उनके कार्मिकों के साथ-साथ उनके उप-परामर्शदाताओं और उनके कार्मिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं करेगा, जो इस संविदा के तहत उन्हें सौंपी गई गतिविधियों के साथ संघर्ष करेंगे। यदि इस संविदा की अवधि के दौरान, किसी भी कारण से हितों का टकराव उत्पन्न होता है, तो परामर्शदाता तुरंत नियोक्ता को इसका प्रकटन करेगा और उसके निर्देश मांगेगा।

3.1.3 गोपनीयता: नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के अलावा परामर्शदाता और कार्मिक किसी भी समय किसी भी व्यक्ति या इकाई को सेवाओं के दौरान प्राप्त कोई गोपनीय जानकारी नहीं देंगे, न ही परामर्शदाता और उसके कार्मिक सेवाओं के दौरान या उसके परिणामस्वरूप तैयार की गई सिफारिशों को सार्वजनिक करेंगे।

3.1.4 परामर्शदाता द्वारा लिया जाने वाला बीमा: परामर्शदाता समनुदेशन के लिए तैनात अपने कार्मिकों के संबंध में जीवन के जोखिम को प्रेरित करने वाले विभिन्न जोखिमों के खिलाफ अपनी लागत पर पर्याप्त बीमा लेगा और बनाए रखेगा और नियोक्ता को यह दिखाते हुए साक्ष्य प्रदान करेगा कि इस तरह के बीमा को बनाए रखा गया है और इसलिए वर्तमान प्रीमियम का भुगतान किया गया है।

3.1.5 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं: परामर्शदाता समनुदेशन के प्रारंभ से शुरू होने वाले हर महीने की 1 तारीख को नियोक्ता को अपनी गतिविधि की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित का विधिवत उल्लेख होगा (i) रिपोर्ट अवधि के दौरान की गई गतिविधियां (ii) टीओआर के संदर्भ में प्राप्त प्रगति/चरण का संक्षिप्त विवरण (iii) जिन स्थानों का दौरा किया गया और अधिकारियों से संपर्क किया गया और (iii) समस्याएं, यदि कोई प्रगति को प्रभावित करता है। सभी रिपोर्टों को हार्ड कॉपी के अलावा सॉफ्ट कॉपी में भी वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परामर्शदाता को उल्लिखित विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं।

परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्टों, प्रारूप अंतिम रिपोर्ट और विनिदष्ट अनुसार इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करते समय अंतिम रिपोर्ट के मसौदे पर उपयुक्त स्थान पर (समय-समय पर निर्णय लिए जाने के लिए) प्रस्तुतीकरण करे।

3.1.6 परामर्शदाता के कार्यों को नियोक्ताओं को पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है: परामर्शदाता अपनी बोली में सूचीबद्ध कार्मिकों में कोई भी बदलाव या जोड़ करने से पहले वायरिंग में प्रभारी इंजीनियर पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

3.1.7 परामर्शदाता द्वारा नियोक्ता की संपत्ति होने के लिए तैयार किए गए दस्तावेज: इस अनुबंध के तहत परामर्शदाता को उपलब्ध कराए गएउसके द्वारा तैयार किए गए सभी योजनाएं/, चित्र, विनिर्देश, डिजाइन, रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज

और सॉफ्टवेयर नियोक्ता की संपत्ति बन जाएंगे, अनुबंध, वितरण इस सूची की समाप्ति या समाप्ति के बाद नहीं होगा। परामर्शदाता नियोक्ता के अनुमोदन के साथ ऐसे दस्तावेजों की एक प्रति रख सकता है और नियोक्ता से लिखित रूप में, अनुमति लिए बिना, कहीं भी उपयोग नहीं करेगा और नियोक्ता ऐसे किसी भी अनुरोध को देने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि ऐसे किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के विकास के प्रयोजनों के लिए परामर्शदाता और तीसरे पक्ष के बीच लाइसेंस करार आवश्यक या उपयुक्त हैं, तो परामर्शदाता नियोक्ता को ऐसे समझौतों के लिए पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा और नियोक्ता अपने विवेक पर संबंधित कार्यक्रम (ओं) के विकास से संबंधित खर्चों की वसूली की आवश्यकता के पात्र होंगे।

4 आईडब्ल्यूएआई द्वारा दायित्व और जिम्मेदारी/इनपुट

4.1 आईडब्ल्यूएआई संबंधित परियोजना के लिए उपलब्ध आवश्यक विवरण (दस्तावेज/रिपोर्ट) प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता की सहायता करेगा। आईडब्ल्यूएआई, यदि परामर्शदाता द्वारा पूछा जाता है तो कार्य निष्पादन के समय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केवल संदर्भ लेने के लिए प्रस्तुत करेगा।

4.2 आईडब्ल्यूएआई केवल उपलब्ध विवरण/आंकड़े प्रदान करेगा और शेष का प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा। आईडब्ल्यूएआई से अपेक्षित इनपुट की अनुपलब्धता, जो आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक नहीं है, रिपोर्ट की अनुचित तैयारी/तैयारी में देरी का बहाना नहीं होगा।

5 प्रतिभूति जमा और निष्पादन गारंटी

2.1 सफल बोलीदाताओं की प्रतिभूति जमाराशि को प्रतिभूति जमा (एसडी) में परिवर्तित कर दिया जाएगा और सफल बोलीदाता को आईटीबी के खंड 6.1.1 में उल्लिखित विवरण के अनुसार आरटीजीएस के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई निधि में प्रतिभूति जमा की शेष राशि (अर्थात तकनीकी बोली के साथ जमा की गई कुल 5% प्रतिभूति जमा राशि) को भेजना होगा। बैंक गारन्टी प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी । बोलीदाता संविदा अवधि के बाद 180 दिनों की वैधता के साथ भारत में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी/ई-बैंक गारंटी फार्म में निष्पादन गारंटी (पीजी) के रूप में कार्य के सौंपे गए मूल्य के 3% के बराबर राशि भी जमा करेगा। यह प्रतिभूति जमा और निष्पादन बैंक गारंटी एलओए जारी होने के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

2.2 कुल प्रतिभूति जमा और निष्पादन गारंटी दोष देयता अवधि (डीएलपी) के पूरा होने तक अर्थात डीपीआर की स्वीकृति की तारीख से 3 महीने या करार शर्तों के अनुसार देय अंतिम बिल के भुगतान, जो भी बाद में हो, के पूरा होने तक आईडब्ल्यूएआई के पास रहेगी, बशर्ते नियोक्ता संतुष्ट हो कि परामर्शदाता के खिलाफ कोई मांग बकाया नहीं है।

2.3 प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.4 यदि परामर्शदाता संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने की उपेक्षा करता है या विफल रहता है, तो नियोक्ता के लिए यह वैध होगा कि वह परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा राशि को पूरे या आंशिक रूप से जब्त कर ले। तथापि, यदि परामर्शदाता विधिवत रूप से संविदा का निष्पादन करता है और उसे पूरा करता है तथा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है तो आईडब्ल्यूएआई नियोक्ता द्वारा वहन की गई लागत और व्यय तथा अन्य धनराशि, जिसमें नियोक्ता परामर्शदाता से वसूली करने का पात्र है, की कटौती के बाद परामर्शदाता को प्रतिभूति जमा राशि वापस करेगा।

2.5 कार्य की प्रगति में विलंब के मामले में, नियोक्ता, परामर्शदाता को लिखित रूप में ज्ञापन जारी करेगा जिसमें प्रगति में विलंब का उल्लेख किया गया हो और परामर्शदाता से ज्ञापन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर तथा ज्ञापन जारी होने के 10 दिनों, जो भी पहले हो, के भीतर विलंब के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। यदि नियोक्ता प्रस्तावित स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर सकता है और/या लंबित बिलों के भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है और/या परामर्शदाता के जोखिम और लागत पर पूर्व-निर्धारित स्तर तक त्वरित कार्य की प्रगति में सुधार के उपाय प्राप्त कर सकता है।

2.6 संविदा या किसी अन्य संविदा की शर्तों के तहत या किसी अन्य खाते पर परामर्शदाता द्वारा देय सभी मुआवजे या अन्य राशि, उसकी सुरक्षा के पर्याप्त हिस्से की बिक्री से या उससे उत्पन्न होने वाले ब्याज से या किसी भी राशि से कटौती की जा सकती है या भुगतान किया जा सकता है जो किसी भी खाते पर नियोक्ता द्वारा परामर्शदाता के कारण हो सकता है। इस तरह की कटौती या बिक्री के कारण परामर्शदाता की प्रतिभूति जमा कम होने की स्थिति में, जैसाकि पूर्वोक्त है, परामर्शदाता प्रभारी अभियंता से मांग की सूचना प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर अपनी प्रतिभूति जमा में कमी की भरपाई करेगा।

6 भुगतान शर्तें

3.1 (क) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा:

(क) भुगतान की शर्तें इस निविदा दस्तावेज के टीओआर, खंड VI के खंड 3 में उल्लिखित होंगी।

7 भुगतान की विधि:

सभी प्रकार से पूर्ण बीजक परामर्शदाता द्वारा 'सदस्य (तकनीकी), आईडब्ल्यूएआई, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201 301 को किए जाने हैं, जो उचित सत्यापन के बाद उन पर कार्रवाई करेंगे और भुगतान आईडब्ल्यूएआई के नोएडा स्थित मुख्यालय में बीजक प्राप्त होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।

8 मध्यस्थता

इस करार से संबंधित या बाहर उठने वाले किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, पार्टियां आपसी सहयोग की भावना से इसे निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगी और किसी भी विवाद या मतभेद को तीस दिनों के भीतर हल नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता को भेजा जाएगा। आईडब्ल्यूएआई और ऐसे मध्यस्थ को पार्टियों की सहमति से मध्यस्थता कार्यवाही की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा। मध्यस्थता का स्थान नोएडा होगा। मध्यस्थता कार्यवाही को देखते हुए, करार के तहत काम को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए।

9 दोष देयता अवधि

परामर्शदाता संविदाकार को कार्य सौंपे जाने तक सेवाएं प्रदान करेगा और टीओआर में निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार तकनीकी सहायता/सहायता प्रदान करेगा और बोली प्रक्रिया में सहायता करेगा जैसेकि बोली-पूर्व प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, बोलियों के मूल्यांकन में सहायता करना और अन्य संबंधित कार्य।

10 संविदा को नियंत्रित करने वाले कानून

i. भारत के कानून इस संविदा को अधिशासित करेंगे।
ii. कार्य के स्थान, निष्पादन के स्थान या संविदा के तहत भुगतान के स्थान के बावजूद, संविदा को उस स्थान पर किया गया माना जाएगा जहां से स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।
iii. दिल्ली में न्यायालयों के पास संविदा से उत्पन्न या उसके संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र होगा, लेकिन संविदा में विवाद समाधान प्रावधान के माध्यम से निपटाया नहीं जाएगा।

11 व्यावसायिक देयता

8.1 परामर्शदाताओं की ओर से या सेवाओं को पूरा करने में परामर्शदाताओं की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या फर्म की ओर से घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए कदाचार को छोड़कर, परामर्शदाता परामर्शदाताओं द्वारा ग्राहक की संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में ग्राहक के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे:

8.2 किसी भी अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान या क्षति के लिए; और

8.3 व्यवसायिक शुल्क के लिए कुल भुगतान के बराबर किसी भी प्रत्यक्ष नुकसान या क्षति के लिए और इसके तहत परामर्शदाताओं को किए गए या किए जाने वाले प्रतिपूर्ति योग्य व्यय के लिए।

8.4 दायित्व की यह सीमा कंसल्टेंट्स या सेवाओं को पूरा करने में कंसल्टेंट्स की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या फर्म के कारण तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान के लिए कंसल्टेंट्स के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी, यदि कोई हो।

12 विविध प्रावधान

i. परामर्शदाता नियोक्ता को उनकी स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन के बारे में सूचित करता है, विशेष रूप से, जहां इस तरह के परिवर्तन इस संविदा के तहत दायित्वों के प्रभाव या निष्पादन को प्रभावित करे।
ii. परामर्शदाता समनुदेशन के निष्पादन के लिए नियोक्ता के प्रति सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा।

iii. परामर्शदाता इस परियोजना के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करते समय किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के किसी भी उल्लंघन के लिए सभी दावों/क्षति आदि के खिलाफ नियोक्ता को हर समय क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करेगा।

iv. परामर्शदाता हर समय नियोक्ता को किसी भी दुर्घटना या चोट के परिणामों में देय किसी भी नुकसान या मुआवजे के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और अपने (परामर्शदाता के) कर्मचारियों या एजेंटों या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा या किसी भी कार्रवाई, चूक या संचालन के परिणामस्वरूप या परामर्शदाता की ओर से आयोजित करेगा।

v. परामर्शदाता हर समय नियोक्ता को कर्मचारियों, कामगार, परामर्शदाताओं, उप-परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, एजेंट (ओं), नियोक्ता के लिए लगे या अन्यथा काम करने वाले सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और मजदूरी, वेतन, पारिश्रमिक, मुआवजे या इसी तरह के संबंध में रखेगा।

vi. क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी दावे संविदा की समाप्ति से बचे रहेंगे।

vii. यह स्वीकार किया जाता है और पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि भारत सरकार या उनके नियोक्ता के किसी भी कार्यालय या प्रतिष्ठान में किसी भी क्षमता में किसी भी सगाई, सेवा या रोजगार के लिए परामर्शदाता द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के किसी अवशोषण, नियमितीकरण, निरंतर सगाई या रियायत या रोजगार के लिए किसी भी प्रकार, निहित या अन्यथा, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

13 जॉइंट वैंचर की स्थिरता

यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम किसी भी कारण या जेवी/कंसोर्टियम के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के कारण कायम नहीं है, तो जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम की स्थिरता का निर्धारण प्रभारी अभियंता/नियोक्ता द्वारा डिलीवरी की विफलता/माइलस्टोन और अन्य प्रदेय के गायब होने के आधार पर अनुबंध अवधि में निगरानी के दौरान किया जाएगा। इसे निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:

क) यदि एल-1 के रूप में चयनित होने के बाद जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम अरक्षणीय हो जाता है तो चूककर्ता जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम का प्रतिभूति जमाराशि जब्त कर ली जाएगी।

ख) यदि संविदा दिए जाने के बाद जॉइंट वैंचर/कंसोटयम अधारणीय हो जाता है तो नियोक्ता के पास चूककर्ता परामर्शदाता के जोखिम और लागत संबंधी शेष कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य परामर्शदाता को नामित करने का पूरा प्राधिकार है। परामर्शदाता को काम रोकने के निर्णय के नियोक्ता द्वारा सूचित किया जाएगा और नियोक्ता अब तक पूरे किए गए कार्य के मूल्य का पता लगाएगा। कोई भुगतान तत्काल जारी नहीं किया जाएगा, तथापि, जोखिम और लागत संबंधी संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद, अंतर लागत की वसूली चूककर्ता परामर्शदाता की सभी रुकी हुई राशि (बीजी, प्रतिभूति जमाराशि, प्रतिभूति जमा और किए गए कार्य के लिए भुगतान न की गई राशि) से की जाएगी और यदि कोई शेष राशि अभी भी उपलब्ध है, तो उसे चूककर्ता परामर्शदाता को जारी कर दिया जाएगा।

इस पर बोलीदाताओं के हस्ताक्षर होने होते हैं और इस पर आईडब्ल्यूएआई की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सक्षम नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

सत्यनिष्ठा करार

यह सत्यनिष्ठा करार आज दिनांक..... माह..... 20 को

इनके बीच किया गया है।

सचिव, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा के माध्यम से अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

आईडब्ल्यूएआई, (जिसे आगे 'नियोक्ता' कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत जब तक अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

..... (व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता) के माध्यम से ..... (इसके बाद (विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण) "बोलीदाता/संविदाकार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और यह अभिव्यक्ति, जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

प्रस्तावना:

जबकि नियोक्ता ने निविदा (एनआईटी संख्या: आईडब्ल्यूएआई/एचवाई/सीपोर्ट/2018/1) (इसके बाद "निविदा/बोली" के रूप में संदर्भित) जारी की है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, "एनडब्ल्यू-4 के लिए डीपीआर के अद्यतन" के लिए संविदा देने की मंशा है।

और जबकि नियोक्ता देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और अपने बोलीदाताओं और परामर्शदाता के साथ संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और जबकि उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा करार (जिसे आगे सत्यनिष्ठा संधि या करार कहा जाएगा) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसके नियम और शर्तें भी पार्टियों के बीच निविदा/बोली दस्तावेजों और संविदा के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ी जाएंगी।

अब, अतः इस करार में निहित पारस्परिक अनुबंधों पर विचार करते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं और यह करार निम्नानुसार प्रमाणित करता है:

अनुच्छेद 1: प्रमुख/मालिक की प्रतिबद्धता

1) नियोक्ता भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:

   (क) नियोक्ता का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, निविदा के संबंध में या संविदा के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भौतिक या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से पात्र नहीं है।

   (ख) नियोक्ता निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ न्यायोचित और उचित व्यवहार करेगा। नियोक्ता, विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या संविदा निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त कर सके।

   (ग) नियोक्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रयास करेगा, जिसका आचरण अतीत में पक्षपातपूर्ण प्रकृति का रहा हो।

2) यदि नियोक्ता को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है या इसमें वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन है या इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो नियोक्ता मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित

करेगा और इसके अतिरिक्त अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

अनुच्छेद 2: बोलीदाता/परामर्शदाता की प्रतिबद्धता

1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/परामर्शदाता (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और निविदा प्रक्रिया के दौरान और चर्चा या संविदा प्रदान करने के दौरान धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की सूचना आईडब्ल्यूएआई को दें, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है या पता चलता है।

2. बोलीदाता/परामर्शदाता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और संविदा निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

(क) बोलीदाता/परामर्शदाता सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन में शामिल नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भौतिक या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव, वादा या पेशकश नहीं करेंगे, जिसका वह कानूनी रूप से पात्र नहीं है, ताकि बदले में निविदा प्रक्रिया के दौरान या संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ख) बोलीदाता/परामर्शदाता अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक अघोषित करार या संविदा नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों के प्रस्तुतीकरण या गैर-प्रस्तुतीकरण या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में गुटबाजी करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

(ग) बोलीदाता/परामर्शदाता संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा बोलीदाता/संविदाकार अनुचित तरीके से (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से) उपयोग नहीं करेंगे, या किसी अन्य को नहीं देंगे, जिसमें नियोक्ता द्वारा व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में योजनाओं, तकनीकी बोलियों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी शामिल है।

(घ) विदेशी मूल के बोलीदाता/परामर्शदाता भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का प्रकटन करेंगे, यदि कोई हो। इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/संविदाकार विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का प्रकटन करेंगे, यदि कोई हो। विदेशी प्रमुख की ओर से भारतीय एजेंट या विदेशी प्रमुख सीधे निविदा में बोली लगा सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कोई एजेंट एक निर्माता की ओर से निविदा में भाग लेता है, उसे उसी वस्तु के लिए बाद की/समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ किसी अन्य निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) बोलीदाता/परामर्शदाता अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, संविदा प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए गए या किए जाने वाले सभी भुगतानों का प्रकटन करेंगे।

3. बोलीदाता/परामर्शदाता किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएंगे या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

4. बोलीदाता/परामर्शदाता सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी के कार्य में लिप्त नहीं होंगे, जैसे कि जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छोड़ना या नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, ताकि सार्वजनिक अधिकारी को उन पर भरोसा करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसका उद्देश्य दूसरों के न्यायोचित हितों को हानि पहुंचाना या अनुचित लाभ प्राप्त करना और/या सरकार/नियोक्ता के हितों को हानि पहुंचाने के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करना हो।

5. बोलीदाता/परामर्शदाता सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से बलपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे (जिसका अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करने, किसी कार्रवाई को मजबूर करने या धमकी, भय या बल के प्रयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय को प्रभावित करने का कार्य, जहां किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक क्षति हो सकती है, ताकि निविदा प्रक्रिया में उनकी साझेदारी को प्रभावित किया जा सके)।

अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम

कानून या संविदा या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियोक्ता को उपलब्ध किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(ओं) द्वारा इस सत्यनिष्ठा संधि के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता(ओं)/परामर्शदाता (ओं) नियोक्ता के पूर्ण अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने को स्वीकार करते हैं और वचनबद्ध हैं:

1. यदि बोलीदाता/परामर्शदाता (ओं) ने, संविदा देने से पहले या उसके निष्पादन के दौरान, उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में कोई उल्लंघन किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या भरोसे पर प्रश्नचिह्न लगा हो, तो नियोक्ता के पास संविदाकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद बोलीदाता(ओं)/ परामर्शदाता (ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या संविदा को समाप्त/निर्धारित करने या यदि पहले से ही निष्पादित हो चुका है या बोलीदाता/संविदाकार को भविष्य की संविदा पंचाट प्रक्रियाओं से बाहर करने का अधिकार होगा। बहिष्कार की अवधि और अवधि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर और नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्कार हमेशा के लिए या नियोक्ता द्वारा तय की गई सीमित अवधि के लिए हो सकता है।

2. काउंटर सिक्योरिटी और निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती: काउंटर सिक्योरिटी और निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती: यदि नियोक्ता ने संविदा सौंपने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या संविदा को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार संविदा को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार अर्जित कर लिया है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, जो नियोक्ता को प्राप्त हो सकता है, अपनी सुविचारित राय में बोलीदाता(ओं)/ परामर्शदाता (ओं) की बयाना जमा राशि , निष्पादन प्रतिभूति, काउंटर सिक्योरिटी की पूरी राशि जब्त कर सकता है।

3. आपराधिक दायित्व: यदि नियोक्ता को किसी बोलीदाता या परामर्शदाता, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता या संविदाकार के सहयोगी के किसी ऐसे आचरण की जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के अर्थ में भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि नियोक्ता को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो नियोक्ता आगे की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देगा।

<u>अनुच्छेद 4: पिछला अपराध</u>

1) बोलीदाता/संविदाकार यह घोषणा करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में उनसे किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाला या भारत में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके।

2) यदि बोलीदाता/संविदाकार इस विषय पर गलत बयान देते हैं, तो उन्हें निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या नियोक्ता द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता/ परामर्शदाता के व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने/छुट्टियों की सूची बनाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

3) यदि बोलीदाता/परामर्शदाता यह साबित कर सकें कि उन्होंने अपने द्वारा की गई क्षति की भरपाई कर ली है तथा उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर ली है, तो नियोक्ता अपने विवेक से बहिष्कार को समय से पूर्व ही रद्द कर सकता है।

<u>अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं/परामर्शदाता(ओं) के साथ समान व्यवहार</u>

1) बोलीदाता/ परामर्शदाता अपने किसी भी उप-विक्रेता द्वारा इस करार/संधि में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे।

2) नियोक्ता सभी बोलीदाताओं और परामर्शदाता(ओं) के साथ समान शर्तों पर करार करेगा।

3) नियोक्ता उन बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा, जो नियोक्ता और बोलीदाताओं के बीच विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा करार को निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं करते हैं या निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

<u>अनुच्छेद 6: करार की अवधि</u>

यह करार दोनों पक्षों द्वारा कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करने के साथ प्रारम्भ होता है। यह परामर्शदाता के अंतर्गत काम पूरा होने के 12 महीने बाद समाप्त हो जाता है।

यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा तथा ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस करार की समाप्ति के बावजूद तब तक वैध बना रहेगा, जब तक कि नियोक्ता द्वारा उसे समाप्त/निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

अनुच्छेद 7: अन्य प्रावधान

1) यह करार भारतीय कानून के अधीन है, निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र उस नियोक्ता के प्रभाग का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है।

2) परिवर्तन और अनुपूरक लिखित रूप में किए जाने चाहिए।कोई अतिरिक्त करार नहीं किया गया है।

3) यदि परामर्शदाता साझेदारी या कंसोर्टियम है, तो इस करार पर सभी साझेदारों या सभी साझेदारों और कंसोर्टियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पॉवर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले एक या अधिक साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कंपनी के मामले में, करार पर बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4) यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं; तब भी इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

5) इस नियम और शर्त पर सहमति है कि इस सत्यनिष्ठा करार/संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद और इस सत्यनिष्ठा संविदा/संधि या उसकी व्याख्या के अनुसार नियोक्ता द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

<u>अनुच्छेद 8: कानूनी और पूर्व अधिकार</u>

इस करार के अंतर्गत पक्षों के सभी अधिकार और निवारण संविदा और/या कानून के अंतर्गत ऐसे पक्षों से संबंधित सभी अन्य कानूनी अधिकारों और निवारण के अतिरिक्त होंगे और उन्हें पूर्वोक्त कानूनी अधिकारों और निवारण का विकल्प न मानकर संचयी माना जाएगा। संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस अखंडता करार के अंतर्गत शामिल किसी भी प्रावधान के संबंध में इस अखंडता करार को निविदा/संविदा दस्तावेजों पर वरीयता दी जाएगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने..... ऊपर उल्लिखित स्थान और दिनांक पर निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में इस सत्यनिष्ठा करार पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे निष्पादित किया है।

.....

(नियोक्ता के लिए एवं उसकी ओर से)

.....

(बोलीदाता/परामर्शदाता की ओर से)

साक्षी:

1. .....

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

2. .....

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

स्थान: .....

दिनांक: .....

खंड-VIII: संलग्न

संलग्न-I: निष्पादन प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र

सेवा में,

अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा-201301

(उत्तर प्रदेश)

..... (इसके बाद "नियोक्ता" कहा जाएगा) को भारतीय रुपए ..... (केवल रूपये .....) के लिए बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर **"एनडब्ल्यू-4 के लिए डीपीआर के अद्यतन"** के लिए नियोक्ता द्वारा जारी स्वीकृति पत्र संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसरण में मैसर्स ..... (इसके बाद "परामर्शदाता" कहा जाएगा) के साथ एक करार करने पर विचार करते हुए, परामर्शदाता के अनुरोध पर, हम, (बैंक) इसके द्वारा नियोक्ता को नियमों और शर्तों के अनुसार संविदा को निष्पादित करने में परामर्शदाता की ओर से किसी भी चूक या विफलता या उक्त करार के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ ..... (केवल रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

1. हम (**बैंक**) ,केवल नियोक्ता की मांग पर बिना किसी आपत्ति के इस गारंटी के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जिसमें कहा गया हो कि दावा की गई राशि नियोक्ता को हुई हानि या क्षति के कारण देय है या नियोक्ता को उक्त **संविदा** या उक्त समय सीमा में निहित किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण या परामर्शदाता द्वारा उक्त संविदा को निष्पादित करने में विफलता के कारण हुई हो। बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के अंतर्गत बैंक द्वारा देय और बकाया राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालाँकि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये..... (केवल रुपये.....) से अनधिक की राशि तक सीमित होगी।

2. हम **(बैंक)** किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में परामर्शदाता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद, नियोक्ता को मांगी गए किसी भी राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, इसके अंतर्गत देयता पूर्ण और स्पष्ट है। इस गारंटी के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके अंतर्गत भुगतान के हमारे दायित्व का वैध निर्वहन होगा और ऐसे भुगतान करने के लिए परामर्शदाता का हमारे खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

3. हम **(बैंक)** इस बात पर भी सहमत हैं कि इस गारंटी में निहित गारंटी, संविदा की शर्तों और कार्य सौंपने के पत्र के अनुसार नियोक्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए परियोजना कार्य पूरा होने तक पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त संविदा के अंतर्गत या उसके आधार पर नियोक्ता के सभी बकाया की वसूली और उसके दावे की संतुष्टि नहीं हो जाती या यह संविदा के अनुसार कार्य पूरा होने की निर्धारित दिनांक तक लागू रहेगी। हम **(बैंक)** इस बात पर विचार करेंगे कि उक्त संविदा की शर्तों और नियमों का उक्त परामर्शदाता द्वारा पूरी तरह और उचित तरीके से पालन किया गया है और तदनुसार उक्त संविदा की समाप्ति अवधि के 180 दिन बाद इस गारंटी को समाप्त कर देंगे, जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा बैंक को लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, लेकिन उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, जिस स्थिति में यह बैंक के खिलाफ लागू होगी, भले ही इसे उक्त अवधि की समाप्ति के बाद या विस्तारित अवधि के बाद लागू किया गया हो, जैसा भी मामला हो।

4. हम **(बैंक)** नियोक्ता के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि नियोक्ता को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना उक्त करार के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या उक्त परामर्शदाता द्वारा समय-समय पर समय या निष्पादन बढ़ाने या नियोक्ता द्वारा उक्त परामर्शदाता के खिलाफ प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त करार से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उक्त परामर्शदाता को दिए गए किसी भी ऐसे परिवर्तन या विस्तार के कारण या नियोक्ता की ओर से किसी भी रोक, कार्य या चूक या नियोक्ता द्वारा उक्त परामर्शदाता को किसी भी तरह की छूट या किसी भी ऐसे मामले या बात के कारण हमारे दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो जमानत से संबंधित कानून के अंतर्गत, प्रावधान के बिना, हमें राहत देने का प्रभाव रखती है।

5. नियोक्ता के लिए बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले परामर्शदाता के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा और इसमें निहित गारंटी बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी, भले ही नियोक्ता ने परामर्शदाता से बैंक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के समय कोई भी प्रतिभूति प्राप्त की हो या प्राप्त करता है, जो बकाया हो या वसूल न की गई हो।

6. ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये.....(केवल रुपये.....) तक सीमित है और यह नियोक्ता द्वारा विस्तारित दिनांक तक या अन्यथा लागू रहेगी। जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत विस्तारित दिनांक को या उससे पहले हमारे पास कोई दावा या मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तब गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और बैंक को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

7. यह गारंटी बैंक या परामर्शदाता के संविधान में परिवर्तन होने पर भी समाप्त हो जाएगी।

8. हम **(बैंक)** अंत में यह वचन देते हैं कि नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रभावी रहने के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

दिनांक....., 2024

के लिए .....

(बैंक का नाम लिखें)

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम .....

(बड़े अक्षरों में)

पद का नाम

कोड संख्या .....

बैंक और शाखा का नाम (मुहर)

संलग्न-II: करार प्रपत्र

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

और

परामर्शी फर्म

के बीच

"एनडब्ल्यू-4 के डीपीआर का अद्यतन"

के लिए

करार

यह करार आज दो हजार.....की .....दिनांक को किया गया, जिसमें एक पक्ष के तौर पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश (इसके बाद इसे "आईडब्ल्यूएआई" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) और दूसरे पक्ष के तौर पर मैसर्स .....जिसका कार्यालय .....में है (इसके बाद इसे "परामर्शदाता" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत नियुक्त व्यक्ति और स्थानापन्न शामिल होंगे)।

जबकि आईडब्ल्यूएआई दिनांक .....के कार्य आदेश संख्या के अनुसार संदर्भ शर्तों (टीओआर) और संविदा की शर्तों के अनुसार **"एनडब्ल्यू-4 के लिए डीपीआर के अद्यतन"** का ("कार्य")" देने का इच्छुक है, जो इस करार का हिस्सा बनेंगे।

जबकि परामर्शदाता ने इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों पर "कार्य" करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब इसलिए ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और इसके द्वारा पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है, घोषित किया जाता है:

परामर्शदाता कार्य आदेश संख्या .....दिनांक .....के अनुसार **"एनडब्ल्यू-4 के डीपीआर का अद्यतन"** करेगा, जो संविदा की शर्तों और इसके साथ संलग्न नियमों के अनुसार होगा, जो इस करार का हिस्सा होंगे।

निम्नलिखित दस्तावेजों को करार के भाग के रूप में माना, पढ़ा और समझा जाएगा, अर्थात:

क) निविदा आमंत्रण नोटिस
ख) निविदा प्रपत्र
ग) संविदा की शर्तें
घ) मूल्य बोली की अनुसूची
ङ) करार प्रपत्र
च) तकनीकी बोली संख्या और तारीख
छ) परिशिष्ट/शुद्धिपत्र
ज) बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त
झ) सभी पत्राचार
ञ) .....
ट) ....
ठ) .....
ड) .....

आईडब्ल्यूएआई ने अपनी ओर से श्री ..... को हस्ताक्षर करने और परामर्शदाता ने श्री ..... उनकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया है और फर्म ने अपनी सामान्य मुहर को ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष के लिए यहां लगाई है। के लिए प्रेरित किया है।

साक्षी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

1)

2)

.....

और इस विलेख को श्री..... द्वारा .....की उपस्थिति मेंउपरोक्त परामर्शदाता के लिए विधिवत रूप से निष्पादित किया गया

परामर्शदाता के साक्षी

1)

2)

संलग्न-III: बैंक खाते का विवरण

इलेक्ट्रॉनिक निधि ट्रांसफर सिस्टम

के माध्यम से भुगतान जारी करने के लिए

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

परियोजना का नाम "राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के लिए डीपीआर का अद्यतन"

हम _____(बोलीदाता का नाम) आपसे अनुरोध करते हैं कि नीचे दिए गए खाता विवरण के अनुसार ई-भुगतान मोड द्वारा सीधे हमारे बैंक खाते में जमा करके हमारे भुगतान करें। हम नीचे दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन के मामले में आईडब्ल्यूएआई को सूचित करने का वचन देते हैं और आईडब्ल्यूएआई के नियंत्रण से परे किसी भी तकनीकी कारणों से किसी भी देरी/चूक के लिए आईडब्ल्यूएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे:-

बैंक खाता संख्या :_____

आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएफएससी कोड :_____

बैंक का नाम :_____

बैंक की शाखा का पता :_____

शाखा कोड :_____

खाता प्रकार

(बचत/चालू/अन्य) :_____

इसके साथ एक खाली चेक (रद्द) संलग्न है।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही एवं पूर्ण हैं। यदि लेनदेन में देरी हो रही है या अधूरी या गलत जानकारी के कारणों से क्रेडिट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, तो मैं/हम आईडब्ल्यूएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

दिनांक:

स्थान:

संलग्न-IV: बैंक प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त लाभार्थी का हमारी शाखा में बैंक खाता संख्या ..... है तथा उपर्युक्त बैंक विवरण सही है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक: **प्राधिकरण संख्या_____**

नाम:_____

आधिकारिक मुहर/स्टाम्प

संलग्न-V: निविदा स्वीकृति पत्र

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में, **दिनांक:**

सदस्य (तकनीकी)
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301
जिला:- गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

विषय: निविदा की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति।

निविदा संदर्भ संख्या:…….

निविदा/कार्य का नाम: "एनडब्ल्यू-4 के डीपीआर का अद्यतन"

प्रिय महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार उपर्युक्त 'निविदा/कार्य' के लिए वेबसाइट (वेबसाइटों) अर्थात: www.iwai.nic.in या https://eprocure.gov.in/eprocure/app से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिया है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या _____ से _____ तक (संलग्नक(कों), अनुसूची(ओं) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) संपूर्ण नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, जो संविदा करार का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।

3. इस कार्य के लिए आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी की गई निविदा-पूर्व बैठक (यदि कोई हो) और/या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के कार्यवृत्त को भी इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/स्पष्टीकरणों के उत्तर/प्रश्नों (यदि कोई हो)/शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) की निविदा शर्तों को बिना शर्त समग्रता/संपूर्णता में स्वीकार करते हैं।

5. यदि इस निविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस निविदा/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें पूर्ण बयाना राशि जमा की जब्ती भी शामिल है।

भवदीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

संलग्न-VI: प्रतिभूति जमा राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र

सेवा में,

अध्यक्ष,

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा-201301

(उत्तर प्रदेश)

जबकि _____ (निविदाकर्ता का नाम) (जिसे इसके बाद निविदाकर्ता कहा जाएगा) _____ के राज्य में काम के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करना चाहता है, जिसे यहां "निविदा" कहा जाता है, इन उपस्थित लोगों द्वारा सभी लोगों को पता है कि हम _____ (नाम) बैंक का) _____ (देश का नाम) जिसका हमारा पंजीकृत कार्यालय (_____) है (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (इसके बाद "नियोक्ता" कहा जाएगा) के लिए _____ (रुपये) की राशि के लिए बाध्य है। _____) जिसके लिए भुगतान वास्तव में उक्त नियोक्ता को किया जा सकता है। बैंक स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को इस दिन 2019 के _____ बैंक की सामान्य मुहर के साथ इन उपहारों द्वारा बाध्य करता है और नियोक्ता को उसकी मांग को प्रमाणित किए बिना इस लिखित मांग की प्राप्ति पर नियोक्ता को _____ रुपये_____ की राशि का भुगतान करने का वचन देता है।

इस दायित्व की शर्तें हैं:

यदि निविदाकर्ता निविदा के प्रारूप में निर्दिष्ट निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है।

अथवा

यदि निविदा वैधता की अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा निविदाकर्ता को अपनी निविदा की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया है, तो यदि आवश्यक हो, तो बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार करार के प्रपत्र को निष्पादित करने में विफल रहता है या इनकार करता है; या बोलीदाताओं को निर्देश के अनुसार, निष्पादन प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है या मना करता है।

हम नियोक्ता को उसकी पहली लिखित मांग प्राप्त होने पर गारंटीशुदा राशि तक भुगतान करने का वचन देते हैं, नियोक्ता को उसकी मांग को प्रमाणित करने की आवश्यकता के बिना, बशर्ते कि नियोक्ता अपनी मांग में यह नोट करेगा कि उसके द्वारा दावा की गई राशि उपरोक्त शर्तों में से किसी एक की घटना के कारण है, जो घटित स्थिति या शर्तों को निर्दिष्ट करती है।

यह गारंटी बोली की वैधता से 180 दिन आगे की तारीख तक लागू रहेगी, क्योंकि ऐसी समय सीमा बोलीदाताओं के निर्देशों में बताई गई है या इसे नियोक्ता द्वारा बढ़ाया जा सकता है, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक को इसके विस्तार से छूट दी गई है। इस गारंटी के संबंध में कोई भी मांग इस गारंटी की समाप्ति की उपरोक्त तिथि से पहले बैंक तक पहुंच जानी चाहिए।

बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____

नाम और पदनाम _____

बैंक की मुहर _____

साक्षी के हस्ताक्षर _____

साक्षी का नाम _____

साक्षी का पता _____